CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.III Second Session, 2009/1931 (Saka) No.18, Monday, July 27, 2009/ Sravana 5, 1931 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.321 to 325	1-40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.326 to 340	41-88
Unstarred Question Nos.3027 to 3178	89-385

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	386-392
STATEMENT BY MINISTER Status of implementation of the recommendations contained in the 30 th and 31 st reports of Standing Committee on Defence on 'Status of Married Accommodation Project in Defence and Allied Services' and 'Stress Management in Armed Forces', Shri A.K. Antony	393
MOTION RE: CONSTITUTION OF JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT	394-395
ELECTIONS TO COMMITTEES	396-397
(i) Council of Indian Institutes of Technology	396
(ii) Council of Indian School of Mines University, Dhanbad	397
MATTERS UNDER RULE 377	405-425
(i) Need to improve the deteriorating law and order situation in Delhi	
Shri P.T. Thomas	405
(ii) Need to set up Navodaya Schools in Tamil Nadu	
Shri M. Krishnasswamy	406
(iii) Need to ensure adequate supply of power to farmers in Uttar Pradesh particularly in Siddharth Nagar district of the State	
Shri Jagdambika Pal	407
(iv) Need to construct a Railway overbridge at Chilbil Railway crossing in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
Rajkumari Ratna Singh	408

(v)	Need to provide financial assistance to the farmers in Porbander and Junagarh district of Gujarat whose crops have been damaged due to heavy rain in the State	
	Shri Kunvarjibhai Mohanbhai Bavalia	409
(vi)	Need to launch National Deafness Control and Rehabilitation Programme for the betterment of persons suffering from deafness	
	Dr. Manda Jagannath	410
(vii)	Need to control the erosion caused by river Bhagirathi in West Bengal	
	Shri Adhir Chowdhury	411
(viii)	Need to construct bypass road in Gumla city, Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand	
	Shri Sudarshan Bhagat	412
(ix)	Need to construct a new bridge on N.H. 29 (E) between Gorakhpur and Sonauli in Uttar Pradesh	
	Yogi Aditya Nath	413
(x)	Need to address the problems of people displaced due to Pong dam Project	
	Shri Arjun Ram Meghwal	414-415
(xi)	Need to redress the problems of people suffering from various body deformities due to presence of high Fluoride content in water	
	Dr. Bhola Singh	416

(xii)	Need to withdraw the decision to privatise the Scooters India Limited	
	Shrimati Sushila Saroj	417
(xiii)	Need to construct a Road Overbridge at Mandi Shyam Nagar level crossing in Gautam Budh Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Surendra Singh Nagar	418
(xiv)	Need to provide air connectivity to Muzaffarpur in Bihar with other parts of the country	
	Capt. Jai Narain Prasad Nishad	419
(xv)	Need to exempt Service Tax on Health Insurance Scheme introduced by the Government of Tamil Nadu for the poor	
	Shri A.K.S. Vijayan	420
(xvi)	Need to extend social security benefits and other basic facilities to the workers of Knitting Industry in Tiruppur, Tamil Nadu	
	Shri P.R. Natarajan	421
(xvii)	Need to open a Kendriya Vidyalaya at Bhanjanagar in Ganjam district of Orissa	
	Shri Rudramadhab Ray	422
(xviii)	Need to develop Lonar Lake in district Buldhana, Maharashtra as a tourist spot	
	Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar	423

(xix)	Need to ensure adequate supply of water from Godavari river to Andhra Pradesh	
	Shri Ramesh Rathod	424
(xx)	Need to check hoarding of sugar in the country	
	Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik	425
FINA	NCE (NO.2) BILL, 2009	
M	otion to consider	428
	Shri Sanjay Nirupam	428-433
	Shri Mangani Lal Mandal	434-440
	Shri P.C. Chacko	441-449
	Shri Tufani Saroj	450-453
	Shri Mahendrasinh P. Chauhan	454-455
	Shri P.L. Punia	456-459
	Shri Prabodh Panda	460-463
	Shri Vijay Bahadur Singh	464-468
	Shri Arjun Ram Meghwal	469-475
	Shri N.S.V. Chitthan	476-480
	Shri Gorakhnath Pandey	481-484
	Dr. Kirit Premjibhai Solanki	485-487
	Shri Hamdullah Sayeed	488-491
	Shri Radhe Mohan Singh	492-495
	Shri M. Krishnasswamy	496-500
	Shri Khagen Das	501-504
	Kumari Meenakshi Natrajan	505-506
	Shri Adhi Sankar	507-508
	Shri Bishnu Pada Ray	509-514
	Dr. G. Vivekanand	515-519

Shri Kamal Kishor 'Commando'	520-521
Shri Ramkishun	522-524
Shri Nama Nageswara Rao	525-527
Shri Satpal Maharaj	528-530
Shri Pranab Mukherjee	531-546
Clauses 2 to 116 and 1	
Motion to pass	567
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	578
Member-wise Index to Unstarred Questions	579-581
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	582
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	583

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 27, 2009/ Sravana 5, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 321 - श्री निशिकांत दुबे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रामकिश्न (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न-काल के बाद इसे उठाइए, अभी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रामिकशून जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया अभी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप 12 बजे शून्य-प्रहर में ये सब बातें उठाएं, अभी प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। आप इसे शून्य-प्रहर में अच्छे से उठाइए। अभी आप प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामिकशुन: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने रिपोर्ट भेजी है। ...(व्यवधान) बहुत गंभीर संकट पैदा हो गया है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, आप हमारी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इस पर 193 भी लगा हुआ है, आप इस बात को उस समय उठाएं।

...(व्यवधान)

श्री रामिकशुन: उन्होंने 47 जिलों को सूखाग्रस्त घोनित किया है, लेकिन राजनैतिक भेदभाव के कारण बाकी जिलों को सूखाग्रस्त इसे घोनित नहीं किया जा रहा है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार तत्काल अपनी स्थिति स्प-ट करे और यह बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले सूखे घोनित हुए?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए, प्रश्न-काल के बाद इसे उठाएं।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन: अध्यक्ष महोदया, पूर्वांचल की हालत बड़ी खराब है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप शांत हो जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रामिकशुन: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य इस सदन में रखने का काम करें और इस पर तत्काल इसी वक्त वस्तुस्थिति बताने का काम करे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप शून्य-प्रहर में इस बात को उठाइए, अभी आप प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, ये इटावा के रहने वाले हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप एक घंटे बाद शून्य-काल में इस पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, आसपास के सभी जिले घोनित हो गए, बीच में एक जिले में पानी कहां से बरस गया?...(व्यवधान) जालौन और अरिया भी हो गया, अरिया और इटावा एक जिले के दो जिले बना दिए गए। मैनपुरी और फिरोजाबाद हो गया। इटावा में पानी बरसा, लेकिन उसके आसपास सूखा है।...(व्यवधान) पूरे प्रदेश में सूखा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: निशिकांत दुबे जी, आप अपना प्रथम पूरक प्रश्न पूछिए।

(Q. 321)

श्री निशिकांत दुवे : अध्यक्ष महोदया, मुझे मंत्री जी का उत्तर प्राप्त हुआ है। मैंने मंत्री जी से नेशनल मेरीटाइम डेवलपमेंट प्रौजेक्ट के बारे में सवाल पूछा था। केन्द्र सरकार ने इसमें एक लाख करोड़ रुपए इनवेस्ट करने की बात की है, उसमें मेज़र पोर्ट्स डेवलपमेंट, शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने की बात थी।

अध्यक्ष महोदया, आपको पता है कि जो पूरा ईस्टर्न इंडिया है, कलकत्ता पोर्ट खत्म हो जाने के बाद माइंस और मिनरल्स में रिच होने के बाद भी उस इलाके के लोग, चूंकि ट्रांसपोरटेशन का कोई साधन नहीं है, आज भी 70 परसैंट इंटरनेशनल ट्रेड केवल समुद्री रास्ते से होता है। कोलकाता में कोई पोर्ट नहीं है, उड़ीसा का पोर्ट थोड़ा-बहुत डेवलप हो रहा है। इन्होंने जो नेशनल मेरीटाइम डेवलपमेंट प्रौजेक्ट में 55 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसमें से आठ हजार करोड़ रुपए कोलकाता, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के लिए दिए हुए हैं, जब कि पापुलेशन, माइंस एंड मिनरल्स कितना है। इसी तरह 1908 के एक्ट की बात की है, उससे हम गाइडेड हैं और माइनर पोर्ट नहीं बनाते। यह बहुत अच्छी बात है कि आप माइनर पोर्ट नहीं बनाते। इसी तरह जो रूरल रोड़स हैं,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप प्रश्न पूछिए?

श्री निशिकान्त दुवे : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि रूरल रोड्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, पॉवर का जो वि-ाय था, वह स्टेट का था, लेकिन केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ईस्टर्न इंडिया, जो नैग्लैक्टेड है, नॉर्थ ईस्ट जो नैग्लेक्टेड है, क्या केन्द्र सरकार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की तरह या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह वहां मायनर पोर्ट्स या मेजर पोर्ट्स बनाना चाहती है या नहीं, यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

SHRI G.K. VASAN: Madam, through you, I would like to tell the hon. Member that when it comes to the question of the non-major ports, which are the minor ports, responsibility for the development of the minor ports generally rests with the respective State Governments. The hon. Member has mentioned about the NMDP. I would like to tell the hon. Member that under the National Maritime Development Programme, specific schemes and projects have been identified with a total investment of about Rs.1,00,339 crore of which Rs. 55,804 crore is for the port sector and the balance is for the shipping and inland water transport sector.

In the major ports, I would like to tell the hon. Member that 276 projects covering the entire gamut of activities, namely, construction, upgradation of berths, deepening of channels, rail-road connectivity projects are taking place. In the shipping sector, a total of around 111 projects involving a total investment of Rs.44,535 crore over a period of 20 years have been identified for inclusion in the programme. The status of the NMDP programme, as far as today's question is concerned, is that around 276 projects have been identified under major ports. I would like to tell the hon. Member that all the States which have got the ports have been given equal importance when it comes to the question of major ports and the Government is definitely trying to do its best to improve the efficiency of the ports. When it comes to the question of minor ports, it should be understood that the minor ports come under the State Governments and we are ready to help if there is anything concerning the Central Government.

श्री निशिकान्त दुवे : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जिन 276 पोटर्स की बात कही है, उनमें से केवल 60 पोटर्स ईस्टर्न इंडिया के हैं। मैंने ईस्टर्न इंडिया के जो प्रिवलेज हैं और उनकी जो प्लाइट है, उसके बारे में बताया था।

महोदया, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है कि नैशनल मैरीटाइम डैवलपमेंट प्रोजैक्ट में आपने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कही है और गंगा नदी उसमें इन्क्लुड है। आप सेतृ समुद्रम चैनल के लिए, राम सेतृ तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन गंगा में पानी नहीं है, गंगा में बालू आ गई है और मेरे चुनाव क्षेत्र में साहबगंज में सिल्क इंडस्ट्री है। इसी प्रकार भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री है, मिरजापुर में कालीन इंडस्ट्री है और कानपुर में चमड़ा उद्योग है। इनके द्वारा ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गंगा नदी की जो स्थिति है, उसे देखते हुए उसकी ड्रेजिंग के लिए या उसकी डैवलपमेंट के लिए क्या केन्द्र सरकार के पास कोई योजना है?

SHRI G.K. VASAN: When it comes to the question of inland waterways, there is a separate question listed at serial number 4. It does not come directly under this question.

MADAM SPEAKER: Yes.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Madam, India is struggling hard to increase the share of our trade in the coming five years. It is intended to double the present share of our trade. We are all aware that 95 per cent of the volume and 73 per cent of the value of our trade are being carried out by our maritime transport. During the Eleventh Five Year Plan, 1009 million metric tonnes have been projected to be handled by major and minor ports. Out of this, 709 million metric tonnes are projected to be handled by major ports. It is well assumed that the minor and non-major ports will have to play a greater role in maritime transport.

In this regard, I would like to ask the hon. Minister whether non-major ports are getting easy accessibility to viability gap funding.

MADAM SPEAKER: You have asked your question. Let the hon. Minister reply. SHRI ADHIR CHOWDHURY: It is alleged by the non-major port operators that viability gap funding is not compatible with the operational imperatives, which is impeding their access to fund.

SHRI G.K. VASAN: The hon. Member mentioned about the Maritime State Development Council which was constituted in 1997 to chalk out strategies for development of the non-major ports and other ports in the country; it is to ensure integrated development with the major ports. The Council is headed by the Minister and all the State Ministers of Shipping, Transport and Ports are involved; it meets once a year; it also coordinates for the development of the maritime programme in the coastal areas.

DR. M. THAMBIDURAI: Madam, the country's sustained growth of economy depends on the adequate availability of infrastructure. Ports offer the cheapest mode of transport for bulk cargoes across continents. Tamil Nadu has a coastline of about 1,000 k.m. and along Tamil Nadu coastline, there are three major ports – Chennai, Ennore and Tutucorin, and also 15 minor ports.

Madam, may I know through you, from the hon. Minister as to whether there is any proposal in the Government of India to convert some of these minor ports like Colachel in Tamil Nadu as Intermediate or Major Ports so that they

could handle more cargo and earn more revenue. May I also know whether the Government of India is going to allocate more funds to provide infrastructural facilities in those ports?

SHRI G.K. VASAN: Madam, Colachel is a non-major port in the State of Tamil Nadu. As per the Indian Ports Act, 1908, the responsibility for the development of Colachel Port rests with the State Government of Tamil Nadu. However, the State Government of Tamil Nadu has made a request to develop this Port as a 'transshipment hub'. The Ministry of Shipping is providing financial assistance to maritime States for conducting feasibility studies. In that regard, the Ministry has requested the SCL to undertake the techno-economic feasibility study and work relating to the preparation of the DPR for the Colachel Port has been recommended for award.

श्री वि णु पद राय: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह नॉन मेजर पोर्ट्स में आता है या माइनर पोर्ट्स में आता है, जबिक हमारी लाइफलाइन सी रूट्स ही हैं। आप अंडमान निकोबार को मेजर पोर्ट्स में इन्क्लूड करेंगे या नहीं? यह मेरा पहला सवाल है।

अध्यक्ष महोदया : आप एक ही सवाल पूछिये।

श्री विणु पद राय: सैकिण्ड सवाल। मैडम, मैं अंडमान निकोबार, मेजर पोर्ट्स से आया हूं। मेरा दूसरा सवाल उनसे है कि खासकर सुनामी में 256 करोड़ रुपये सरैण्डर हो चुके हैं। सरकार के माध्यम से एक शब्द इंग्लिश डिक्शनरी से निकला, फिज़िबिलिटी, मतलब ऐसे कुछ द्वीप हैं, पश्चिम सागर, शान्ति नगर, गणेश नगर, जहां रोड कनैक्टिविटी नहीं है, लेकिन आबादी है। वहां पर जेटी बनाने के लिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिए।

श्री विणु पद राय: मेरा लास्ट सवाल है। जहां पर आबादी है, इस फिजिबिलिटी के नाम पर सरकार ने जेटी को बन्द कर दिया है। क्या आप जेटी बनाएंगे? ये मेरे दो सवाल हैं।

अध्यक्ष महोदया : इनका एक ही सवाल है।

SHRI G.K. VASAN: The hon. Member of Parliament has posed a very important question regarding Andaman and Nicobar Islands. There are 23 non-major ports in Andaman and Nicobar Islands. The Island is actually situated close to the equatorial international sea-route and it could result in minimum deviation time to

the vessels to call at the port of Andaman and Nicobar Islands, compared to any other minor or major ports in the country.

In view of this important aspect, a proposal to declare Andaman and Nicobar Island-set-of-ports as the Andaman and Nicobar Port Trust with the headquarters at Port Blair is under the examination of the Government.

Regarding the TRP, the Tsunami, which the hon. Member has mentioned, there are only 87 projects out of which in 23 projects, the work has been completed, 19 schemes have been dropped under TRP. This is in consultation with the Andaman and Nicobar Islands Administration. Further details can be passed on to the hon. Member.

(Q. 322)

SHRI ANTO ANTONY: Sir, the answer which the hon. Minister has given is vague. He has said:

"Subsequently, the situation was reviewed and import of toys into India, including from China, are now subject to the same standards."

I want to know the meaning of 'same standards'. Did the hon. Minister adequately address the issue of child safety in India? Is the Government allowing toys with substandard lead content to India again? Is it allowing dairy products with melamine for Indian babies again? Are they still allowing mobile phones from China that could hamper Indian national security? I am worried because Chinese mobile phones without international mobile equipment identity number are posing threat to national security. These phones have been used by terrorists to communicate with each other or to set off bombs. About eight lakh such phones enter India from China each month.

Chinese milk products are contaminated with chemical melamine that can cause kidney stones and organ failure. In 2008, more than 20 countries imposed at least a partial ban on Chinese dairy products. Chinese made toys have high levels of lead and cadmium content. Lead poisoning in children can cause a range of disorders such as hyper activity, slowed learning ability, blindness and even death.

I strongly feel that India has not created a bilateral mechanism to address the issue of public safety. Therefore, I request the Minister to form a bilateral mechanism similar to US, China mechanisms to address the issue of children's safety in India.

SHRI ANAND SHARMA: The question pertains to the complaint which China has made to the WTO for the ban on the import of Chinese toys and on the International Mobile Equipment Identity (IMEI). I would like to say that we had received a number of complaints. This issue has been raised in Parliament since 2007 about the safety standards of toys which are coming in from China. In other

countries including in United States of America, this issue was raised and many of the toys had to be recalled because of the high lead content and other health safety hazards which included choking, intestinal injury, etc. Therefore, a conscious decision was taken by the Government. There was also a direction from the Mumbai High Court on a writ petition filed by the Consumers Forum about the health hazards posed by the Chinese toys. There was a specific direction from the High Court too on 30th December, 2008. The Government took a conscious and considered decision to impose a ban. China did go to the WTO and raised three issues. One is about the technical barriers to trade, the second was the MFN status. All the WTO member countries which are there in the WTO have the Most Favoured Nation status and the third was the national treatment. This was reviewed and now only those toys are allowed for import into India which meet the international standards, that is, the ASTM, F963 or ISO 8124. All those toys including those of Chinese origin which meet these international standards are permitted into India. If they do not meet these standards, those toys are not allowed inside India. So, there is no question of bilateral mechanism as the hon. Member has said. China has lodged a complaint twice in March and June in the WTO. Accordingly, we have taken the correct decision.

Madam, regarding the mobile phones, I would like to inform the hon. Member that the Government of India has already imposed a ban on all those mobile phones which do not carry International Mobile Equipment Identity (IMEI). This ban has been imposed in this month of July. All those phones which have only "Zeroes" there are allowed. That has been done on security considerations.

SHRI ANTO ANTONY: The Government of India has imposed a ban for six months on the import of Chinese toys having lead content. I would like to request the hon. Minister to continue with the ban till the issues of public health national security are adequately addressed.

SHRI ANAND SHARMA: Madam, I have already answered this question that only those toys which meet the international standards are allowed to be imported and these are the universally applied standards which take care of the safety as well as health hazards.

Madam, the hon. Member had earlier referred to another issue which was not a part of the Question and I would like to inform him about the dairy products also. These dairy products from China were found to contain Melamine. They have also been banned and the ban has further been extended to chocolate and other related products.

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि बच्चों के स्वाख्य और सुरक्षा के आधार पर चीन में निर्मित खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, तदुपरान्त स्थिति की समीक्षा की गई। इस संबंध में समाचार पत्रों में भी काफी निकलता रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने खिलौनों एवं मोबाइल फोनों पर प्रतिबंध लगाया गया था? उनमें से कितनों को परीक्षण के उपरान्त छूट दी गई तथा कितने अभी भी स्वास्थ्य की दृन्टि से खतरनाक हैं? क्या ऐसी कोई सूचीबद्ध श्रेणी बनाई गई है? साथ ही हमारे देवी-देवताओं को भी प्लास्टिक के खिलौनों के रूप में चीन द्वारा गलत रूप में बनाया जाता है। इस संबंध में सारे देश में भी-ाण प्रतिरोध हुआ है। हमारे देवी-देवताओं की गलत रूप में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, क्या उसकी जानकारी लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है?

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैंने पहले दिया है कि जो स्वास्थ्य के दृ-िटकोण से खतरनाक समझे जाते हैं, उन पर पाबन्दी लगाई गई है। मोबाइल फोनों पर इसी महीने की 16 तारीख को पाबन्दी लगी है, जिनमें आईएमईआई नम्बर नहीं है। उसमें कितने रुके हैं, मैं इसकी जानकारी मालूम कर सकता हूं, लेकिन संख्या कितने खिलौनों की है, वह मालूम नहीं कर सकता। इनका मापदंड क्या है, यहां उसकी बात हुई है। हमारे बच्चों को उन खिलौनों से स्वास्थ्य के दृ-िटकोण से जो खतरा है, उसे मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है। यह प्रश्न केवल मोबाइल फोन और डब्ल्यूटीओ में चीन की शिकायत से संबंधित है। माननीय सदस्य ने देवी-देवताओं की मूर्तियों के बारे में जो प्रश्न पूछा है, यदि ये अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिएगा।

...(व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB: Madam, my question arises out of the answer given by the hon. Minister relating to the milk products that were being imported from China. The hon. Minister has very rightly pointed out about the use of Melamine, a kind of plastic and also fertilizer that were found in infant milk and other dairy products that were being imported from China. This is very alarming. These contaminated milk products were being utilized and used in making chocolates and chocolate products in our country. I would like to understand from the hon. Minister as to what steps have been by the Government to stop selling of these contaminated candies, chocolate products and confectionaries which were used in food preparation.

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, I have already informed the House that the Government of India was informed that contaminated dairy products are coming from China. There were also complaints of melamine contamination in milk and milk products which were being exported to India and to other parts of the world.

Based on these reports and on the recommendation of the Food Safety and Standards Authority of India, the Government has prohibited import of all dairy products, including milk and milk products, from 24th Septeiber, 2008. This prohibition has been further extended to include chocolate, chocolate products, candies, confectionaries and all other food preparations which include milk or milk solids as an ingredient. This prohibition is being enforced by the agencies concerned, dealing with food safety and standards.

SHRI NAVEEN JINDAL: Madam Speaker, the hon. Minister has just informed the House that toys meeting international standards only will be allowed to be imported into the country. I would like to know from the hon. Minister whether these standards have also been reviewed or they remain the same as they were before the complaint was lodged by China at WTO.

SHRI ANAND SHARMA: There are international standards, as I have informed the House, and those standards which are universally acceptable have been rigidly adhered to as far as the toys import is concerned. For domestic purpose, standards have been notified by the Bureau of Indian Standards for the mechanical properties, physical properties, flammability requirement, migration of certain elements, etc. Maximum acceptable element migration has been prescribed. These are various kinds of poisoning which includes lead, arsenic, mercury, etc. These are the mandatory standards which have been prescribed.

SHRI INDER SINGH NAMDHARI: Madam Speaker, the reply of the Minister clearly says: "Subsequently the situation was reviewed and import of toys into India, including from China, are not subject to the same standards."

I want to ask the hon. Minister whether any other country has lodged any complaint in the WTO.

SHRI ANAND SHARMA: There was no other complaint. There was a ban imposed after the complaints were received. There were also reports from other countries regarding the health hazards posed by Chinese toys. There were recall of many toys in countries of Europe and America. I had also referred to the public demand. The matter was raised in this House and in the other House and the matter went to the judiciary through a writ petition.

Therefore, it was only in the case of China, the complaints were received and a decision was made. China had gone to the WTO. China is a member of the WTO, of which India is also a member. WTO has certain agreements which, as I have referred to, include technical barriers on trade, national treatments and also MFN.

Therefore, this was reviewed and it was decided that international safety standards will be mandatorily imposed for the import of any toys from any country, which includes China.

श्री देवजी एम. पटेल: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न के जवाब मे कहा है कि ग्राहकों की वृद्धि दर में गिरावट हुई है और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति इससे एकदम विपरीत है। आज ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र राजस्थान के जालौर-सिरोही में जालौर के अन्दर 5,000 ग्राहकों के कनेक्शन काट दिए गए। कई दिनों बाद उसके लिए यह कारण बताया गया कि उनके डाक्युमेंट्स में कमी है। दस्तावेज की कमी बताकर बीएसएनएल नें ग्राहकों के कनेक्शन काट दिए। इससे ग्राहकों की गुडविल पर असर पड़ता है। जब उन नम्बर्स पर इनकमिंग कॉल आती है, तो उसमें सुनाई देता है कि इस फोन की सेवाएं बन्द कर दी गयी हैं। आज ग्राहकों यह जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए बीएसएनएल के महाप्रबंधक ... * से कम्प्लेन्ट की, तो उन्होंने सुना ही नहीं और यह कहा गया कि आपने कम्प्लेन्ट के बारे में समाचार पत्र में लिखा है, हम आपको बाद में देखेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं वह सेवा में सुधार के लिए जो स्वीकृत टावर्स हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं हैं तथा जो टावर बंद पड़े हैं जैसे सातपुरे का टावर दो साल से बंद पड़ा है, को चालू करने के लिए क्या विचार कर रहे है, कब तक इनको चालू करेंगे और कब तक इस सुविधा में सुधार लाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदया, जिस बात का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि देश में जब से संचार क्रान्ति आई है, आज देश का मोबाइल सब्सक्राइबर बेस 41 करोड़ से ज्यादा हो गया है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार का विशेन ध्यान रहेगा। महामिहम रा-ट्रपित महोदया ने अपने अभिभानण में कहा था कि हम रूरल टेलीडिन्सिटी को वर्न 2014 तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत करेंगे। इसके लिए हमने व्यापक कदम उठाए हैं जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र में संचार के सभी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। जहां तक बीएसएनएल की बात है, अपने उत्तर में हमने कहा है कि बढ़ोत्तरी की दर में गिरावट आई है। बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन बढ़ोत्तरी की दर में कमी आई है। यह सभी प्राइवेट प्रोवाइडर्स का भी डिक्रीज हुआ है और बीएसएनएल का भी डिक्रीज हुआ है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि बीएसएनएल ने लगभग 20,200 कस्बों और शहरों को मोबाइल कनेक्शन्स में पिछले तीन साल में बढ़ोत्तरी हुई है। सन 2007 में जहां सिर्फ

^{*} Not recorded as ordered by the Chair.

97,000 मोबाइल कनेक्शन थे, इस साल उनकी संख्या बढ़कर लगभग 1,37,000 हो गयी है। इसके अतिरिक्त विशे-ा रूप से अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है, उसे मेरे पास लेकर आएं, हम उसे निश्चित रूप से दिखवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल ने जो काम किया है, उससे बहुत जागरूकता आई है। ग्राइवेट प्लेयर्स ने अब तक केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। हमारी अर्बन टेलीडेन्सिटी 91 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 16 प्रतिशत है। हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशे-ा रूप से माननीय सदस्य ने राजस्थान का जो भी जिक्र किया है, इसके बारे में हमारी कोशिश रहेगी कि करेन्ट ईयर में हम देश भर में 20 मिलियन नई लाइन्स जोड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदया : ऑनरेबल मेम्बर ने अपने पहले सप्लीमेंटरी क्वेश्चन में एक ऑफिसर का नाम लिया था, वह नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री देवजी एम. पटेल: महोदया, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि सिरोही में 5,000 ग्राहको के कनेक्शन दस्तावेज की कमी के कारण काट दिए गए थे, जालौर और सिरोही दो जिले हैं, मंत्री जी ने जालौर के बारे में बताया है लेकिन सिरोही की बात नहीं बताई है।

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे गुजरात के समीप, बापला टावर मात्र 10 किलोमीटर दूर है और राजस्थान में स्थित मोखला टावर पांच किलोमीटर दूर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि गुजरात का टावर वहां पर फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और राजस्थान के उस ग्रामीण इलाके में इनकमिंग काल्स पर भी रोमिंग चार्ज कटता है। उसके बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री सिवन पायलट: महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न बीएसएनएल के ग्राहकों के दर में जो कमी आई है, उसके बारे में था। जहां तक मोबाइल कनेक्शन कैंसिल किए जाने की बात है, आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी प्वाइंट ऑफ व्यु से आईडेण्टीफिकेशन बहुत जरूरी है और खासकर बीएसएनएल के लिए क्योंकि एक वह पीएसयू कंपनी है, एक मिनिरत्ना कंपनी है, इसिलए हम लोग सुरक्षा की दृन्टि से कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं। इसिलए पूरे वेरीफिकेशन करने के बाद ही हम लोग कनेक्शन देते हैं। इसी में अगर कोई कमी आई होगी, आप हमें सूचित करें, हम उस पर अवश्य कदम उठाएंगे। जहां तक कॉल रेट्स का सवाल है, जब लाइसेंस ग्रांट होते हैं, चाहे बीसीएनएल हो या प्राइवेट हो, किस रेट पर चार्ज करना है, यह सिर्विस प्रोवाइडर्स पर निर्भर करता है। आज से 15 साल पहले जो कॉल रेट्स 15-16 रुपए प्रति मिनट थे, वे आज एक रुपया प्रति मिनट से भी कम हो गए हैं। आज बीएसएनल के 5 करोड़ 43 लाख मोबाइल ग्राहक हैं। इस हिसाब से उसका मार्केट शेयर 13 प्रतिशत है।

SHRI VIJAY BAHUGUNA: The BSNL has a dual character of a public utility service and of a commercial undertaking. I would like to bring to the notice of the hon. Minister, through you, Madam, that in the State of Uttarakhand, in the hill districts, 70 per cent of the area is deprived of connectivity. That means, 70 per cent of the population living in the hill districts are deprived of connectivity including the border districts. So, what I would like to know from the hon. Minister is whether the Government intends to come out with a special, additional fund or package or directions for the hill districts of Uttarakhand so that they get the benefit of the connectivity of the BSNL.

SHRI SACHIN PILOT: Madam Speaker, there are parts of our country which are not that well connected in terms of geography. In terms of the North-East, Kashmir, the hilly regions and unconnected areas, we have a separate Fund called the USO Fund. This Fund is deployed to ensure that the network capacities are increased especially in the hilly terrain regions or where the population is less because, ultimately, the private players are only going where the big markets are there. So, the Government has undertaken the job of ensuring that the USO Fund is deployed to ensure towers are erected and a lot of subsidy is given to connect the sections of our society and areas of our country that have thus far been not connected by the mobile service.

In this regard, the BSNL has also provided broad-band to 28,000 rural exchanges. In reference to Uttarakhand, there are many areas which have so far not been connected. But the BSNL is in the forefront of ensuring that the tribal areas, the rural areas, the hilly regions and the border areas of our country are as well connected as the country's towns are.

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदया, मोबाइल कम्पनीज द्वारा फोन किए जाने पर एक मिनट की दर से कॉल रेट फिक्स किया गया है। अगर एक मिनट बात करने पर एक सेकंड भी ज्यादा हो जाए तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा उपभोक्ता से दो मिनट का पैसा लिया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो यह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि उपभोक्ता जब इन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स से टॉक टाइम

खरीदता है, तो जितने समय के लिए वह पैसा देता है, उतने समय तक वह बात नहीं कर पाता है। होना यह चाहिए कि उपभोक्ता जितने समय बात करे, उतना ही पैसा उससे वसूल किया जाए। क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाने पर विचार कर रही है कि उपभोक्ता जितने समय बात करे, उतने ही समय का पैसा चार्ज किया जाए?

SHRI A. RAJA: Madam, in India, the call rates are not being finalized by the Government, but according to the TRAI's recommendations. This field is a competitive field. So, we decided that let it be left to the concept of forbearance. All the private operators and the PSUs are in the commercial field and they are on par with each other. So, we cannot dictate that this type of a package can be given. They wanted to grab the subscribers. They announced many packages. Suppose you want to have this much of pulse rate, this much of rate, then, you have to pay this much of a rental value. The rental value may decrease and the call rate may go high. Sometimes, the call rate can be reduced provided the rental value is high. The only thing is what has been asked by the companies including the PSUs: "You announce the packages to the people at large with transparency." Having announced the packages and the tariff, there should not be any violation, there should not be any departure. Having declared it, believing upon the declaration, if any person subscribes to the package, he should not be deprived or he should not be cheated. In such a case, if any problem is there, let it be known to me and I will take action.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: माननीय अध्यक्षा जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि बीसीएनल के उपभोक्ता आधार में व-र्गनुव-र्ग गिरावट का रुख रहा है। आपने यह भी कहा है कि गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि ग्रामीण अंचलों में विशेन व्यवस्था और विशेन सुधार की योजना चल रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के ग्रामीण अंचल से आते हैं। हमारा क्षेत्र भदोही, पूर्ण रूप से ग्रामीण एरिया है, वहां शाम के समय जैसे पीक-आवर बिजली का माना गया है, वैसे ही पीक-आवर टेलीफोन का हो गया है। सात बजे से लेकर आठ-साढ़े-आठ बजे के बीच में कोई फोन नहीं लगता। उपभोक्ता अगर फोन करता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि रूट बिजी है, लाइनें व्यास्त हैं, कृपया इंतजार कीजिए। अध्यक्ष महोदया, आज टेलीफोन और मोबाइल का इस्तेमाल ग्रामीण अंचलों में, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। किसान, मजदूर अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके टेलीफोन और मोबाइल लेता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ग्रामीण अंचलों की बात कर रहे हैं लेकिन रूट बिजी बताकर, लाइनें व्यस्त बताकर जो बात नहीं हो पाती है, उसमें सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? साथ ही कभी जो बात नहीं होती है, उसका बिल भी आ जाता है। इसलिए ग्रामीण अंचलों में उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आज गांव में "बीएसएनएल" यानी "भाई साहब नहीं लगेगा" लोकोक्ति में सुधार के लिए, लोगों में विश्वसनीयता कायम करने के लिए, ग्रामीण अंचलों में सांयकाल, जो रूट बिजी बताया जाता है, उसमें सुधार करने के लिए, क्या आप बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार करेंगे? साथ ही जो बिना बात किये ही पैसा कट जाता है, उपभोक्ता से पैसा चार्ज कर लिया जाता है, उसमें सुधार करेंगे? श्री सचिन पायलट: माननीय स्पीकर महोदया, उत्तर प्रदेश देश का बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पूर्वांचल उसका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां दूरसंचार के माध्यम से लोगों के जीवन में कुछ सुधार हो रहा है। जहां तक कनैक्टिविटी की बात है, इसके दो कारण होते हैं। एक, जब कंजैशन बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होता है, स्पैक्ट्रम सीमित होता है तो कॉल नहीं लग पाती है। दो, कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह दिक्कत आती है कि वहां टावर लगे हुए हैं लेकिन बिजली की सप्लाई नहीं होती है। बिजली न होने के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है, वहां पर हम जैनरेटर और डीजल उपलब्ध कराते हैं ताकि टावर चल सके। लेकिन जब पावर-सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाती है तो वे टावर काम नहीं करते हैं। इस पर हम कदम उठा रहे हैं, चौकसी-निगरानी रख रहे हैं कि जहां पर हम जैनरेटर और डीजल सप्लाई करते हैं, उसका सही तरीके से उपयोग हो सके। महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर कोई दिल से काम कर रहा है तो वह बीएसएनएल कर रहा है, बाकी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से अब तक ज्यादा लाभ नहीं हुआ था। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले साल हम लोगों ने 131 मिलियन नये मोबाइल कनैक्शन्स, इस देश में जोड़े हैं तथा 50 प्रतिशत उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अब प्राइवेट ऑपरेटर्स भी समझ गये हैं कि गांव-देहात में ही उनकी कंपनियों का भवि-य है। बीएसएनएल शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्रों में

मौजूद था, उसकी सर्विस को हम और बेहतर करेंगे, यह आश्वासन आपके माध्यम से, मैं सदन को देना चाहता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: सांय काल जो बात हो नहीं पाती है, उसका उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने उत्तर दे दिया है, आप बैठ जाइये।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: धन्यवाद महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुविधा प्रदान कर रहे हैं और उपभोक्ताओं में वृद्धि हो रही है। माननीय मंत्री जी, क्या आपने कभी आंकलन किया है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की तुलना में आपकी सेवाओं में कितनी वृद्धि हो रही है? हम लोग भी यूजर्स हैं। हमें भी बीएसएनएल और एमटीएनएल का फोन प्राप्त है, लेकिन भाई साहब ने जो बात कही कि

"भाई साहब नहीं लगेगा" इसकी चर्चा आमतौर पर गांव में है। हमारे पास भी बीएसएनएल का टेलीफोन रहते हुए भी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में घूमने के दौरान, कनैक्टिविटी के लिए एक प्राइवेट ऑपरेटर का प्राइवेट कनैक्शन लेना पड़ा। सेवा देना और बेहतर सेवा देना, दोनों में काफी अंतर है। अगर आप सेवा देकर संतु-ट हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक सरकारी दफ्तर की तरफ आप बीएसएनएल को चला पाएंगे और प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ कंप्टीशन में आप कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज बीएसएनएल की यही स्थिति है कि बीएसएनएल एक सरकारी संगठन के रूप में काम कर रहा है। गांव में आपका जो जैनरेटर है, वह जैनरेटर ऑपरेटर सांयकाल चार बजे जैनरेटर बंद करके चला जाता है जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स की एक-एक गांव में कनैक्टिविटी है। आपका यह कहना शत-प्रतिशत गलत है कि गांव में प्राइवेट ऑपरेटर्स की कनैक्टिविटी कम है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बीएसएनएल को व्यावसायिक संगठन के रूप में विकसित करने के लिए, उसके कमर्शियल ऑरगेनाइजेशन के रूप में काम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री सचिन पायलट: महोदया, बीएसएनएल की जो सेवाएं हैं, लगभग तीन लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं और हमें बीएसएनएल की सेवा पर बहुत फख है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री सचिन पायलट: महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी आज बीएसएनएल निभा रहा है, वह जिम्मेदारी शायद ही कोई प्राइवेट ओपरेटर निभा रहा है। हम सिर्फ सेवाएं देने से ही संतु-ट नहीं हैं, हम चाहते हैं कि सेवाएं अच्छी हों और प्राइवेट ओपरेटर्स से ज्यादा अच्छी सेवाएं हम उपभोक्ताओं को दे सकें।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल की कार्य प्रणाली में हम लोग फेज़ छह में 93 मिलियन मोबाइल कनेक्शन और जोड़ना चाहते हैं। यह बात भी सच है कि जब सरकारी पीएसयू काम करती है, हमारे ऊपर बहुत चैक्स एंड बैलेंसेस हैं। जो अनसक्सेसफुल बिडर्स होते हैं, वे कोर्ट में चले जाते हैं। हमें छठे वेतन आयोग को भी लागू करना है। हम पर देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है, इसलिए बीएसएनएल पर जो भार है, वह शायद ही किसी प्राइवेट ओपरेटर पर हो। इसके बावजूद भी बीएसएनएल ने हर साल मुनाफा कमाया है और देश में जितना फुट प्रिंट बीएसएनएल का है, शायद ही किसी प्राइवेट ओपरेटर का होगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर इनके क्षेत्र में कोई सपेस्फिक परेशानी है, तो कृपया मुझे सूचित करें। हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।

(Q.324)

श्री रामसिंह राठवा: महोदया, मंत्री जी ने इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश के छोटे-मोटे बंदरगाहों से कोस्टल कार्गी बहुत अच्छी तरह से हैंडल हो सकते हैं। ऐसे बंदरगाहों की पसंदगी के लिए भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय की ओर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को एक काम दिया था कि वह बंदरगाह चुने। टीसीएस ने दिसम्बर, 2003 में भारत सरकार शिपिंग मंत्रालय को कम्प्लीट रिपोर्ट दी थी, जिसमें 9 छोटे-छोटे बंदरगाहों की योजना थी। उनमें से गुजरात राज्य के मगदला बंदरगाह को कोस्टल शिपिंग के लिए सही और आइडल बताया था। गुजरात सरकार ने मगदला बंदरगाह से माल सामान को वहन करने के लिए दिनांक 11/05/2005, दूसरा दिनांक 21/06/2005 और तीसरा दिनांक 10/01/2006 को भारत सरकार को पत्र लिखा था। आज मंत्री जी बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है।

मेरा सवाल है कि टीसीएस ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर गुजरात सरकार ने दर्खास्त दी है। वह दर्खास्त कब तक मंजूर की जाएगी?

SHRI G.K. VASAN: Madam, I would like to inform the hon. Member that though this question relates to inland waterways, when it comes to the question of non-major ports, seven non-major ports were identified for development and for promoting coastal shipping under the National Maritime Development Programme. Two schemes were proposed, namely, Coastal Shipping Development Fund for soft-lending purpose and a Centrally-Sponsored Scheme for Development of Coastal Shipping. The budgetary support was also requested from the Eleventh Five Year Plan. Unfortunately, it was not sanctioned.

As far as the question relating to the proposal of Gujarat Government is concerned, I can get back to the hon. Member in detail when it comes to the question of ports.

श्री रामसिंह राठवा: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुजरात के कांडला, मुदरा और सीका बंदरगाह से पेट्रोलियम, क्रूड आयल और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का वहन होता रहता है। करीब कच्छ के अखात से सालाना तीन हजार जहाज आते-जाते रहते हैं। इन जहाजों की निगरानी के लिए, सुविधा के लिए और नियंत्रण रखने के लिए क्या भारत सरकार ने कच्छ के अखात में वैसल्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आथोरिटी

की स्थापना करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो यह ट्रैफिक सिस्टम कब तक लागू किया जाएगा। अगर नहीं, तो आने वाले दिनों में आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं?

SHRI G.K. VASAN: Madam Speaker, while developing minor ports, several factors have to be kept in mind, for example, channel berths, berthing capacity, cargo handling equipment, tax base, evacuation, routes for rail and road. As the hon. Member says, regarding traffic also, it has to be considered; there is no doubt about it. When it comes to the question of major ports, last year around 530.37 million tones of traffic has been handled in till 31st March 2009. I can tell that the share of the non-major ports was also around 202.17 million tonnes, which has given a good hype for the ports. The projected traffic, by the end of the 11th Plan, is again one billion tonnes for the major ports, and for the minor ports, it is again another 500 million tonnes which will make 1.5 billion tones, which the Government is taking stock. We are trying to work out on that basis.

श्री प्रभातिसंह पी. चौहान: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं दहेज से सीधा पोगा तक के लिए क्या गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव आया है? यदि हां तो उनकी लागत कितने करोड़ की है? मेरीटाइम वॉर वृि पॉलिसी आज तक डिक्लेअर नहीं हुई है क्योंकि प्लानिंग कमीशन का विचार अलग है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग और प्लानिंग कमीशन इन दोनों की वजह से कोई मेरीटाइम वॉर पॉलिसी बन पाई है या नहीं?

SHRI G.K. VASAN: Madam Speaker, the Central Government has jurisdiction over National Waterways only. Other waterways come under the purview of the State Government. Gujarat, for the time being, does not have any national waterway. Hence, the waterways of Gujarat are developed and regulated by the State Government only.

DR. K.S. RAO: Madam Speaker, inland transport is the need of the country today. The reason being, hydrocarbon resources are limited in the country, with more than 75 per cent of the hydrocarbon being imported. We have got existing canals connecting both Krishna and Godavari by which the inland transport can be made available right from Vizag to Chennai, thereby reducing the cost of transport

substantially and providing employment also to many. The former Minister of Shipping has promised that he will bring out a project of developing the Buckingham Canal connecting Vijayawada to Chennai. I would like to know from the hon. Minister as to what is the position of the project which the former Minister has promised to develop the Buckingham Canal for making inland transport, thereby providing good price to the farm producers and lesser price to the consumers in respect of agricultural products particularly rice, pesticides, fertilizers etc.

SHRI G.K. VASAN: I would like to kindly tell the hon. Member that there are five National Waterways in the country. The length of the declared National Waterways is around 4434 kilometres of which 2716 kilometres, that is National Waterways 1, 2 and 3 are functional now in the 11th Plan. Whatever amount we have got, we are trying to fully complete the National Waterways 1, 2 and 3. National Waterways 4 and 5 will be taken later.

What the earlier Minister has told the House, I will take its details and come back positively to the hon. Member.

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।...(व्यवधान)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Madam Speaker, the hon. Minister has just now told that National Waterways 1, 2, and 3 have been included for development and National Waterways 4 and 5 have not yet been included. Will he please tell the House which are those National Waterways 1, 2, and 3 which have been included and also the National Waterways 4 and 5 which have not been included? Can he name the projects that he has mentioned?

SHRI G.K. VASAN: There are five National Waterways in the country. The first one is the Ganga from Haldia to Allahabad which is 1,620 kilometres long, and which was declared in 1986. The second National Waterway is the Brahmaputra from Dhubri to Sadiya which is 891 kilometres long and which was declared in 1988.

The third one is West Coast cannel from Kothapuram to Kollam along with Udyogmandal and Champakara canals, which comes to around 205 kilometres declared in 1993. These are the three National Waterways I, II and III, which are operational and they will be made fully operational in the 11th Plan; the amount has been sanctioned and we are going to utilise it to make them fully operational. The fourth National Waterway is Kakinada to Puducherry canal system integrated with Godavari and Krishna rivers, which is 1,095 kilometres; and the fifth one is East Coast canal along with Brahmani and Mahanadi delta, which is 623 kilometres, both declared in November, 2008.

(Q.325)

SHRI SURESH KALMADI: What are the main export sectors which are adversely affected by the global recession, and to what extent?

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, the major sectors which have been adversely impacted because of the global slowdown in exports are gems and jewellery, textiles, apparel, leather products, handloom, marine products and handicrafts.

SHRI SURESH KALMADI: Has there been any impact of various stimulus packages and the measures taken on India's growth?

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, I would like to inform the hon. Member that exports have been adversely impacted particularly in the labour-intensive sectors because of the global crisis. I would also like to inform that as per the projections of the IMF, there is going to be a decline in global commerce in excess of 12 per cent; and according to the WTO, the exports decline globally would be between nine and 11 per cent.

The Government of India has been conscious of the adverse impact on our exports and also the industry, particularly the labour-intensive sectors, which I have referred to. Various measures have been taken by the Government, and the details have been given. There were two stimulus packages, and more incentives came in the Budget. Those have definitely had a positive impact when it comes to the capital goods industry. I cannot say that the exports situation has improved. Exports started falling sharply from October, 2008 onwards, and they were declining in excess of 33 per cent even in March and April, but in the last two months it has come below 30 per cent; both in dollar terms and rupee terms, the decline appears to be slowing down. I can say that the measures taken had a positive impact but the sharp fall has been, to some extent, arrested but there are no signs of global recovery. We have given incentives when it comes to the export credit; export credit cover through ECGC up to 95 per cent for the vulnerable sectors; EXIM bank has been given Rs. 5,000 crore separately; interest

subvention has been there; across the board the size was cut by four per cent. All these measures plus the availability of easy credit have been taken to make the Indian exports globally competitive. At the same time, domestic manufacturing industry is seeing a turnaround. There are many sectors which have registered a double-digit growth, particularly the capital goods industry. The figures of June, which have been released last week, show that the core sector has been performing very well; steel, cement, even automobile industry and consumer durables are in double-digit. This is because of the increase in domestic demand and also the availability of offer. So, we do hope that the measures which we have taken have had a stabilizing impact and the manufacturing industry is showing clear signs of revival but in the global context, as per all the projections and the studies, there is no indication that the base level statistics will improve until October, 2010.

MADAM SPEAKER: Shri Pralhad Joshi – not present.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid. Shri Kapil Sibal.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of School Education and Literacy,

Ministry of Human Resource Development for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 512/15/09)

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Cochin Shipyard Limited and the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 513/15/09)

- (2) A copy of the Notification No. F. No. IMU/EC/EXEC/2009 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 12th May, 2009 containing first Ordinance of the Indian Maritime University on (i) Ordinances Governing Academic Matters (ii) Ordinances Governing Administrative Matters issued under Indian Maritime University Act, 2008.

 (Placed in Library, See No.LT 514/15/09)
- (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2007-2008.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No.LT 515/15/09)

(5) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Hindustan Shipyard Limited and the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 516/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 517/15/09)

(2) A copy of the Notification No. S.O. 593(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 2nd March, 2009, constituting a India Design Council consisting of President, Members, Nominated Members and Member-Secretary, mentioned therein issued in pursuance of the National Design Policy announced by Government on 8th February, 2007.

(Placed in Library, See No.LT 518/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maharashtra Prathmik Shikshan Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Mumbai, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maharashtra Prathmik Shikshan Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Mumbai, for the year 2006-2007.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT 519/15/09)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.T. Chandigarh (Sarva Shiksha Abhiyan), Chandigarh, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.T. Chandigarh (Sarva Shiksha Abhiyan), Chandigarh, for the year 2007-2008.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No.LT 520/15/09)

(5) A copy of the Council of Architecture (Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 457(E) in Gazette of India dated the 1st July, 2009 under section sub-section (3) of section 45 of the Architects Act, 1972.

(Placed in Library, See No.LT 521/15/09)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Hamirpur, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Hamirpur, for the year 2007-2008.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No.LT 522/15/09)

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi, for the year 2007-2008.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi, for the year 2007-2008.
- (9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No.LT 523/15/09)

- (10) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Guwahati, for the year 2007-2008 together with Audit Report thereon.
- (11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No.LT 524/15/09)

(12) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Madras, for the year 2007-2008 together with Audit Report thereon.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(Placed in Library, See No.LT 525/15/09)

- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Delhi, for the year 2007-2008.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Delhi, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.
 - (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Delhi, for the year 2007-2008.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

(Placed in Library, See No.LT 526/15/09)

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2007-2008.
- (17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

(Placed in Library, See No.LT 527/15/09)

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2007-2008.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2007-2008, together with an Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2007-2008.
- (19) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

(Placed in Library, See No.LT 528/15/09)

- (20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2007-2008.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2007-2008, together with an Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2007-2008.
- (21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

(Placed in Library, See No.LT 529/15/09)

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal, for the year 2007-2008.

(23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.

(Placed in Library, See No.LT 530/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 43 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007:-

- (i) The Armed Forces Tribunal (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2009 published in Notification No. S.R.O. 07(E) in Gazette of India dated the 18th May, 2009 together with an explanatory memorandum.
- (ii) The Armed Forces Tribunal (Practice) Rules, 2009 published in Notification No. S.R.O. 6(E) in Gazette of India dated the 14th May, 2009 together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No.LT 531/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI GURUDAS KAMAT): Madam, I
beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 86(E) in Gazette of India dated the 10th February, 2009 under sub-section (4) of Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.

(Placed in Library, See No.LT 532/15/09)

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Mahanagar Telephone Nigam Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 533/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Labour and Employment for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 534/15/09)

(2) A copy of the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 514 in Gazette of India dated the 10th July, 2009 under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(Placed in Library, See No.LT 535/15/09)

(3) G.S.R. 451(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2009 together with an explanatory memorandum making corrigendum in the Notification No. G.S.R. 689(E) dated the 26th September, 2008.

(Placed in Library, See No.LT 536/15/09)

12.02 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 30th and 31st reports of Standing Committee on Defence on 'Status of Married Accommodation Project in Defence and Allied Services' and 'Stress Management in Armed Forces' *

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Madam, I with your permission, I am laying the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the thirtieth and thirty-first Reports of the Standing Committee on Defence on Defence (14th Lok Sabha) in pursuance of the direction of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha contained in Lok Sabha Bulletin - Part II dated September 01, 2004.

The 30th Report of the Standing Committee on Defence (14th Lok Sabha) relates to 'Status of Married Accommodation Project in Defence and Allied Services', and the 31st Report relates to 'Stress Management in Armed Forces'. Both the 30th & 31st Reports were presented to the Lok Sabha on 21.10.2008.

Action Taken Statements on the recommendations/ observations contained in the 30th Report were sent to the Standing Committee on Defence on 20.01.2009. Action Taken Statements on the 31st Report were sent on 04.03.2009 to the Standing Committee on Defence.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee in their 30th & 31st reports is indicated in the Annexure-I and II respectively to my Statement which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of these Annexures. I would request that these may be considered as read.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 537/15/09.

12.03 hrs.

MOTION RE: CONSTITUTION OF JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

THE MINISTER OF MINES AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI B.K. HANDIQUE): Madam, on behalf of my colleague, Dr. M. Veerappa Moily I beg to move the following:

"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:

That the functions of the Joint Committee shall be—

- (i) to examine the composition and character of all existing "committees" [other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred] and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;
- (ii) to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;
- (iii) to scrutinize, from time to time, the schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;
- That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;
- That the members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;
- That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Committee:
- That in other respects, the rules of procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and
- That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and do communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:

That the functions of the Joint Committee shall be—

- (i) to examine the composition and character of all existing "committees" [other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred] and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;
- (ii) to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;
- (iii) to scrutinize, from time to time, the schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;
- That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;
- That the members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;
- That in order to constitute a sitting of the Joint Committee; the quorum shall be one-third of the total number of members of the Committee;
- That in other respects, the rules of procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and
- That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and do communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

12.05 hrs.

ELECTIONS TO COMMITTEES(i) Council of Indian Institutes of Technology

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, I beg to move the following:-

"That in pursuance of clause (k) of sub-section (2) of section 31 of the Institutes of Technology Act, 1961, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Council of Indian Institutes of Technology, subject to the other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (k) of sub-section (2) of section 31 of the Institutes of Technology Act, 1961, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Council of Indian Institutes of Technology, subject to the other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.06 hrs.

(ii)Council of Indian School of Mines University, Dhanbad

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, I beg to move:

"That in pursuance of rule 4 (ii) to (iv) read with rule 15(3) of the Rules and Regulations of the Indian School of Mines University, Dhanbad, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the General Council of the Indian School of Mines University, Dhanbad, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of rule 4 (ii) to (iv) read with rule 15(3) of the Rules and Regulations of the Indian School of Mines University, Dhanbad, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the General Council of the Indian School of Mines University, Dhanbad, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Now, matters of urgent public importance under 'Zero Hour'. Shri Basu Deb Acharia to speak.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैंने शुक्रवार को आपको कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है। यह देश का एक गम्भीर मामला है जो दूसरे सदन में उठ चुका है। सरकार ने राईस एक्सपोर्ट के मामले में 12 नोटिफिकेशन्स जारी किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अंदर इस समय सूखा और भूख व्याप्त है। लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। सरकार ने 2-3 एक्सपोर्टर्स का पक्ष लेने के लिये उन्हें राईस एक्सपोर्ट अलाऊ करने का काम किया है। मैंने इस संबंध में ध्यानाक-ण प्रस्ताव दिया है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका इस मामले पर ध्यानाकर्नण प्रस्ताव आ चुका है। श्री बस्तुदेव आचार्य।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, इतना महत्वपूर्ण सवाल है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मेरे पास नोटिस आ गया है, इसलिये मैं उन्हें सूचित कर रही हूं कि उनका ध्यानाक-र्गण प्रस्ताव आ चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप कॉलिंग अटेंशन एडिमट कर लीजिये। सब लोगों ने दिया है और हमने भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हम आपको सूचित कर देंगे, आप चिन्ता मत करें.

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : आपका नोटिस आ चुका है।

Now, Shri Basu Deb Acharia. You have given notices on two matters. You just raise one matter. You choose any one and raise that.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I will raise one matter.

Madam, a deal to purchase a second-hand aircraft carrier, Gorshkov with Russia was signed in the month of January 2004. It is a second-hand aircraft carrier and there was a protracted price negotiation. It continued for two years. The original price of this second-hand aircraft carrier was 875 million US dollars. Madam, you would be surprised to know that the price escalation was 20 times. It increased to 1.2 billion. That

too, this expenditure is for a second-hand aircraft carrier which has already completed half of its codal life. The Comptroller and Auditor General of India has seriously questioned the Government's decision to purchase a second-hand aircraft carrier with such an escalated price. What was the vision behind agreeing to such an escalated price for a second-hand aircraft carrier?

Madam, I demand that the Government owes an explanation to this House and the hon. Minister of Defence should make a statement clarifying as to what was the vision that why such a second-hand aircraft carrier was purchased and as to why from the original price of 875 million US dollars it was allowed to be increased by 20 times to 1.2 billion US dollars. I demand that the hon. Minister of Defence should make a statement clarifying the Government's position in regard to purchase of a second-hand aircraft carrier. Thank you.

अध्यक्ष महोदया : श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए। वे खड़े हो गये हैं, पहले उन्हें बोलने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मुलायम सिंह जी को बोल लेने दीजिए।...(व्यवधान) ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदया, मुझे बोलने की अनुमति है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : आप अपने आप को बसुदेव आचार्य जी से सम्बद्ध करना चाह रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, केवल दो मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमने इन्हें बुला दिया है, ये समाप्त कर लेंगे तब हमारे पूर्व रक्षा मंत्री बोलेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदया, बिहार के बारे में यहां पहले भी इस वि-ाय को उठाया गया है। पिछली यूपीए सरकार ने बिहार में वित्त विकास की रणनीति बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन के जिरये एक टॉस्क फोर्स बनायी थी। हमने पिछली बार माननीय शरद जी के नेतृत्व में बिहार के साथ हो रहे अन्याय के बारे में यहां मुद्दा उठाया था। उसके बाद हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की जगह यह सरकार हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। जो टॉस्क फोर्स बिहार के लिए बनी थी, उसे पिछली 20 जुलाई को इस सरकार ने भंग कर दिया है।

महोदया, आप जानती हैं कि बिहार के लोगों से इस सरकार की नाराजगी हो सकती है क्योंकि, पहले आप उस सरकार में बिहार की प्रतिनिधि थीं, यह भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसमें कोई भी बिहारी कैबिनेट में नहीं बैठता है, इस पंचायत में बिहार के लोगों की एंट्री नहीं है। आज इसी वजह से बिहार के हित की अनदेखी हो रही है। हम लोगों ने मांग की थी कि कोसी नदी पर इतनी बड़ी विनाशकारी बाढ़ आयी, आज बिहार में सूखा है, हमने बिहार को विशेन राज्य का दर्जा देने की मांग की, बिहार के लिए विशेन पैकेज की मांग की थी। उस वक्त हमें उम्मीद थी कि यह सरकार हमारी बातों पर ध्यान देगी और बिहार के साथ न्याय करेगी। यह ऐसी सरकार है जो बाढ़ में दिये गये पैसे को वापस मांगती है। मैं जानता हूं कि बिहार में आपको सफलता नहीं मिली, पूरे देश में आप सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन बिहार में आपको सिर्फ दो सांसद मिले हैं। पूरे बिहार के एक-एक नागरिक से आपकी नाराजगी का कारण क्या है? जो विशेन टॉस्क फोर्स आपने बनायी थी, जिसमें बिहार सरकार पूरी तरह मदद कर रही थी, उस टॉस्क फोर्स को भंग करके बिहार के लोगों के साथ इस सरकार ने बहुत अन्याय किया है। यह सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

महोदया, आप बिहार की कैबिनेट में प्रतिनिधि थीं और आज आप चेयर पर हैं, इस नाते मैं आपके जिस्ये इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार के साथ अन्याय करना बंद करे। जो टॉस्क फोर्स आपने बनायी थी, उसने बिहार के लिए 30 हजार करोड़ रूपये की मदद की सिफारिश की थी। मुझे लगता है कि शायद सरकार नाराज़ हो गई होगी कि जो टास्क फोर्स बनाई, उसने 30 हज़ार करोड़ रूपये देने की सिफ़ारिश क्यों की। उनको शाबाशी देने की जगह इस टास्क फोर्स को भंग कर दिया है। मैं आपके ज़रिये सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत उस टास्क फोर्स को बहाल किया जाए और बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है तथा अन्यायकारी ज़ुल्म और ज़्यादती की नयी मिसाल ये कायम कर रहे हैं, उस मिसाल को बंद किया जाए। बिहार के लोग काम करेंगे, तब आपका भवि–य होगा। अगर इस तरह से कम सीटें मिलीं, इस कारण से आप पूरे बिहारियों से नाराज़ हो गए हैं, तो इस नाराज़गी को खत्म करना चाहिए और बिहार के साथ न्याय करना चाहिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं इनकी बात के साथ अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदया, मैं भी इस मुद्दे के साथ अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय बसुदेव आचार्य जी ने जो सवाल उठाया, वह महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है। एक बात यह है कि सैकेंड हैंड और रद्दी जहाज़ खरीदे गए। दूसरा, वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह जहाज़ 20 साल की मियाद वाले थे जबकि इससे कम कीमत का और

ज्यादा मियाद वाले जहाज़ वे बना सकते हैं जो 40-50 साल तक चल सकते थे। क्या वजह है कि रद्दी जहाज़ ज़्यादा कीमत पर खरीदे गए और हमारे देश के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम इससे सस्ता जहाज़ बना सकते हैं जिसकी मियाद भी कम से कम 40 साल होगी, जबिक इसकी मियाद मुश्किल से 20 साल की है। क्या वजह है, यह सरकार को स्प-ट करना चाहिए। इस मामले का रक्षा मंत्रालय से संबंध है, देश की सुरक्षा से संबंध है और हमारी सेना को भी खतरा उठाना पड़ सकता है। आपको बताना चाहिए कि क्या कारण है? पूरा देश इस बात को जानता है। देश को यह बताना चाहिए कि यदि आधी कीमत का जहाज़ बनता है और उसकी मियाद ज्यादा है और वह बेहतर काम करता है तो वजह क्या है दूसरा जहाज लेने की? माननीय नेता सदन को इस पर जवाब देना चाहिए, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। ... (व्यवधान) रक्षा मंत्री नहीं हैं तो नेता सदन जवाब दे सकते हैं।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I wish to invite the attention of this august House to the apprehensions which have developed in the minds of the people due to the approval of the ASEAN Agreement by the Union Cabinet. The farming and fishing sectors of Kerala are anxiously waiting for a clarification from the Government of India about the pact, which is negatively affecting the farmers in rubber, tea, coffee, coconut, spices and marine sectors.

Kerala is facing a great trouble especially in the field of agriculture. Adding to that is this pact, which will affect negatively the future of farmers in Kerala. Therefore, I urge upon the Government to give an early clarification for the protection of the farmers in India, and especially in Kerala.

MADAM SPEAKER: Shri P. Karunakaran, Shri Jose K. Mani and Shri M.B. Rajesh are allowed to associate with this matter.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Madam, I also want to associate with this matter. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You may also associate yourself with it.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please send a slip and associate yourselves with it.

श्री अशोक अर्गल (भिंड): माननीय अध्यक्ष महोदया, घरेलू गैस की कई जगह जो किल्लत है, उससे आम उपभोक्ता तक डीलरों द्वारा गैस को घर पर नहीं पहुँचाया जाता। जो एरिया मैनेजर बड़े बड़े शहरों में बैठते हैं, वे कभी उन इलाकों में नहीं जाते हैं, कभी उपभोक्ताओं से नहीं मिलते हैं कि क्या समस्या है गैस की। माननीय अध्यक्ष महोदया, कई जगह कोर्ट के आदेश से गैस की एजेन्सियाँ बंद हुई हैं लेकिन उनको दोबारा चालू नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र भिंड में, दितया में एक एक एजेन्सी बंद है। एक एजेन्सी मुरैना में बंद है लेकिन उनके विकल्प के तौर पर कोई नई एजेन्सी नहीं खोली गई है।

अध्यक्ष महोदया : यह आप कौन सा मैटर उठा रहे हैं? जिस पर आपने नोटिस दिया है वह नहीं उठा रहे हैं।

श्री अशोक अर्गल: नोटिस क्या है?

अध्यक्ष महोदया : आप कुछ और मैटर उठा रहे हैं। आपका नोटिस सीजीएचएस से संबंधित है। It is regarding enhancement of fee from Rs. 18,000 to Rs. 60,000 for issuance of CGHS cards to ex-MPs.

श्री अशोक अर्गल: सॉरी अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदया : अब आप इसे बाद में उठाइएगा।

श्री जगदिम्बिका पाल (दुमिरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए अनुज्ञा दी है। इस सदन में कई बार विंता व्यक्त की जा चुकी है कि इस बार जून और जुलाई में जो सामान्य मानसून आना चाहिए था, वह नहीं आया है। 1 जून से 30 जुलाई तक 307 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, उसके सापेक्ष केवल 128.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके कारण पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति व्याप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने स्वयं इस बात को माना है कि 71 में से 60 जनपद ऐसे हैं, जो कि सूखे की चपेट में हैं और जहां 40 प्रतिशत भी बारिश नहीं हुई है। इस बार मानसून नहीं आने से खरीफ की फसल बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। 53 लाख हेक्टेयर में हल नहीं चले हैं, जहां धान की बुआई होनी थी, वह अभी तक नहीं हुई है। भारत के कृनि मंत्री जी ने शुक्रवार को सदन में कहा कि सूखे के संबंध में केन्द्र सरकार ने एक आपात योजना लागू की है। उस आपात योजना के तहत हम राज्यों को सूखे से संबंधित सहायता करना चाहते हैं, लेकिन देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसने सूखे के संबंध में कोई जानकारी भी नहीं दी है, यहां तक कि कोई मेमोरेण्डम भी नहीं दिया है, चार्टर आफ डिमाण्ड भी नहीं दिया है। जब शुक्रवार को सदन में बयान आया...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मुझे बोलने के लिए कम से कम तीन मिनट का समय तो दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनिवार को आनन-फानन में...(व्यवधान) महोदया, मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब एसोसिएट कर लीजिए। इस पर चर्चा होने वाली है, उस समय आप इस पर बोलिएगा। आप अभी इससे संबद्ध कर लीजिए। शून्य काल के बचे हुए वि-ाय शाम को लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदया, मैं अपने को उक्त विनय से संबद्ध करता हूं।

श्री शेलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): महोदया, मैं अपने को उक्त वि-ाय से संबद्ध करता हूं।

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): महोदया, मैं अपने को उक्त विनय से संबद्ध करता हूं।

MADAM SPEAKER: Matters under Rule 377 listed for the day are to be treated as laid on the Table of the House.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Now, we will take up further discussion on the Finance (No. 2) Bill, 2009.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: The next speaker to speak on the Finance Bill is Shri Sanjay Nirupam.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। हमने संजय निरूपम को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल श्री संजय निरूपम की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। शाम को शून्य काल में अपनी बात उठाइगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, फाइनेन्स बिल पर चर्चा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

12.23 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Matters under Rule 377 listed for today may be treated as laid on the Table of the House.

(i) Need to improve the deteriorating law and order situation in Delhi

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Incidents of gold chain snatching are on the increase in Delhi. A number of cases have been reported from Dwarka, Lawrence Road and Mayur Vihar in Delhi. A number of cases go unreported for fear of embarrassment and legal complications. Hindustan Times and other dailies are carrying similar stories from various parts of Delhi. Similarly, devotees are being targeted at various temples by chain snatchers who deprive them of their gold jewellery. Also, Ladies travelling in their cars are being targeted at the red light signals in front of traffic police. Gold chains are being snatched from ladies waiting at the bus stands in broad-day light.

Another development is about school students who are being threatened by persons posing as police officials in civil uniform. If a boy and girl student is seen together in a car or on their way from the tuition centre in the evening they would be threatened that they were indulging in indecent activities and case will be registered against them in the police station unless whatever cash or gold they carry is handed over. School children being soft targets are easy prey to them. Even after lodging FIRs no action is taken by the police.

I, therefore, urge upon the Hon'ble Minister of Home Affairs to take urgent necessary action to improve the law and order situation in the capital of the nation.

_

^{*} Treated as laid on the Table.

(ii) Need to set up Navodaya Schools in Tamil Nadu

SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI): The programme of setting up of Navodaya Schools all over the country has been widely welcomed by all sections of the people all over India and the project is a well conceived one.

But it is noted with surprise that not even a single Navodaya school has been opened in any part of the State of Tamil Nadu. The Government should give a serious thought as to what is the exact cause of this present scenario and take immediate steps in consultation with the State Government and ensure the presence of this much appreciated project so that the people of Tamil Nadu are also able to reap the benefit of this scheme for education.

I hope the Government will look into my suggestion and do the needful.

(iii) Need to ensure adequate supply of power to farmers in Uttar Pradesh particularly in Siddharth Nagar district of the State

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): मानसून समय से न आने के कारण उ०प्र० में किसानों की खरीफ की फसल पर भारी प्रभाव पड़ा है। धान की फसल 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे विद्युत आपूर्ति के सरकारी मानक के विपरीत अघोनित विद्युत कटौती ने किसानों की बची आशाओं पर और पानी फेर दिया है। किसानों की हितैनी केन्द्र सरकार ने उनके समक्ष उत्पन्न संकट के लिए आपात योजना तैयार कर समाधान का प्रयास किया, किंतु उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत अनापूर्ति का संकट बना हुआ है। किसानों के इस संकट हेतु राज्य से कोई समाधान योजना भी नहीं चल रही है। सिद्धार्थ नगर जिले के बांसी करबे में 20 जून, 2008 को विद्युत उपभोक्ताओं ने सरकारी मानक के अनुरूप बिजली आपूर्ति की मांग की है। अतः मैं केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों के लिए तैयार की गई आपात योजना को उ०प्र० में लागू किये जाने की मांग करता हूं।

(iv) Need to construct a Railway overbridge at Chilbilla Railway crossing in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): इलाहाबाद से फैजाबाद, रा-ट्रीय राजमार्ग पर मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में चिलबिला क्रासिंग क्षेत्र पड़ता है, जिस पर एक ऊपरी पुल बनाने का कार्य स्वीकृत हो चुका है। इस ऊपरी पुल बनाने की मांग जनता कई सालों से कर रही है। यह ऊपरी पुल बनाने के लिए मैंने छः साल पूर्व सदन में मामला उठाया था। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस ऊपरी पुल के पास जो अप्रोच रोड़ है, वह स्वीकृत नहीं हुआ है। जब तक अप्रोच रोड नहीं बनेगा तब तक ऊपरी पुल भी नहीं बन पायेगा। शहर का यातायात बहुत ज्यादा होने से शहर में जाम रहता है, जिसके कारण लोगों का समय बर्बाद होता है एवं लोगों को असुविधा होती है। जिस सड़क पर ऊपरी पुल बनना प्रस्तावित है, यह सड़क कई जिलों को पार कर अन्य राज्यों में पहुंचती है, जिसके कारण कई राज्यों एवं जिलों का यातायात इसी सड़क से होकर निकलता है। ऊपरी पुल नहीं बनने से यहां पर कई सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं।

सदन के माध्यम से अनुरोध हे कि जनहित में उपरोक्त चिलबिला क्रासिंग के स्वीकृत ऊपरी पुल निर्माण को शुरू करवाने हेतु अप्रोच मार्ग की स्वीकृति भी शीघ्र दी जाये, जिससे स्वीकृत चिलबिला क्रासिंग पर ऊपरी पुल शीघ्र बन सके।

(v)Need to provide financial assistance to the farmers in Porbander and Junagarh district of Gujarat whose crops have been damaged due to heavy rain in the State

श्री कुँवरजीभाई मोहनभाई बाविलया (राजकोट): हाल ही में गुजरात के दो जिलों पोखंदर तथा जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन करने वाले किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों के खेतों में जलभराव के कारण सौ प्रतिशत फसल का नुकसान होने का अनुमान है तथा साथ ही घरों में पानी भरने तथा जानवरों के डूब जाने के कारण कई मौतें हो चुकी हैं, जिससे जिले के किसान का खेती का भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन राज्य प्रशासन द्वारा अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे किसानों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है।

केन्द्र द्वारा ऐसे जिलों के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय टीम का गठन करके नुकसान का आकलन किया जाये तथा किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति से निपटने हेतु विशे-। पैकेज की सहायता ग्रामीण किसानों तक पहुंचाने के लिए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

(vi) Need to launch National Deafness Control and Rehabilitation Programme for the betterment of persons suffering from deafness

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): Deafness is a disease caused due to various reasons viz. antenatal, congenital, organic defects and due to injuries. Also, because of deafness from the childhood, children become mute and they will called deaf-mutes.

Now the medical field had become so advanced, deafness due to many causes are surgically correctable, hearing Aids, could be provided to the sufferers of deafness depending on the cause.

In the year 2004-2005, there was a representation from nearly 40-45 Members of Parliament to make deafness controlling programme as a national programme. After lot of discussion and deliberations the Planning Commission had agreed to take up the deafness controlling programme as a national programme under the name of National deafness control and Rehabilitation Programme and the programme was taken up in 60 districts in first phase and later it was extended to 110 districts in the country. Now the programme is not taken up with the spirit with which it was taken up earlier and it is running at snail pace. Now, through you madam Speaker, I request Government of India to take up the "Deafness Control and Rehabilitation Programme" nation wide and allocate sufficient funds for the programme to be implemented in a better way to help the deaf and deaf-mute children to become independent to earn their lively hood on their own instead of their becoming dependent on the parents and on the whole on the society and at their mercy.

(vii) Need to control the erosion caused by river Bhagirathi in West Bengal

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The river Bhagirathi in West Bengal has been under constant state of erosion. Many towns and cities apart from hundreds of villages are situated along the course of river Bhagirathi. Even the great religious reformer Sri Chaitanya once started preaching his religion of love from the holy place Nabadeep which is also endangered by the massive erosion of river.

One after another village has also gone into extinction on account of the erosion. People who reside on the bank of Bhagirathi do not know when their houses, lands will be wiped out as everything depends upon the mercy of the river.

I would, therefore, urge upon this Government to take remedial measures in consultation with State Government to ward off the threat of erosion caused by river Bhagirathi in West Bengal.

(viii) Need to construct bypass road in Gumla city, Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा अंतर्गत गुमला जिले के शहर के बीच में कई राज्यों से भारी यातायात आता जाता है एवं बड़े भारी वाहन शहर के बीचोंबीच निकलते हैं। इन वाहनों से दुर्घटनाओं के कारण जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के बीच से भारी यातायात को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण यह बड़े वाहन शहर के बाहर 12 घंटे तक खड़े रहते हैं जिसके कारण समय की बर्बादी होती है। गुमला शहर के लिए एक बाईपास का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। इसका शिलान्यास भी हो चुका है, परन्तु आज तक यह बाईपास नहीं बना है, जिसके कारण गुमला शहर का यातायात प्रायः जाम रहता है और कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। उक्त बाईपास को तत्काल बनवाया जाये।

(ix) Need to construct a new bridge on N.H. 29 (E) between Gorakhpur and Sonauli in Uttar Pradesh

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): गारेखपुर-सोनौली राजमार्ग भारत को नेपाल से जोड़ने के साथ-साथ अंतर्रा-ट्रीय बौद्ध परिपथ का एक भाग है, जो भगवान बुद्ध की जन्मरथली लुम्बनी को उनकी निर्वाणस्थली कुशीनगर और सारनाथ से जोड़ता है। इसके रा-ट्रीय और अंतर्रा-ट्रीय महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे रा-ट्रीय राजमार्ग संख्या 29(ई) करने का निर्णय लिया। इस राजमार्ग के कि.मी. 86 पर गोरखपुर महानगर को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने के लिए सन 1964 में एक सेतु बना था, जिसे महेसरा सेतु के नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर, 2006 को यह सेत् पहली बार क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे इस अंतर्रा-ट्रीय महत्व के मार्ग पर 2 माह तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। भारतीय रा-ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस सेत् की मरम्मत आदि का कार्य सम्पन्न किया लेकिन 29 अप्रैल, 2007 को यह सेत् पुनः क्षतिग्रस्त हो गया तथा तीन माह तक इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। जुलाई, 2007 के अंत में मरम्मत के बाद यह सेतृ खोला गया तो 14 अगस्त, 2007 को यह सेतृ पुनः क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आवागमन पुनः बाधित हो गया तथा पांच माह तक इस मार्ग पर आवागमन बाधित होने के बाद दिसम्बर, 2007 में इस सेतु को यातायात के लिए मरम्मत करके चलाया जा रहा है। लेकिन इस अंतर्रा-ट्रीय महत्व के मार्ग पर जो कि गोरखपुर को अन्य जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रवास्ती के साथ जोड़ता है। साथ ही नेपाल जाने का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। इस मार्ग पर 20 टन से अधिक क्षमता का भार यह सेतृ नहीं उठा सकता। नए सेतृ के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय रा-ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंत्रालय को प्रे-ित की है। इस मार्ग के रा-ट्रीय और अंतर्रा-ट्रीय महत्व को देखते हुए नया सेत् बनना आवश्यक है।

कृपया इस मार्ग के रा-ट्रीय और अंतर्रा-ट्रीय महत्व को देखते हुए महेसरा सेतु के बगल में एक नए सेतु का निर्माण सुनिश्चित कराया जाये।

(x)Need to address the problems of people displaced due to Pong dam Project

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): पोंग बाँध विस्थापितों को राजस्थान में भूमि आवंटन हेतू वर्न 1972 में नियम बनाकर भूमि का आवंटन किया गया था। पोंग बाँध विस्थापितों द्वारा उन आवंटित जमीनों को आवंटन तिथि के 20 वर्न पूर्ण होने से पहले राजस्थान प्रदेश के निवासियों को अवैधानिक रूप से विक्रय कर दिया गया। इन अवैधानिक हस्तान्तरणों को विनियमित किये जाने हेत् राजस्थान सरकार द्वारा वर्न 1992 में नियम 6ए बनाया गया। इस नियम के तहत लगभग 2000 मुख्बों का विनियमितीकरण कर लगभग 3 लाख रूपये प्रति मुख्बा 6(ए) के तहत आवंटियों से वसूल किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्न 1996 में नियम 6(ए) को गैर कानूनी मानते हुए खारिज कर दिया तथा इन विनियमितिकरण प्रकरणों के पुनरार्वलोकन हेत् विशि-ट न्यायालय स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये। इसमें हाई पावर कमेटी नामिनेट की गई, जिसके अध्यक्ष जल संसाधन सचित भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के राजस्व सचिव सदस्य मनोनीत किये गये। विशि-ठ न्यायालय द्वारा श्रीगंगानगर में कुल 1926 प्रकरणों की जाँच की गई। न्यायिक निर्णयों की पालना में 468 प्रकरणों में कब्जा पुनः मूल पोंग बाँध विस्थापित आवंटी को दिलाया जाना एवं राजस्थान प्रदेश के निवासी को बेदखल किया जाना था। कब्जा प्राप्त करने हेत् उपस्थित 436 पोंग बाँध विस्थापितों को पुनः कब्जा दिलवाया जा चुका है। न्यायिक निर्णयों की पालना में 1188 प्रकरणों में भूमि पुनः राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित की जा चुकी है। 270 प्रकरण संबंधित श्रीमान उप-जिला कलेक्टरों के पास विचाराधीन है। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक सभी पत्र पोंग बाँध विस्थापितों के भूमि आवंटन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्न 1981 में दोनों राज्य सरकारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार 1559 प्रकरणों में अतिरिक्त भूमि आवंटन राजस्थान सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र द्वितीय चरण में कर दिया गया है। लगभग 3000 प्रकरणों में भूमि आवंटन के आवेदन पत्र निर्धारित समयाविध में प्राप्त नहीं होने से राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें नियमानुसार निरस्त कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार इन प्रकरणों में राजस्थान सरकार द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार कर उदार रवैया अपनाते हुए भूमि आवंटन की अपेक्षा कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा 2006 में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर जुलाई 2006 में शिमला में उप समिति की बैठक हुई। अगस्त 2006 में उपरोक्त मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक दिल्ली में बुलाई गई। जुलाई 2008 में शिमला में भी बैठक कर यह समझौता किया

गया कि 2946 मुख्बा भूमि पोंग बॉध विस्थापितों को इन्दिरा गाँधी नहर के द्वितीय चरण में आवंटन किया जाएगा एवं सर्पोच्च न्यायालय के फैसले मुतबिक 118+270 प्रकरणों पर हिमाचल सरकार एवं पोंग बाँध विस्थापित समिति अपना अधिकार छोड़ देंगे। सितम्बर 2008 में हाई पावर कमेटी की मिटींग दिल्ली में हुई, जिसमें हिमाचल के राजस्व सचिव द्वारा 1188 प्रकरणों पर अपना राईट छोड़कर द्वितीय चरण में भूमि लेना स्वीकार किया। अतः केन्द्र सरकार इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर बहुत व-र्गें से लम्बित प्रकरण पोंग बाँध विस्थापितों की समस्याओं को निवारण कराएं।

(xi) Need to redress the problems of people suffering from various body deformities due to presence of high Fluoride content in water

डॉ. भोला सिंह (नवादा): बिहार के नवादा जिले के रगौली प्रखंड अन्तर्गत कचहरिया डीट गांव में पांच सौ परिवारों का जीवन पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण घोर चिंता का वि-ाय बना हुआ है। इससे सभी लोग विकलांग हो गये हैं। दिलत, महादिलत, अति पिछड़े परिवारों के होने के कारण कोई गम्भीरता किसी भी स्तर से नहीं दिखायी पड़ती है। 2003 में केन्द्रीय सरकार की ओर से विशे-ाज्ञों की एक टीम स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजी भी गई और उसका प्रतिवेदन भी सरकार को प्राप्त हुआ, पर उसी अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। पांच सौ परिवारों का यह विकलांग गांव आज भी देश के भाग्यविधाताओं की बाट जोट रहा है।

मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि अविलम्ब इस गांव की आने वाली रा-ट्रीय पीढ़ी को विकलांग होने से बचाने का कार्य करने की कृपा करें।

(xii) Need to withdraw the decision to privatise the Scooters India Limited

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के विनिवेशीकरण के निर्णय से इस उद्योग के कर्मचारी उत्तेजित है तथा सरकार के इस कदम का उन्होंने विरोध किया है। स्कूटर्स इंडिया ने लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादन किया है जिसका नतीजा यह हुआ कि वित्तीय वर्न 1996-97, 2005-2006 तक कंपनी ने करोड़ों रुपये लाभ कमाया जिसमें से करीब 56 करोड़ रुपये बैंक में फिक्स डिपाजिट कराया गया है। फिर भी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को निजी क्षेत्र की कंपनी महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा को सौंपना चाहते हैं जोकि अत्यंत ही दुःख की बात है एवं कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है।

इसलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रबंधन व्यवस्था का पुनर्गठन हो तथा उस व्यवस्था को सरकार के द्वारा जरूरी कार्यशील पूँजी तकनीकी आदि की सहायता प्रदान की जाय।

कर्मचारियों के जीविकोपार्जन एवं गुजारे के लिए कम से कम पूर्ण वेतन अवश्य सुनिश्चित किया जाय जिससे औद्योगिक शांति बनी रहे।

(xiii) Need to construct a Road Overbridge at Mandi Shyam Nagar level crossing in Gautam Budh Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (GAUTAM BUDH NAGAR): I would like to draw the kind attention of the Government regarding urgent need to construct a bridge over Mandi Shyam Nagar railway crossing near Dankaur Railway Station in my Parliamentary Constituency, Gautam Budh Nagar.

Dankaur is just 6 kms away from Sikandrabad. Sikandrabad is a very old town and is the only UPSIDC's Industrial area of Bulandshahar having many big and medium to Small Scale Industries.

This railway crossing is on the main road connecting the two cities of Bulandshahr and Gautam Budh Nagar and connects Sikandrabad, Jhajar, Dankaur, Noida, and Greater Noida and has resulted in huge traffic congestion. A Road-Over-Bridge is very much essential and it is long pending

I urge upon the Railway Ministry to construct Railway Bridge at Mandi Shyam Nagar crossing to reduce the traffic congestion, so as to ensure free movement of the traffic of the two districts of my Constituency viz. Gautam Budh Nagar and Bulandshahar.

(xiv) Need to provide air connectivity to Muzaffarpur in Bihar with other parts of the country

कैप्टन जय नारायण प्रसाद नि ॥द (मुज़फ़्फ़रपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर बिहार प्रांत के अग्रणी जिलों में है। राजधानी पटना से लगभग 100 किलो मीटर की दूरी पर बसा यह शहर बिहार प्रांत की व्यावसायिक राजधानी है। यहां के लोग व्यवसाय आदि के क्रम में दिल्ली, मुम्बई, पटना जैसे बड़े शहरों में आते जाते रहते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश यहां के लोग हवाई यात्रा की सेवा से वंचित हैं। यहां के व्यवसायी एवं अन्य संभ्रान्त लोगों को हवाई यात्रा हेतु करीब चार घंटों की सड़क यात्रा के बाद पटना से उड़ने वाली सेवाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध में विमानपत्तन के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी केन्द्र में लंबित है।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि मुजफ्फरपुर शहर को अन्य शहरों से हवाई सेवा से जोड़ने हेतु अविलंब आवश्यक कदम उठाये जायें।

(xv)Need to exempt Service Tax on Health Insurance Scheme introduced by the Government of Tamil Nadu for the poor

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): The Government of Tamil Nadu has introduced a pioneering health insurance scheme for the poorer sections of the society who can ill afford medical expenses. Under this scheme, one crore people have been identified to be the beneficiaries to begin with. On its part, Government of Tamil Nadu will be spending Rs. 517 crore towards annual premium for this insurance scheme covering the needy poor people. While issuing Insurance Identity Cards to the beneficiaries, the Chief Minister of Tamil Nadu pointed out that Rs. 48 crore of Service Tax to be levied on this premium amount for availing this service for the poor must be exempted. He has appealed to the Centre that for such a social welfare measure carried out by the Government, Service Tax exemption must be given so that the amount so saved now could be used by the Government of Tamil Nadu for other poverty alleviation programmes. So I reiterate the appeal made by the Chief Minister of Tamil Nadu in public interest. I hope the Union Finance Ministry would positively consider this.

(xvi) Need to extend social security benefits and other basic facilities to the workers of Knitting Industry in Tiruppur, Tamil Nadu

SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): Global economic recession has its ramifications in the lives of about three lakh workers of the Tiruppur Knitting Industry. Most of them are migrant labour from the other districts of Tamil Nadu. Both the labour force and the Knitting industry need protection through certain measures of the Government including financial assistance to the workers. Multistorey dwelling units must be constructed to accommodate the migrant labour thronging the industrial town Tiruppur and these apartments may be provided under SPOS i.e. stay, pay and own scheme extending long term loans to these workers. To augment health care facilities for this working class the raising of ESI hospital must be speeded up. Hostels for working women and single men among them must be constructed. Primary schools and high schools must be exclusively established for ensuring basic education for the children of the workers of the Knitting units. Small entrepreneurs among them must get long term credit at lower interest rates. Noyyal river polluted by dye effluents must be cleaned and reclaimed for irrigation purpose. All the labour working in the Knitting units of Tiruppur now are covered under Industrial Disputes Act and other laws and rules of Labour Welfare Department of the Government and are paid Rs. 175 plus allowances as minimum wage per day. I urge upon the Union Government to intervene and nip in the bud the attempts reportedly made in some quarters to scale down and pay these workers a mere Rs. 80 per day by way of bringing this labour force under National Rural Employment Guarantee Act.

(xvii)Need to open a Kendriya Vidyalaya at Bhanjanagar in Ganjam district of Orissa

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): There is a long standing demand for establishing a Kendriya Vidyalaya at Bhanjanagar in Ganjam district of Orissa. The Collector, Ganjam has submitted all necessary required documents, etc. to the Government and the matter is pending with the Central Government.

I draw the attention of the Minister of Human Resource Development to kindly consider the matter so that the employees of Central Government and public are benefited.

(xviii)Need to develop Lonar Lake in district Buldhana, Maharashtra as a tourist spot

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Lonar Lake is one of the three natural salt-water lake in the world with a diameter of 1800 metre. It is situated near Lonar village in the Buldhana district, Maharashtra. As the water of this lake is salty, the presence of species of bacteria related to water borne diseases were also found higher indicating the non-potable nature of the lake water but the stream (DHARA) water is normal and, therefore, has medicinal value, its importance could be gauged by the fact that during the reigns of Akbar, a salt factory was located here. To add to its natural beauty the lake has enough fauna in its surroundings making it a serene and scenic spot.

The lake is circular except on the north-east side, where siltation caused by the Dhara has created small mudflats. The crater is 150 metres in depth and is absolutely confined from all sides by the walls of the crater and there is not a single channel draining way from it, thereby leaving the lake waters stagnant for thousands of years. A large portion of the lake is rather shallow, preserving about two metres of water during the monsoon months. However, the lake has dried up completely in the year 1991. Keeping in view the medicinal value of the salty water, the State Government should dig up the crater to get water in the lake.

In view the Lonal lake's historical, scientific, and medicinal value, I feel that this lake alongwith other temples could be developed as a tourist spot which may yield revenue to the State Government. Madam Speaker, through you, I would like to request the Central Government to extend all assistance and facilities including financial assistance to State Government in this regard.

(xix)Need to ensure adequate supply of water from Godavari river to Andhra Pradesh

SHRI RAMESH RATHOD (ADILABAD): The Government of Maharashtra is constructing 14 barrages across Godavari river. The Babli Project alone could deprive Sri Ram Sagar Project 65 TMC of water. The enormity of loss to the State of Andhra Pradesh could be estimated from this that if all the 14 projects are allowed to be completed, the major part of Telangana will become a desert perpetuating poverty in this part of the state of Andhra Pradesh.

(xx) Need to check hoarding of sugar in the country

SHRI SADASHIVRAO DADOBA MANDLIK (KOLHAPUR): My constituency of Kolhapur is located in sugar producing belt of Western Maharashtra and there are more than 15 sugar factories of various capacity located in this district. The sugar produced by these factories is mostly sold either in open market on tender or as levy sugar through Food Corporation of India (F.C.I.) on direct order of Chief Director, Sugar, (Department of Public Distribution) New Delhi.

A number of raids have been carried out by the local civil supply department on various sugar holding godowns located in the district. Recently, more than 5 lakhs bags of sugar worth more than Rs. 62 crore have been seized.

Legally no trader is permitted to stock more than 2000 qts. of sugar and the time limit to dispose of this stock is 30 days under the Essential Commodity Act beyond which this stock becomes illegal. The details of various traders have been called for by the concerned authorities.

Through your good office, Madam, I urge the Minister of Agriculture Consumer Affairs Food & Public Distribution to take strict action against hoarders an issue instructions to cancel the Licenses of concerned traders and also proceed legally to impose on them maximum punishment under the law to curb this tendency which is detrimental to the interest of the common man.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप फाइनेंस बिल पर चर्चा होने दीजिए। अब जीरो ऑवर शाम को भी होगा, उस समय आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शाम को जीरो ऑवर होगा, उस समय आप बोलिए। ये सब रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए। जीरो ऑवर शाम को भी होगा, उस समय आप बोलिए। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने जीरो ऑवर में बोलना है।

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया: श्री संजय निरूपम जी जो बोल रहे हैं, केवल वही रिकार्ड में जाएगा। अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। श्री संजय निरूपम जी का ही रिकार्ड में जा रहा है, आप शाम को बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रामिकशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, शाम को बोलिए। अब फाइनेंस बिल पर चर्चा शुरु हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए। फाइनेंस बिल पर चर्चा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है।

...(व्य[ा]वधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। संजय निरूपम जी, आप बोलिए।

^{*} Not recorded.

श्री वि णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया: बहुत से नोटिसेस हैं, जो शाम को आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बहुत से माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं और वे शाम को बोल रहे हैं। वे धेर्य पूर्वक शाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप अभी फाइनेंस बिल पर चर्चा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइए। हमने अभी कहा है कि सूखे पर जब चर्चा होगी, तब आप बोलिए। ...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने नहीं दिया गया।...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया: आपका नाम एसोसिएट कर लिया गया है।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, the Government has the responsibility on the issue. I have given notice on this. This is a very serious issue. MADAM SPEAKER: You have been associated with this matter.

SHRI P. KARUNAKARAN: The proposed Agreement on trade is a serious issue. Lakhs and lakhs of farmers in Kerala are going to die. The Government has taken the decision when the Parliament is in session. The Government has no right to take the decision when the Parliament is in Session. The Government has to respond as to what would be the effect on the farmers. I request the Government to make a statement on this issue.... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए। जब सूखे पर चर्चा होगी, उसमें आप भाग ले लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए। इस समय फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी अत्यंत आवश्यक है, आप कृपया इस पर चर्चा होने दीजिए। संजय निरूपम जी, आप बोलिए।।

12.29 hrs.

FINANCE (NO. 2) BILL, 2009 – contd.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up further discussion on the Finance Bill. Shri Sanjay Nirupam to continue his speech.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने की अनुमित दी। पिछले शुक्रवार से हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के दरम्यान देश में जो वित्तीय प्रबंधन की स्थिति है, उस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक गतिविधियों पर एक अच्छी चर्चा होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, शुक्रवार को बड़ी अच्छी चर्चा हुई और उसमें बड़े अच्छे विनय निकल कर आए। मैं सबसे पहले हमारे यहां जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उससे जुड़े दो विनयों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्नित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मुझे मालूम है एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ ग्लोबल रिसेशन है। इन दोनों के बीच हिन्दुस्तान एक फास्टैस्ट इमर्जिंग इकनौमी की तरह काम काम कर रहा है। पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया है। पिछले चार-पांच व-्रों में हमने बड़े अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस भी दी है। उस परफॉर्मेंस के बाद जो यह नया संकट आया है, उससे हम अच्छे ढंग से निपट रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, वे नहीं हो पाईं, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा नहीं था और संकटपूर्ण स्थित के दौर से हम गुजर रहे थे।

महोदया, मैं दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकिर्-ित करना चाहता हूं। पहली कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के संबंध में कहना चाहता हूं कि लगभग छः साल पहले एन.डी.ए. की सरकार ने अपने देश में कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कराई। यह छः साल पुराना सैक्टर है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि छः साल के अंदर कमोडिटी एकसचेंजेज का व्यापार लगभग 52 ट्रिलियन रूपीज के आसपास हो गया है। इन कमोडिटी एक्सचेंजेज पर भी एक नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि किस प्रकार की कमोडिटीज की ट्रेडिंग होनी चाहिए या नहीं, पहले इस पर विचार होना चाहिए। कमोडिटीज ट्रेडिंग पर पहले की तरह, मार्केट में ट्रांजैक्शन टैक्स के आधार पर टैक्स लगाने का एक प्रपोजल आया था। मुझे समझ नहीं आता कि उस प्रपोजल को किस आधार पर रिजैक्ट किया गया और उस टैक्स को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? मैं चाहंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस टैक्स को लागू करे।

महोदया, कमोडिटीज एक्सचेंजेज का जो कामकाज है, यह बहुत वोलेटाइल है और शायद स्टॉक मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। मुम्बई की एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। उसके तीन महीने के व्यापार के आंकड़े मैं बताना चाहता हूं। मार्च, 2009 में एम.सी.एक्स. के व्यापार का वॉल्यूम 5.28 लाख करोड़

रुपए का था। अप्रेल, 2009 में घटकर 4.03 लाख करोड़ हो गया और मई, 2009 में घटकर 2.71 लाख करोड़ रुपए रह गया। इसके माध्यम से मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर इस मार्केट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ। ऐसे में इस पर निश्चित रूप से नियंत्रण होना चाहिए और जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, उसे पुनः लगाया जाना चाहिए।

महोदया, नियंत्रण के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि अपने यहां स्टॉक मार्केंट को रैगुलेट करने के लिए जिस प्रकार से सेबी है, बिलकुल उसी तरह से कमोडिटीज एक्सचेंज को रैगुलेट करने के लिए बी उन्हें सेबी के अधीन लाया जाना चाहिए। आज जो फॉरवर्डिंग मार्केटिंग कमीशन है, वह बहुत सक्षम तरीके से कमोडिटीज एक्सचेंजेज को रैगुलेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस काम को आने वाले दिनों में एग्रीकल्वर मिनिस्ट्री से निकाल कर, फायनेंस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत लाया जाए, क्योंकि इन कमोडिटीज एक्सचेंजेज में हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, उनकी ट्रेडिंग हो रही है। मैं बताना चाहता हूं दो साल के बैन के बाद, गेहूं की ट्रेडिंग 3 जुलाई, 2009 से शुरू कर दी गई है। कमोडिटीज एक्सचेंजेज में सरसों के तेल, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और मसूर दाल की ट्रेडिंग होती है। ये सब आम आदमी के उपयोग की चीजें हैं। अगर सट्टेबाज और ट्रेडर्स हमारे रोज की खाने-पीने की चीजों की ट्रेडिंग शुरू कर दें और उन पर कमाई करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह महंगाई का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर पुनर्विचार करे और उसे लागू करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है और ऐसा नहीं है कि इसे फलने-फूलने देने के लिए कोई प्रोटैक्शन देने की जरूर है। मेरी मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी सेबी के अधीन लाने का प्रयास किया जाए।

महोदया, दूसरी बात, जो मैं टैक्स स्ट्रक्चर के संदर्भ में कहना चाहता हूं, वह है वर्न 2006 में हमारे पूर्व वित्त मंत्री महोदय ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स पर, इन्कम टैक्स लगाया। उन्हें टैक्स लिमिट में लिया। मैं समझता हूं कि अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स का हमारे देश में एक बहुत बड़ा सैक्टर बन गया है। लगभग 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ के आसपास इसके मैम्बर हैं। पूरे हिन्दुस्तान में 1800 या 1850 के लगभग बैंक्स हैं। को-आपरेटिव मूवमेंट, सामाजिक आन्दोलन का एक हिस्सा रहा है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये सारे बैंक्स काम करते हैं। इससे पहले यह क्षेत्र कभी टैक्स लिमिट के अंदर नहीं था। जैसे रूरल को-आपरेटिव बैंक्स हैं या रूरल सैक्टर है या एग्रीकल्चर सैक्टर है, उसे हमने कभी भी इन्कम टैक्स लिमिट में नहीं लिया। इसी प्रकार से अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स को भी पहले कभी टैक्स लिमिट में नहीं लिया था, लेकिन पिछली बार श्री पी.चिदम्बरम साहब ने इसे टैक्स रेट में लिया। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इसे पहले की तरह से टैक्स रेट से निकाला जाए, क्योंकि यह व्यवस्था केवल हमारे यहां ही नहीं

है, बल्कि दुनिया के 18 देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। उसमें अमरीका भी है। वहां भी जो अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स हैं, को-आपरेटिव सोसायटीज अथवा क्रेडिट सोसायटीज होती हैं, उनकी इन्कम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो मेरा निवेदन होगा कि इससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि एक जो सैक्टर है, वह बहुत ही कमजोर वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो बैंकों तक भी नहीं पहुंचता, बैंकों से लोन नहीं ले पाता, उस वर्ग को कैटर करने के लिए, उस वर्ग की मदद करने के लिए, उस वर्ग की सेवा करने के लिए यह पूरा सैक्टर, अर्बन बैंक का सैक्टर प्रमोट किया गया था। मेरा निवेदन होगा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाये, ताकि अर्बन कोआपरेटिव बैंक का सैक्टर है तो वह फिर से अच्छे ढंग से चले।

में देखता हूं कि प्रणव बाबू ने जो बजट पेश किया, वह मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करता है और मैं इसका अभिनन्दन करता हूं। गांवों का विकास होना चाहिए, गांवों में रहने वाले हमारे जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनका विकास होना चाहिए। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि थोड़ा सा शहरों की तरफ भी ध्यान दिया जाये। हमारे यहां जो बड़े-बड़े शहर हैं, उन शहरों में साक्षात गांव पलने लगे हैं। जो लोग झोंपड़पटिटयों में जी रहे हैं, वे गांवों की स्थिति से कोई बेहतर नहीं हैं। उनका लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन शैली लगभग वैसी है। मैं यह देख रहा हूं कि इस समय लगभग 40 प्रतिशत की दर से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। महारा-टू इस समय एक ऐसा प्रदेश है, जहां लगभग 42.4 परसेंट अर्बन एरिया है, अर्बन हैबीटेट्स हैं। तमिलनाडू हालांकि हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, तमिलनाड़ इस समय 43.9 परसेंट से एक नम्बर पर है। गुजरात भी लगभग 37.4 परसेंट के आसपास है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन या शहरी गरीब लोगों की संख्या बढती चली जा रही है। एक अंदाज है कि आने वाले 2030 के आसपास लगभग 575 मिलियन यानि पूरी आबादी का 41 प्रतिशत लोग शहरों में रहेंगे और ऐसे में शहरों को राज्य सरकारों के भरोसे या फिर वहां की म्यूनिसिपैलिटीज़ या कारपोरेशंस के भरोसे छोड़ दिया गया तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं होगा। आने वाले दिनों में धीरे-धीरे शहरों की ओर ध्यान दिया जाये। शहरों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ योजनाएं हैं, जैसे जवाहर लाल नेहरू रिन्युअल मिशन वगैरह जो हैं, वे जरूर हैं, लेकिन अभी उस पर उतना फोकस नहीं जा रहा है और मैं यह देख रहा हूं कि पूरी जी.डी.पी. में जो शहरों का योगदान है, लगभग 55 प्रतिशत हमारी शहरी आबादी का योगदान जी.डी.पी. में है।

मैं रा-ट्रपति महोदया का बड़ा स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने संयुक्त अधिवेशन के रा-ट्रपतीय अभिभा-ाण जो सरकार का संकल्प सुनाया, उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्न में इस देश को

झोंपड़पटिटयों से मुक्त किया जायेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूं, वह शहर सबसे ज्यादा झोंपड़पटिटयों की जिंदगी से परेशान है और वहां पर हमारे बहुत सारे भाई-बहन झोंपड़पटिटयों में बहुत नरक की जिंदगी जीते हैं। अभी एक सर्वे आया, जिस सर्वे के तहत बताया गया कि लगभग 6 करोड़ के आसपास पूरे हिन्दुस्तान में लोग झोंपड़पटिटयों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहने वाला हमारा एक वर्ग है। उसकी जो गरीबी है, वह ग्रामीण गरीबी से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। ऐसे में मैं चाहुंगा कि इस सरकार ने जो घो-ाणा की है, राजीव आवास योजना की, उस योजना का स्वागत करते हुए जरा उस बारे में विस्तार से समझा जाये कि कैसे योजना बनानी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेढ़ लाख रुपया हम झोंपड़े वाले को घर बनाने के लिए देंगे। उसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए 25 प्रतिशत के आसपास सैण्ट्रल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन मुम्बई की एक समस्या बड़ी अजीबोगरीब है। मुम्बई में जो झोंपड़पटिटयां हैं, उनमें सन् 2000 तक की जो झोंपड़पटिटयां हैं, उनको राज्य सरकार वैध मानती है, लीगलाइज़ मानती है। अब सन् 2000 से लेकर 2009 के बीच में जो लाखों की संख्या में झोंपड़पटिटयां बन गई हैं। जब राजीव आवास योजना के तहत इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर घर बनाने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करने वाली बात आएगी और मुझे लगता है कि अभी तक राज्य सरकार ने 2000 के बाद जो झोंपड़े हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करने के सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि पांच वर्न में झोंपड़पटिटयों से पूरे देश को मुक्त करने का जो एक प्लान है या झोंपड़पटिटयों में रहने वाले लोगों को बेहतर घर देने की जो योजना है, कहीं उस योजना में आने वाले दिनों में तकलीफ न हो जाये। शहरों में हमारे कारपोरेशन जो देख-रेख कर रहे हैं, वे कोई बड़े अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, सच यह है। जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, विदर्भ में, मराठवाड़ा में हमने जाकर म्युनिसिपैलिटीज़ का काम देखा, हमारे साथी जो यहां बैठे हैं, जो नवी मुम्बई कारपोरेशन के मेयर रह चुके हैं, उनका पूरा रेवेन्यू एक बड़ा लिमिटेड रेवेन्यू है और उसके बाद माफ करिये, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, इन कारपोरेशंस में, म्युनिसिपैलिटीज़ में इतना करप्शन है कि अगर मुम्बई कारपोरेशन 16 हजार करोड़ के आसपास जमा करता है तो मुझे लगता है कि 4-5 हजार करोड़ के आसपास लोगों के हित के लिए है, बाकी सब करप्शन में चला जा रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार आने वाले दिनों में, हालांकि यह साल संकट का साल है और यह संकट बहुत जल्दी गुजर जाएगा। आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार हमारे शहरों के विकास के सन्दर्भ में अपनी योजनाएं बनाये, विस्तृत योजना बनाये, कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाये, स्कीम बनाये और राज्य सरकारों पर और महानगरपालिकाओं के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ा जाये।

मैं देख रहा हूं कि शहरों में घर की समस्या बहुत विकट है। पानी की समस्या मुंबई जैसे शहर में बहुत ज्यादा है, वहां सप्लाई और डिमांड में 550 एम.एल.डी. पानी का गैप है। हम उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अलग-अलग तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुंबई में पानी का प्रश्न सबसे बड़ा है और बिजली का भी उतना ही बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी बिजली सप्लाई और उसकी बढ़ती हुयी कीमतों के मामले में केंद्र सरकार का दखल होना चाहिए। केंद्र सरकार का इसमें रोल होना चाहिए, लेकिन दुर्माग्यवश केंद्र सरकार का आज कोई रोल नहीं रह गया है। मैं चाहूंगा कि शहरी जिंदगी जीने वाला और नरक की जिंदगी जीने वाला जो शहरी वर्ग है, उसकी तरफ आने वाले दिनों में ध्यान देने की जरूरत है। आज बहुत तेजी से माइग्रेशन हो रहा है। हालांकि मुंबई के हमारे कुछ साथी हैं, जो बार-बार मुंबई के माइग्रेशन के ऊपर ऐतराज करते हैं। सच यह है कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि गांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और गांव में रोजी-रोटी के साधन नहीं मिल रहे हैं। मुंबई का जन-जीवन माइग्रेशन के बाद बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मैं सरकार से चाहूंगा कि इस दिशा में ध्यान दे और शहरी गरीबों को अच्छा जीवन देने के लिए नयी योजनाएं बनाए।

महोदया, मैं सरकार का ध्यान होम लोन की तरफ आकर्नित करना चाहूंगा। प्रणव बाबू, जब प्री-बजट मीटिंग थी, तब मैंने होम लोन के ऊपर यह विनय रखा था। पूरे देश में लगभग 25-30 लाख लोगों ने होम लोन ले रखा है। बैंक वाले जो होम लोन देते हैं, उसमें वे बड़ी होशियारी करते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। अगर यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है, तो मैं इसे वापस ले लूंगा। बैंक वालों की चीटिंग का तरीका क्या चल रहा है कि ये एक फिक्स रेट बोलते हैं और दूसरा फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। फ्लोटिंग रेट ऐसा है जो कभी भी बढ़ सकता है, जबिक फिक्स रेट ऐसा है जिस रेट पर इंट्रेस्ट रेट फिक्स होता है। मैं चाहता हूं कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का जो विवाद है, उसे समाप्त करके, होम लोन सिर्फ फिक्स रेट पर देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति अगर घर खरीदता है और 15 साल के लिए उसको ईएमआई देनी है, तो घर खरीदते समय वह तय करता है कि आने वाले15 वर्नों तक मेरा ईएमआई यह रहेगा। फ्लोटिंग रेट पिछले चार-पांच वर्नों में बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले होम लोन 6 पर्सेंट के रेट पर मिलता था और पिछले दिनों यह बढ़ते-बढ़ते 13-14 प्रतिशत तक इसका इंट्रेस्ट रेट चला गया। कहीं न कहीं सरकार को इस दिशा में दखलंदाजी करनी पड़ेगी और आरबीआई के जिरए इस तरह का इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि जो भी बैंक होम लोन दे रहे हैं, वे फिक्स रेट पर ही दें। फ्लोटिंग रेट का पूरा कांसेप्ट चेंज करना चाहिए, अगर हो सके तो इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार है, विशेनकर मुंबई में 25-30 लाख में से लगभग 5 लाख लोग यहीं

रहते हैं, जिन्होंने होम लोन ले रखा है। होम लोन के इंट्रेस्ट की दरें जब बढ़ रही थीं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों ने एप्रोच किया कि आप इसका कुछ इंतजाम करिए। जिन लोगों से बैंकों ने एप्रीमेंट साइन कराये थे, उस एप्रीमेंट में नीचे लिखा रहता है कि तीन साल बाद फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप 15 साल के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? वे उसमें साइन कर देते हैं और साइन करने के बाद जब विरोध करते हैं, तो उनको एप्रीमेंट दिखा दिया जाता है। इससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं।

महोदया, अमेरिका में सब-प्राइम क्राइसिस हुआ। हमारे देश का सौभाग्य है कि सब-प्राइम क्राइसिस में हम लोग नहीं फंसे। हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी मजबूत और दुरूरत थी कि हम बच गए। हमारे यहां मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने जो घर लिए थे, उनको अपने घरों की चाभियां बैंकों के दरवाजे पर फेंकने की नौबत नहीं आयी, जैसा कि अमेरिका में हुआ या जैसा आज दुबई में हो रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर का जो पूरा आयोजन है, वह इतना मजबूत है, जिसकी वजह से हम लोग बचे हैं। ऐसे में होम लोन की तरफ सरकार का ध्यान अगर होता, तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन प्रणव बाबू के बजट में कहीं होम लोन का जिक्र नहीं है। होम लोन के संदर्भ में बजट आने से पहले भी हम लोगों ने एप्रोच किया था, अलग-अलग ने एप्रोच किया था। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आरबीआई के माध्यम से इस देश के शहरों और महानगरों में रहने वाले लगभग 25-30 लाख लोगों को राहत देने के लिए होम लोन के इंट्रेस्ट रेट को कम किया जाए और फ्लोटिंग रेट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए।

महोदया, मैं वित्त विधेयक के ऊपर इस चर्चा में भाग लेते हुए और पिछले पांच वर्नों में इस देश में सरकार ने जो काम किया है, सरकार के उस काम-काज के ऊपर संतो-। व्यक्त करते हुए, आने वाले दिनों में हालांकि संकट का दौर है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चार-पांच वर्नों में शहरों और गांवों में रहने वाला जो मध्यम वर्गीय और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको राहत देने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं बनेंगी और उन योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में विकास की एक नयी परिभा-।। लिखी जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग जीडीपी ग्रोथ में 9 प्रतिशत के आस-पास जाने की स्थिति में आ गए थे, बिल्कुल वही सक्सेज स्टोरी फिर से दोहरायी जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं, धन्यवाद। (इति) श्री मंगनी लाल मंडल (इंझारपुर): आदरणीय महोदया, वित्त विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है और कई प्रकार के करों की चर्चा की है। लेकिन में कुछ कहने से पहले दो बात कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है, जिसके आलोक में वित्त विधेयक आया है, यह कोई क्रान्तिकारी बजट नहीं है। यह सुधारात्मक बजट है, राहत का बजट है। जब तक यह राहत का बजट चलता रहेगा, तब तक इस देश की

अर्थव्यवस्था के चलते इस देश में जो दो कोढ़ हैं, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, उनका निराकरण नहीं हो सकता है। वे दो कोढ़ - गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन हैं। इन दोनों चीजों पर जिस क्रान्तिकारी तरीके से प्रहार होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, बजट बनाने वाले लोग उसे भूल चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में गरीबी मिटाने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए, बैंकों में जो जमा राशि है, उसका इस तरह प्रयोग किया जाए कि क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, उसके लिए, बैंकों का जो रा-ट्रीयकरण किया था, उस दिशा में इस बजट में न कभी पहले ध्यान दिया गया और न आज ध्यान दिया गया। नतीजा है कि बीमारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और क्षेत्रीय संतुलन भी बढ़ रहा है।

प्रधान मंत्री जी की देखरेख में माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया है। वे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं और बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने इस बजट में एक संकल्प व्यक्त किया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात को वर्तमान स्तरों से घटाकर वर्न 2014 तक आधे से कम किया जाएगा। आधे से कम कैसे किया जाएगा? ऐसा कहा गया है कि दस वर्नी में प्रति वर्न एक प्रतिशत के हिसाब से गरीबी घटी है जबिक गरीबी उससे ज्यादा बढी है। इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले सदन में ले किया गया है, उसमें जो फिगर है, उसके अनुसार 1973-74 में 54.9 प्रतिशत गरीबी थी जो 1993-94 में घटकर 36 प्रतिशत हो गई। इसका मतलब 1974 से 1994 तक 14 प्रतिशत गरीबी घटी । अभी जो फिगर है, उसमें वर्तमान मूल्य स्तर पर 1993-94 को आधार बनाया गया है। उसमें दिया गया है कि 1993-94 में जहां गरीबी रेखा से नीचे 26.1 प्रतिशत लोग थे, वहीं 2004-05 में 21.8 प्रतिशत थे। यदि गरीबी एक प्रतिशत की दर से घटेगी और देश में 24 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो और 24 वर्न लगेंगे। तब तक जनसंख्या बढेगी, गरीबी बढेगी तो इसमें और वृद्धि होगी। बजट में जो संकल्प व्यक्त किया गया है कि पांच व-ोंं में आधे से अधिक घटा देंगे, उसके लिए आर्थिक ढांचे या आर्थिक नियोजन में क्या क्रान्तिकारी उपाय होगा, यह नहीं बताया गया है, नहीं दर्शाया गया है, लेकिन कहा गया है कि गरीबी मिटा देंगे। इसमें जो एक और मैथोडोलॉजी ऐडॉप्ट की गई है, मैंने जो कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन है, उसमें जो गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य है, उसे बहुत घाटा होता है। एक लकड़ावाला कमेटी थी। उस कमेटी ने जो अनुशंसा की है, उसके अनुसार राज्यों को कहा गया है कि यह पैरामीटर है, मानदंड है। इस मानदंड के आधार पर आप सर्वेक्षण कराइये और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान कीजिए। इसे राज्यों ने किया। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया और नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन द्वारा कंडक्ट किये गये सैम्पल के आधार पर कहा कि आज देश में 21.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य और केन्द्र सरकार के आंकड़ों में अन्तर आ गया,

जो बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार के माननीय मुख्य मंत्री ने कई बार भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृ-ट किया है कि हमने जो सर्वेक्षण कराया है और लकड़वाला कमेटी के आधार पर आपने जो पैरामीटर तय किया है, उसके आधार पर हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1 करोड़ 22 लाख लोग अभी तक सर्वेक्षित हैं। लेकिन आपने नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकड़ों के हिसाब से उसे 62 लाख पर फिक्स कर दिया है। जबकि हमारे यहां काफी पिटिशन्स अभी भी पड़े हैं कि हम गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जो पैरामीटर है, मानदंड है और आपने जो तरीका अपनाया है, उसके हिसाब से बिहार में ही करीब डेढ़ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह जो विरोधाभास है, आपस में अंतर्विरोध है, इस बजट के माध्यम से इसका समाधान नहीं किया गया है और संकल्प व्यक्त किया गया है कि आगामी पांच वर्नों में आधे से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर ला देंगे, मतलब यह है कि 21 परसेंट में से 12 परसेंट लोगों को हम पांच वर्नों में गरीबी रेखा से ऊपर ला देंगे। अब 12 परसेंट लोग पांच वर्नों में गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, तो पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं, राज्य और केन्द्र का एक मत से समाधान होना चाहिए। अगर एक मत से समाधान नहीं होगा, तो आप क्षेत्रीय असंतुलन को नहीं मिटा सकते।

दूसरी बात यह है कि डिवोलूशन ऑफ फंड्स यानी फंड्स के बंटवारे में बिहार के साथ बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बार वित्त विधेयक के माध्यम से जो कन्सेशन दिया गया है, उससे गरीब राज्यों, पिछड़े राज्यों को भी घाटा हुआ है। मार्च में जो इंटरिम बजट आया था, उसमें बिहार का हिस्सा था जो बारहवां वित्त आयोग है, डिवोलूशन ऑफ फंड्स है, केन्द्रीय करों में सभी राज्यों को वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो हिस्सा दिया जाता है, उसमें बिहार का 18,909.48 करोड़ रुपया होता है। लेकिन अभी जुलाई में जो बजट पेश किया गया है, वह घटकर 18,153.98 करोड़ रुपये हो गया है, मतलब सीधे-सीधे 755 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन वर्न 2008-09 का जो बजट पेश किया गया था, उसके आधार पर जो रियायत दी गयी है, उसमें बिहार को करीब 4641 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। आपने कई चीजों की रियायतें दी हैं। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, सैंट्रल एक्साइज, कस्टम और इनकम टैक्स में रियायत देने के लिए आपको अधिकार है। यह सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है, लेकिन जब आप कहते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन मिटे और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आधे लोगों को हम पांच वर्नों में यानी वर्न 2014 तक आगे ले आयेंगे, तो हमें यह देखना होगा कि डिवोलूशन ऑफ फंड्स के तहत वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की है, उसके आधार पर राज्य तो प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है

महोदया, बजट में एक बात कही गयी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान है। हमने समाजवाद का क,ख,ग डॉ. राम मनोहर लोहिया के बाद यदि किसी से जाना, तो वह पंडित जवाहर लाल नेहरू से जाना। पंडित जी इस देश में कोआपरेटिव कामनवेल्थ और सोशलेस्टिक पैटर्न सोसायटी से समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी, जिनसे हमें डॉ. राम मनोहर लोहिया ने सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, दर्शन के माध्यम से परिचय कराया, वर्न 2009-10 के बजट की जो मुख्य विशे-ाता है, उसमें उन्हें कोट किया गया है।

"लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है। इसमें सभी की समान भलाई अन्तर्निहित है।"

ऐसा कहा गया है बजट पुरःस्थापित करने के समय, बजट के डाक्युमेंट में। इसके लिए महात्मा गांधी को उद्घरित किया गया है। आपका जीडीपी बढ़ा है, जिसके बारे में आपने इकोनॉमिक सर्वेक्षण में जिक्र किया है। आपने जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, उसमें दो अविधयों का जिक्र किया गया है। जिक्र किया गया है कि वर्न 1998-99 से लेकर वर्न 2003-04 में आर्थिक प्रगित बहुत धीमी रही और विकास दर का जो लक्ष्य था, वह बहुत कम प्राप्त किया जा सका।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मेरे पास वक्तागण की बहुत लम्बी सूची है। इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो भोजनावकाश स्थगित कर दिया जाए। इस बिल पर रिप्लाई माननीय मंत्री महोदय आज पांच बजे देंगे।

श्री मंगनी लाल मंडल: उसमें दो सरकारों की अवधि के बारे में कहा गया है कि विकास दर में कितना अन्तर है। इकोनॉमिक सर्वे के पहले पेज पर यह उद्घरित किया गया है कि एनडीए की सरकार में विकास दर कम रही और यूपीए की सरकार के समय में विकास दर ज्यादा रही। यह बात ठीक है, हम इसे मान लेते हैं, नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं कि विकास दर की गित तेज होने से देश में परिसम्पत्ति को जो सृजन हुआ, देश में जो दौलत बढ़ी है, उस दौलत के आधार पर गरीबों की गरीबी रेखा का जो एक प्रतिशत का हिसाब एनडीए गवर्नमेंट के समय में था, वही एक प्रतिशत हिसाब आज भी है, इसमें कहां अन्तर हुआ है। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

<u>12.57 hrs.</u> (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

दूसरी बात मैं पर कैपिटा इनकम के बारे में कहना चाहूंगा। बिहार आज सबसे निचले पायदान पर है। मैंने क्षेत्रीय असंतुलन और गरीबी रेखा की बात कही है। गरीबी रेखा के मामले में आज देश का औसत

21 है तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 47 प्रतिशत हैं। इस खाई को सरकार कैसे पाटेगी? जब श्री हुकुमदेव नारायण जी जब भा-ाण दे रहे थे तो उन्होंने डा.लोहिया को उद्वरित किया था और उन्होंने कहा था कि आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाए, खर्चे पर टैक्स लगाया जाए। हम लोगों को यही प्रशिक्षण मिला है। मैं समझता हूं कि यह सबसे सुगम और व्यवहारिक रास्ता है, क्योंकि जब देश में दौलत पैदा होती है तो देश के जो बड़े घराने हैं, वे 8,000 करोड़ रूपए के महल बनाते हैं, पत्नी को हवाई जहाज गिफ्ट में दिया जाता है, इस दौलत का निवेश कहीं प्रोडक्शन पर नहीं किया जाता है। यह फिजूलखर्ची है और दूसरी तरफ लोग गरीबी में रह रहे हैं। पर कैपिटा इनकम के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में व-्रि 2007-08 तक के फीगर्स दिए गए हैं, व-्रि 2008-2009 के फीगर्स नहीं आए हैं। इसमें कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम का रा-ट्रीय औसत 33,238 रूपए है। कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम रा-ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जैसे आन्ध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 34,238 रूपए, गोवा 96,076 रूपए, हरियाणा 58,531 रूपए, हिमाचल प्रदेश 40,134 रूपए, कर्नाटक 35,553, केरल 41,814 रूपए, तमिलनाडु 38,573 रूपए, चन्डीगढ़ 1,10,676 रूपए और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 75,000 रूपए है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 16,000 रूपए, राजस्थान 20,000 रूपए, उड़ीसा 20,850 रूपए और असम की पर कैपिटा इनकम 21,464 रूपए है।

13.00 hrs.

इस देश में बिहार इस मामले में लोअस्ट है, वहां पर सालाना प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 10,570 रुपए है। यह राज्यों के बीच में असमानता है, क्षेत्रीय असंतुलन है, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में असंतुलन है। इसलिए यह जो गरीबी की खाई है, क्षेत्रीय असंतुलन की खाई है, इन दोनों खाइयों को जब तक पाटा नहीं जाएगा, महात्मा गांधी के संकल्प के आधार पर, महात्मा गांधी के दृ-टिकोण के आधार पर, जिसे आपने अपने बजट डाक्यूमेंट में मुख्य विशे-ाताओं के साथ मुख्य पृ-ठ पर उद्धृत किया है, उसके अनुसार समाज का निर्माण नहीं हो सकता है।

महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कई बार प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान आकर्नित किया है। उन्होंने प्रधान मंत्री जी को कहा कि बिहार प्रदेश के बंटवारे के बाद बिहार में जो कल-कारखाने थे, वे झारखंड राज्य में चले गए। बिहार का परकेपिटा इनकम झारखंड से भी कम है और इस मामले में हम देश में सबसे निचले स्तर पर हैं। हमारे यहां कोई कल-कारखाना नहीं है। जो बाहर से पूंजी निवेश करने के लिए यहां आएंगे, उनके लिए हमने एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण किया है, तो उस पर हमें रियायत मिलनी चाहिए। आपने कुछ राज्यों को स्पेशल केटेगरी स्टेट बनाने की घो-ाणा की है। उसके लिए आपने उन्हें टैक्स में छूट दी है। वह रियायत बिहार प्रदेश को भी दी जानी चाहिए। लेकिन बिहार को अभी तक आप न तो

स्पेशल केटेगरी स्टेट का दर्जा दे रहे हैं और न ही कोई टैक्स में छूट दे रहे हैं। इसलिए बाहर से लोग आकर हमारे यहां पूंजी निवेश करें, उसके लिए आप कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि हमारे प्रदेश बिहार को विशेन राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कोसी में बाढ़ आई थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उस आधार पर पुनर्निर्माण होना चाहिए। इन बातों पर मशविरा करने के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री जी से मिलने का समय मांगा था। लेकिन उस पर भी कोई रिस्पाँस नहीं दिया गया। फिर कैसे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, कैसे गरीब राज्य का उद्धार होगा, कैसे गरीबी मिटेगी और वर्न 2014 तक आप कैसे आधी गरीबी को देश से मिटा देंगे, यह समझ में नहीं आता। क्या सिर्फ भानण से गरीबी मिटा देंगे, में यह कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसा राजनीतिक बजट रहेगा, तब तक देश का भला नहीं होगा, कोई समतामूलक समाज नहीं बन सकता है। राजनैतिक दृन्टिकोण से अगर राहत का काम चलता रहेगा, जब तक पोलिटिकल विजन नहीं बनाया जाएगा, एक आदर्श दृन्टिकोण जब तक क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने और गरीबी मिटाने के लिए नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम 1000 गांवों को आदर्श गांव के रूप में घोनित करेंगे और उसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैंकों की शाखाएं हर जगह खुलें, इसके लिए कमेटी बनाने की बात भी कही गई है। वर्न 1969 में जब बैंकों का रा-ट्रीयकरण किया गया था, उसके पश्चात कई कमेटीज बनीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी नरसिम्हन कमेटी रही। उस कमेटी ने दो-तीन बातें रिकमंड की थीं। उनमें से एक तो यह थी कि 15,000 की जनसंख्या के आधार पर उस इलाके में कम से कम एक कमर्शियल बैंक की शाखा खुले। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को जो पहल करनी चाहिए थी और सरकार को जो प्रयास करना चाहिए था, वह आज तक पुरा नहीं हुआ। आज भी बिहार में 15,000 की जनसंख्या तो क्या 25,000 या 50,000 की जनसंख्या पर एक ब्रांच है। जब तक सरकार द्वारा लागू योजनाएं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं होता है, तब तक बिहार का और देश का विकास नहीं हो सकता। बिहार में 3,000, 4,000, 4,500 करोड़ रुपया इंक्रीमेंटल डिपाजिट पर-ईयर आता है, जो किसी भी गरीब राज्य से ज्यादा है। लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के खजाने से जो खर्चा हो रहा है, बजट के माध्यम से, यह अच्छी बात है, यह पोलिटिकल माइलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नरसिम्हन कमेटी ने रिकमंड किया है कि सभी बैंकों को मॉडल विलेज डवलप करने के लिए एक टार्गेट दिया जाना चाहिए। यहां आपने अनुसूचित जाति को आधार बनाया है, यह बहुत अच्छा काम किया है, हम इसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस दृ-िट से बैंकों का रा-ट्रीयकरण किया था, उससे

लगता है कि अब बैंकों को कोरपोरेट लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन देने के लिए, क्रॉप लोन देने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हीं बैंकों के लिए नरिसम्हन कमेटी ने अनुशंसा की है कि प्रत्येक ब्रांच को कम से कम, प्रतिवर्न पांच मॉडल विलेजेज को अडाप्ट करना चाहिए, जिससे बेकारी मिटे और गांव की संरचना मजबूत हो, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को मजबूत किया जाए, लेकिन बैंकों को छोड़ा गया है। मैं चार्ज लगाता हूं कि बैंकों में गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा जमा है लेकिन ये बैंक्स मध्यम वर्ग, किसान और गरीबों की सेवा न कर इस देश के कोरपोरेट सेक्टर के लोगों की सेवा करते हैं, जो अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा करता है, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अभी तक नरिसम्हन कमेटी के अलावा जितनी कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों के आधार पर बैंकों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सुखाड़ है और सुखाड़ पर चर्चा होने वाली है। सुखाड़ पर चर्चा होगी तो हमारी पार्टी के लोग भी विस्तार से अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो आइला बंगाल में आया था, उसके लिए आपने सहायता दी, हमें प्रसन्नता है। आपने तिमलनाडु में सुनामी से निपटने के लिए पैसा दिया, हमें प्रसन्नता है, दूसरे राज्यों को आप नेचुरल कैलेमिटी के तहत पैसा देते हैं, उससे भी हमें प्रसन्नता है। लेकिन बिहार के पुनर्निर्माण के लिए जब कहा गया कि 14,000 करोड़ रुपया चाहिए, 1000 करोड़ रुपये का आपने ऐलान किया था और आपने जो बिहार का हिस्सा नहीं दिया, उसके लिए हमें दुःख है। बिहार के साथ उगमारी हो रही है और बिहार के साथ आप राजनैतिक दृन्टिकोण से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से सीट्स नहीं मिली हैं। यह लोकतंत्र और देश के लिए शुभ-संकेत नहीं है। क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। देश का आर्थिक विकास हो, तरक्की हो, सकल उत्पाद में सब को हक मिले, गरीबी मिटे, क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, हम यही चाहते हैं। बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है और वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजनैतिक दृन्टिकोण से विचार नहीं होना चाहिए। अगर विचार होता है तो इसका परित्याग करके बिहार से साथ सरकार न्याय करे, यही मांग मैं करता हूं।

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Thank you, Mr. Chairman Sir. I am very happy to support this Finance Bill moved by the hon. Finance Minister.

This Finance Bill as well as the Budget presented in this House by the hon. Finance Minister truly reflects the aspirations of the people. As it is already being acknowledged throughout the country, the renewed mandate of the people given to the UPA is for continuity, stability and prosperity.

This Budget and the Finance Bill, which is now before the House, ensures that the people's aspirations will be given true support and that it will be implemented. The main objective of this Budget is inclusive growth and equitable development. In this country, today, the hon. Finance Minister is in a position to present a Budget which is taking care of the interests of development as well as the social requirement of the pro-poor programme.

I remember, 17 years back, in 1991, I had the privilege to be a Member of this House when the present Prime Minister was presenting the Budget in this House, as the Finance Minister, this country was in debt-trap. There was nobody in the world to lend money to India and we were defaulting our obligations that we borrowed money and we could not pay not even the instalements but even the interest.

Today where are we? I remember the criticism. From 1991 onwards, the Members of this House from the other side, from the Opposition as well as from the Leftist Parties were criticising the Government and the UPA that this Government is surrendering to the interests of the multinationals, that this Government is going in the Rightist direction, that this Government is not taking care of the problems of the poor people. But, today, after liberalisation – which was being criticised very vehemently, ideologically by the Leftists and opportunistically by the Rightists – this country is standing on its legs and is developing very fast in the comity of nations. Today, India is a very strong country emerging as a strong economy. After 10 years, after 15 years, we can

hopefully see an India where there is no unemployment, where there are no people without a house to dwell. That kind of a development is taking place.

The limited objective of this Finance Bill is to give Constitutional validity, support to the proposals in the Budget. So I would like to come back to the taxation proposals which are being mentioned in the Bill. In the last few years, we have been closely seeing and watching the tax reforms being implemented in this Year after year, new tax reforms are being implemented. Today, the country. UPA Government is determined on the Kelkar Committee Report. Kelkar Committee was a high-powered Committee appointed by the Government of India which made proposals as to how the taxes can be reformed, and in the last few years, our efforts to reform the taxes have taken us to a very advanced situation. Our approach has always been to eliminate the distortions in the taxation system and widen the tax net. So, this Finance Bill very clearly indicates that India's Tax, GDP ratio is increasing. To quote the figures, the Tax, GDP ratio of India today is 11.5 per cent. It was 9.2 per cent in 2003-04. That shows very clearly that our tax compliance, our tax collection is increasing to a satisfactory level. widening the tax net is the objective, by means of which we can bring down the rates. The approach of this Government to collect more money is to bring down the rates to a reasonable level and widen the tax net. We are collecting more money. Our tax income is increasing. The tax income, the revenue which is collected by the Government is being spent for the pro-poor programmes. There was criticism from the Parties, especially from the so-called Left Parties, that this country is not taking care of the problems of the poor people like housing, unemployment and so many other problems. Today the Government is in a position to spend huge amount of money for the welfare of the people. The Government is casting a safety net around the poor people of this country. The whole world is developing in the direction of globalisation and liberalisation. India today is an island. We are not under the pressure of the multinationals and not under the pressure of globalisation. The Government is in a position to protect its

people. The Government is in a position to cast a safety net and spend huge amount of money for the welfare measures. This we could achieve because we have been following an economic policy through our successive Budgets; we are collecting more money; more and more people are brought to the tax net; and we are producing more revenue. Today we do not need any loan from any country. There was a time when the World Bank, when the International Monetary Fund, when the Asian Development Bank were not prepared to lend money to India. But, today, even if they are offering loans, India does not need a loan. That much money we are generating here. The pro-poor programmes, the poverty alleviation programmes are being taken up in this country.

You know very well about the NREGA programme. There is 144 per cent increase in the National Rural Employment Guarantee Scheme. There is no parallel in the whole world for this programme. No other country in the world – even we can take China – could implement such a programme which has got a wider social and economic impact.

I come from a State where plantations are many. Mr. Chairman, Sir, from your State a large number of people used to come and work in the plantations. Now there are no workers. The reason is that they are all going back because NREGA is implemented, also in your State rice is given cheaper, and also colour television is given cheaper. So people need not work for the petty sums which they are getting. Wherever we go today, we can see the changes that are taking place. So the workers started going back to their native places.

Sir, NREGA programme is being implemented well. A huge amount of money which has been set apart for NREGA programme shows the willingness and the will of this Government as to how we are taking care of the programme for the poor people.

Sir, I am coming back to the tax reform proposals. The Kelkar Committee has submitted some very important recommendations before this Government. Now, the Income Tax Act is going to be changed, and we are going to discuss a

new Income Tax Code in the next 45 days. That is what the hon. Minister has assured to this House. This is a very big thing. The Income Tax Act which is prevailing in this country today is a colonial production. During the time of the Britishers, in 1920 or 1922 this Act was enacted. Today, we have a huge Income Tax Act and also CBDT; their Circulars and Orders. About 625 Sections are there in the Income Tax Act. So, a common man is not able to decipher what is all said in this Act. Today, a new Income Tax Code is going to be discussed. In the next 45 days, this Government is going to circulate a new Income Tax Code and elicit public opinion on this new Income Tax Code. This House will enact a new Income Tax Code. That means, the present cumbersome procedure, which a common man is not able to follow, is going to be replaced completely by a new Income Tax Code.

Another thing is the Goods and Services Tax. I would like to congratulate the hon. Finance Minister and also the Minister of State in the Ministry of Finance who is listening now. For one single reason, this Budget and the Finance Bill should be complimented. I am sure that this whole House is going to unanimously accept this constitutional obligation of passing this Finance Bill.

The other day, the senior leader of BJP, Shri Jaswant Singh, was supporting this Finance Bill. I think, even a seasoned politician and a senior leader like Shri Jaswant Singh also thinks that only the Congress Government and the UPA Government can deliver the goods. He also said that we are all supporting this Finance Bill with an open mind.

The intention of this Government today is to introduce reforms. Take the Goods and Services Tax. Today, various kinds of taxes are there in the country, and they are: Value Added Tax, Stamp Duty, Vehicle Tax, taxes on Goods and Services; duty on electricity; entertainment tax; luxury tax; purchase tax; and all kinds of cesses and surcharges. This comes to almost a dozen taxes. So, a common man is so much confused about all these taxes. All these things are going to give way for the Goods and Services Tax. The States are going to have one set

of GST and the Centre is going to have another set of GST. For the Central Government also, now we have Central Excise duty; Central Sales Tax; additional excise duty; service tax; additional customs duty; and all cess and surcharges. These are the sets of taxes levied by the Central Government, and the State Governments are levying another one dozen taxes. So, there is going to be a GST for the Centre and a GST for the State. This reform will have a sea change in the whole scenario which we are facing today.

Sir, even a common man cannot file an Income Tax return. Even though we call it 'Saral', it is really not Saral, Sir. There are so many forms one has to fill up, and one has to give so many particulars.

Sir, some changes are being made in the direct taxes this time. The threshold level of the Income Tax is increased by Rs. 10,000. Today, up to Rs. 1,60,000/- it is tax free for men; up to Rs. 1,90,000/- it is tax free for women; and Rs. 2,40,000/- it is tax free for senior citizens. The other day, Shri Jaswant Singh ji was saying that the exemption limit of Income Tax was increased by Rs. 10,000/- for men and women, and by Rs.15,000/- for senior citizens, and that is not sufficient even to buy a bottle of whisky. I think, for some of them, their brand is very costly. For the Indian people, a sum of Rs. 10,000/- or Rs. 15,000/- is a very big amount. In this House, I remember that we were clamouring that the Income Tax exemption limit should be raised to Rs. 1,00,000/-. Now, this exemption limit is Rs. 1,60,000/- for men; Rs.1,90,000/- for women; and Rs.2,40,000 for senior citizens. Is it a small amount?

Sir, here I have one worry regarding the voluntary retirees, who take voluntary retirement after serving for long years; up to Rs. 5 lakh was exempted from income tax. I would request the Cabinet Minister and other Ministers to discuss about this. These are the people who devoted their lives for the country. They are getting paltry sum on their voluntary retirement, and this whole amount has to be exempted from income tax. This Government is adopting a very kind approach to the people's programmes.

I wish, probably, that also might have escaped his attention.

While supporting this Finance Bill, I feel that the criticism is not there about the schemes, which we have implemented. But the criticism is mainly about the fall of Sensex. On the Budget day, when Shri Pranab Mukherjee was presenting the Budget, in one hour's time, the Bombay Stock Exchange, Sensex fell by 869 points and the Nify fell by 259 points. The criticism was that this Budget is anti-development.

Sir, if the stock exchange is falling, who is bothered? We want development first. We also want the stock exchange to survive. But I remember a quotation of Mr. P. Chidambaram, who presented the Budget in 2005-06. He said: "We are not very much bothered about the Bombay Stock Market; we are not bothered about Sarojini Nagar market or Khan market or Bengali market." This is where we are. Ours is a pro-poor Government. So, this Finance Bill reflects the aspirations of the people. We are more worried about the price increase in the local market and not in the Bombay stock market.

Sir, the Bombay Stock Exchange people thought this Government was going to unload shares of all the public sector undertakings. You know the reasons. Our Left Front friends have been saying: "Now, we are not in the Government; so the Congress and the UPA would unload the shares of the public sector undertakings." But it is not because of the Left Front's support that we did not do it. We know how to protect the interests of the public sector undertakings. The hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee has not mentioned that we are going to unload the shares of the public sector undertakings. So, there was disappointment in the Bombay Stock Exchange. But for the over-expectation of anybody, the Government was not responsible; for over-expectation, they had to pay the price." If the crash in the Bombay Stock Exchange was there, it was due to over-expectation. They wanted all the shares of the public sector undertakings to be unloaded.

Sir, this Government knows when to sell the family's silver. It is people's money. About the disinvestment, when it should happen, how it should happen, the Government would decide. I am staying very near, in the Kerala House. While coming from the Kerala House to this Parliament, I see the Ashoka Road junction to the Janpath Junction and I found that the left side of the road had been completely sold out when the BJP-led Government was in power. This is not the type of disinvestment the Congress likes. The entire prime property near the Kanishka Hotel, Ashok Yatri Niwas was sold by the BJP-led Government. You know the BJP-led Government during those 'India Shining' days! They decided to sell the properties at throwaway prices! This is not the way the Congress wants to do disinvestment. Disinvestment was not announced in this Budget. There was disappointment among some people and so, there was a fall in the stock market.

So, the kind of approach this Government is adopting is very much clear in this Finance Bill. The changes, which are made in the tax structures are very much welcome.

There are certain things, where I would like to explain the positions. Take for example, the Budget deficit. When the Budget deficit increases, normally any Government would increase the taxes. But the beauty of this Budget and the Finance Bill is that there is no increase in any tax. The Budget deficit is going up. When the deficit is increasing, the taxes have not increased. People are astonished how it is happening. Today, 6.2 per cent is the fiscal deficit. There is a hue and cry by the Opposition whether it is justifiable. But yes, it is justifiable in the interest of the development.

Sir, India is a growing country. If there is 6.2 per cent fiscal deficit, it would be made up by the progress we are making in the manufacturing sector, in the service sector and in the agriculture sector. This growing economy can make up this fiscal deficit. So, we can manage for 6.2 per cent fiscal deficit. We have a roadmap for it. In the next year, it would be five per cent. In another one year, it

would four per cent. We would bring it down. So, the clamour about the fiscal deficit is not justified.

Sir, about the MAT, it has been increased to 15 per cent. It again shows that this Government is a pro-poor Government. The corporate sector may be a little unhappy. It was 10 per cent earlier and now it has been increased to 15 per cent. There is a five per cent increase for the MAT. There are advocates for the corporate sector here also. Some people were arguing for them also. About the Business Turnover Tax, up to Rs. 40 lakh has been brought under to the tax net. That means, the base is widened. There are legal consulting firms.

Sir, there is one more very important thing, which I want to point out in this august House. It is about the education loan. Education loan is taken by the common man. This is for the middle class and lower middle class people. It was given in the past only for technical education. Now, there is an announcement in this regard. It should be welcomed by all. Let the children study any course; you send the children to any course of study, they will get the benefit of this tax reduction for the education loan. That is made universal. That is made applicable to all. That is a very welcome sign.

While appreciating this also, I have one or two small things for the kind attention of the Government. Service tax is extended to coastal cargo. Sir, you come from Chennai. I come from the neighbouring State of Tamil Nadu. If service tax is imposed on the coastal cargo, how will it affect the common man? On roads, travel has become difficult. The vehicle population is increasing by leaps and bounds but roads are not increasing proportionately. So, the cargo transport should be moved to the waterways but the coastal cargo services are brought under the service tax. I have my doubts.

Also, power consumption is one area where we have to use the latest technology for the welfare of the common people. Now, the CFL lamps are given under the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana. But the latest technology is this. We

have LED, that is, Light Emitting Diodes. That consumes a very little electricity. We do not have electricity in this country.

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI P.C. CHACKO: Sir, I am concluding.

In this country, the electricity shortage is acute. Pump sets are not working. There is eight hours or 10 hours power cut. In this kind of a situation, any proposal from the Government side to promote this LED lighting system should have been very much welcomed. The abolition of the fringe benefit tax, additional duty on the taxes and so many other things are going to create more money in the hands of the poor people. This is a welcome Budget. To give effect to the proposals of the Government, the Finance Bill is presented before this House. That shows the determination. That shows the target of this Government that where we are moving towards.

So, I wholeheartedly welcome this Bill and I wish that this House unanimously passes and approves this Finance Bill, and this will be for the prosperity of this country, ushering in the good future of this country.

With these words, I conclude.

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार ने इसमें कृ-ि के लिए जो व्यवस्था की है, वह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए नाकाफी है। इसमें कृनि के लिए और अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर सरकार सिर्फ सस्ते कर्ज की बदौलत चार फीसदी विकास की दर हासिल करना चाहती है तो यह मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार को अन्य व्यवस्थाओं पर भी विशे-ा ध्यान देना चाहिए। इसमें सरकार ने बीज, पानी, कीटनाशक, पौ-िटक खाद एवं सिंचाई जैसी बुनियादी जरूरतों पर विशे-ा ध्यान नहीं दिया है। एक तरफ सरकार ने यूरिया से सब्सिडी हटा दी है तो दूसरी ओर नाइट्रोजन पर बढ़ा दी है। यह एक तरह से एक तरफ का कान छोड़कर दूसरा कान पकड़ने जैसी बात है। खेती के सहयोगी कामकाम जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी आदि पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि गांवों में लोग पशुपालन पर भी किसी हद तक निर्भर रहते हैं। यदि आप लोगों को पशुपालन की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर गांव कमजोर होंगे। आज पशुओं को जो आहार दिया जा रहा है, वह इतना महंगा हो गया है कि अब लोग पशुपालन करने से कतराने लगे हैं। आज गांवों में दूध 12,13 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और वही दूध शहरों में आकर 25, 26 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इस तरह से गांव में तो उचित मूल्य मिल ही नहीं रहा है, जबिक हम गांव और गरीब के बारे में हमेशा बहस करते हैं। इस तरह से गांवों की अनदेखी हो रही है। पश्ओं को जो आहार दिया जा रहा है, उस आहार पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी होनी चाहिए, जिससे कि लोग पश्पालन की तरफ अपने को अग्रसारित कर सकें।

महोदय, दलहन, तिलहन, गन्ने जैसी नकदी फसलों की पैदावार साल दर साल घटती जा रही है। विदेशों से आयातित दाल व तेल से हम अपना काम चला रहे हैं। तिलहन की पैदावार में 5.5 फीसदी, दलहन की पैदावार में चार फीसदी और गन्ने की पैदावार में 15 फीसदी की गिरावट आई है। यह चिन्ता का विनय है। सिंचाई के लिये जो धन का आवंटन किया गया है, वह बहुत ही कम है। जब गांव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहेगी तो लोग खेती कैसे करेंगे? सूखा पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांवों में किसान जो मिनी ट्यूबवैल लगाते हैं, उसकी लागत का 75 प्रतिशत सरकार वहन करे जिससे गरीब किसान अपने खेत की सिंचाई मिनी ट्यूबवैल से कर सकें, अपने बिज़नैस पाइंट ऑफ व्यु से साग-सब्जी पैदा कर सके तािक उसका आर्थिक विकास हो।

सभापित महोदय, आज से 40 साल पहले स्व. इन्दिश गांधी ने गरीबी हटाओं का नाश दिया था लेकिन उस में आज तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस देश में गरीब और बढ़ गये हैं। गरीबी मिटने के बजाय गांवों में गरीबी और बढ़ गई है। इस वर्न फरवरी में सरकार ने संसद में लेखा अनुदानों की मांगें पेश करते हुये कहा था कि वर्न 2014-15 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की वर्तमान दर को आधे से कम पर ले आया जायेगा लेकिन इस योजना के लिये कोई ठोस उपाय नहीं बताये गये हैं कि किस तरह सरकार वर्न 2014 तक गरीबी पर नियंत्रण कर पायेगी। इस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है।

सभापित महोदय, मैं सरकार का ध्यान सर्व शिक्षा अभियान की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर वास्तव में चिन्ता माध्यमिक शिक्षा की है। आज भी माध्यमिक स्तर पर लगभग 72 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं जब कि दो लाख नये शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी तरह दुगने माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रा-द्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरु किया है जिसके लिये ब्लाक स्तर पर देश में 6000 आदर्श विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इस मद के लिये बजट में केवल 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हमें नहीं लगता कि इतनी कम धनराशि से सरकार की मंशा पूरे देश में 6000 आदर्श विद्यालय खोलने से पूरी हो पायेगी।

सभापित जी, मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं जहां से 80 सांसद आते हैं। सरकार ने देश में 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है जिसके लिये 827 करोड़ रुपे रखे गये हैं लेकिन सूची में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। इसी प्रकार रा-ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 13980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्वास्थ सुविधायें कैसे सुधरेंगी? इसका कोई जिक्र नहीं है। आज भी गांव में डाक्टर नहीं रहना चाहता है, सब लोग शहरों में जाना चाहते हैं। जितनी भी चिकित्सा संबंधी व्यवस्थायें हैं, वे सब शहरों में ही हैं। गांवों में जो कुछ भी व्यवस्थायें हैं, वे लगभग मृतप्राय: ही पड़ी हुई हैं। उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लोगों को मजबूरी में शहरों की ओर जाना पड़ता है। चूंकि गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये कोई डाक्टर गांव में न रहकर शहर में रहना चाहता है। जब तक गांवों की ओर विशे-। ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक कोई डाक्टर गांव में रात को भी नहीं रुकेगा। वह दिन की ड्यूटी पूरी करके शहर की तरफ भागता है। जब रात में किसानों को समस्या होती है तो वह परेशान हो जाता है। इस समय देश में 31 हजार स्वास्थ्य उप-केन्द्र, 5000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2500 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एड्स जैसी बीमारी के एच.आई.वी. टेस्ट के लिए इस बार सरकार ने 24 करोड़ 35 लाख रूपए की कमी की है, जबिक ऐसी जानलेवा बीमारी के लिए और ज्यादा बजट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इस बजट में कमी की गयी है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी जैसी चिकित्सा की पद्धितयों के विकास की घोर उपेक्षा की गयी है। पिछले साल इसके लिए 17 करोड़ 19 लाख रूपए की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन इस बार मात्र 13 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी है। आज होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा लोगों को विश्वास होने लगा है। आज एलोपैथिक दवाओं में तमाम तरह की डुप्लीकेसी चल रही है, तमाम तरह की नकली दवाएं बन रही हैं इसलिए लोगों का विश्वास इनके उपर से उठता जा रहा है और लोग अब होम्योपैथ, आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब लोगों का विश्वास होन्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इनके बजट में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

महोदय, जिला मुख्यालय के जो बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहां मानसिक रोगियों को देखने के लिए किसी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। शायद ही किसी जिला मुख्यालय पर कोई मनोचिकित्सक बैठता हो। इस रोग की चिकित्सा के लिए लोगों को शहरों में जाना पड़ता है।

महोदय, आपने बजट में रेल और पानी के जहाजों से माल ढुलाई पर सेवा कर लगाने की बात की है। इससे महंगाई को ही बढ़ावा मिलेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी ने रेल और पानी के जहाजों से माल ढुलाई पर सेवा कर लगाने की जो बात की है, उस पर सोचना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं सांसद निधि के बारे में कहना चाहूंगा। आज सांसद निधि सबके लिए समस्या है, आज 300 से ज्यादा सिटिंग सांसद चुनाव हार गये हैं। पिछली बार मैं एमपीलैंड कमेटी में था और हमने कमेटी के माध्यम से पूरे देश का दौरा किया था। हमने देखा था कि सांसद निधि के माध्यम से 80 परसेंट काम हुआ था, सांसद निधि से 80 परसेंट काम किये गये थे। यह हम लोगों ने सब जगह जाकर देखा था और हमने इनकी फोटोग्राफी की थी।

महोदय, केंद्र सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट को जो 25 हजार करोड़, 30 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ रूपया देती है, उसका कितना परसेंट पैसा सही ढ़ंग से कार्यान्वित होता है, उसका कितना इंप्लीमेंटेशन होता है? जब आप उसे देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका 30 या 40 परसेंट भी सही ढ़ंग से खर्च नहीं होता है। सांसदों को जो निधि मिलती है, सांसद ईमानदारी से उसका 80 परसेंट अपने क्षेत्र में खर्च करता है, वह इसलिए करता है, उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि उसे फिर से चुनाव जीतकर आना होता है। उसकी मंशा है कि यदि क्षेत्र में हमारी निधि से काम होगा तो फिर दुबारा से जनता चुनकर हमें संसद भेजेगी। यह सांसद निधि से जो दो करोड़ रूपया मिलता है पांच विधानसभा क्षेत्र

के लिए, कहीं-कहीं आठ-आठ विधानसभाएं हैं, 25 लाख, 30 लाख रूपया जो साल में मिल रहा है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

महोदय, हमारे यहां ठाकुर बाबा की कथा होती है तो उसमें प्रसाद के रूप में पंजीरी दी जाती है। अगर हम दो करोड़ रूपए की पंजीरी बनाकर दरवाजे-दरवाजे देना चाहें तो हम उससे दरवाजे-दरवाजे प्रसाद भी नहीं पहुंचा सकते हैं। यह हालात हैं और ये जो इतने बड़े पैमाने पर सांसद चुनाव हारे हैं, इसका मुख्य कारण सांसद निधि है। आज जनता जानती है कि सांसद को भी विकास के लिए कुछ पैसा मिलता है, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर आशा रखते हैं।

महोदय, उन्हें इससे मतलब नहीं रहता है कि हमें मात्र दो करोड़ रूपया मिलता है और हमारे पास आठ या नौ विधानसभाएं हैं, उन्हें अपनी जरूरत से मतलब होता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि या तो सांसद निधि को 10 करोड़ कर दिया जाए या फिर सांसद निधि को बंद कर दिया जाए। आप उसी पैसे को राज्य सरकार को दे दीजिए, देखिए राज्य सरकार क्या विकास करती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट को विकास के लिए पैसा दिया जाता है, उस पैसे में से कटौती करके 10 करोड़ रूपया प्रति सांसद को दीजिए। आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सांसद अपने क्षेत्र का विकास करेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे आम आदमी की समस्याएं हल होती नहीं दिखती हैं। देश की मुख्य समस्याएं तीन 'पी' हैं, एक पावर्टी है, दूसरी पॉपुलेशन और तीसरी पोल्यूशन है। ये तीनों एक-दूसरे के साथ जुड़ी हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में हमें जो स्टेप लेना चाहिए, वह नहीं ले रहे हैं। अगर देश को तरक्की करनी है तो तीन मुख्य समस्याओं - पावर्टी, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन से छुटकारा पाना होगा। मेरे तीन सुझाव इस संबंध में हैं। बीपीएल की जो वर्तमान सूची अस्तित्व में है, वह अन्यायकारी और गलत है। ए.सी चैम्बर में बैठकर अफसर लोग गरीबों के लिए रेखा बनाते हैं। जिसकी झोपड़ी में एक बल्ब जल गया या सैकेंड हैंड पंखा चल गया, या उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो उसे गरीबी की रेखा से हटाया जाता है। यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा मज़ाक और नाइंसाफ़ी है। मेरा सुझाव है कि फिर से सर्वे किया जाए और जो वास्तविक गरीब हैं, जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको न्याय दिया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव आवास के संबंध में है। इस देश में ऐसे बहुत से गाँव हैं जहां कोई पक्के मकान नहीं हैं, सब मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, लेकिन बीपीएल की सूची में अन्याय होने के कारण उसको पक्के घर की सुविधा नहीं मिलती। मेरा अनुरोध है कि जिसके पास कच्चा मकान है, उसका नाम बीपीएल सूची में हो या न हो, उसको पक्के मकान की सुविधा मिलनी चाहिए।

किसानों को आपने जो ऋणमुक्ति दी, उसका हम स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। मेरा तीसरा सुझाव है कि जो मेहनतकश किसान हैं जिन्होंने प्रामाणिकता से अपना ऋण अदा किया है, उनको भी सूखे की परिस्थिति में लाभ मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उसको ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए।

महोदय, सदन में एक सम्माननीय सदस्य ने भ्र-टाचार की बात छेड़ी थी कि देश में भ्र-टाचार को हमें मिटाना है। हम सब तो नए आए हैं। यहाँ 282 नए संसद सदस्य एक अच्छे विचार और भावना के साथ आए हैं। जब हम गाँवों में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भ्र-टाचार की गंगोत्री दिल्ली है, दिल्ली से उसकी शुरुआत होती है। मेरा अनुरोध है कि हम चैरिटी बिगेन्स एट होम के बजाय चैरिटी बिगेन्स एट पार्लियामेंट की शुरुआत करें। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापित जी, आपने मुजे फाइनैंस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापित जी, आप जानते हैं कि पूरा विश्व मंदी के दौर से गुज़र रहा है। इन परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विकासपरक बजट पेश किया है जिसमें सामान्य खर्चों के लिए, ब्याज भुगतान के लिए, सबिसडी के भुगतान के लिए, छठे वेतन आयोग की रिकमंडेशंस को लागू करने के लिए, रक्षा के लिए जहाँ धनराशि बढ़ाकर प्रावधान किया गया है, वहीं विकास कार्यों के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र, किसान और मज़दूर के लिए भी बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है।

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में खयं यह घो-ाणा की थी कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार दस लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च का यह बजट है। इस 10,20,838 करोड़ रुपये के व्यय में नॉन प्लांड एक्सपैंडीचर, 6,95,689 करोड़ रुपये है, प्लांड एक्सपैंडीचर 3,35,149 करोड़ रुपये है। प्लांड एक्सपैंडीचर में सैन्ट्रल प्रोजैक्टस स्कीम्स के लिए 2,39,840 करोड़ रुपये तथा 85,309 करोड़ रुपये स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज़ के लिए सैन्ट्रल असिस्टैन्स के रूप में देने का प्रावधान है। इस पूरे खर्चे की पूर्ति के लिए 6,14,497 करोड़ रुपये की धनराशि रैवेन्यू रिसीट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगी 4,06,341 करोड़ रूपये की आय हमें कैपिटल रिसीट के माध्यम से प्राप्त होगी। इस प्रकार रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को जोड़कर , 10,20,838 करोड़ रूपये के खर्च की पूर्ति हो जाती है। कैपिटल रिसीट में 400,996 करोड़ रूपये की प्राप्ति बाजार से कर्ज के माध्यम से दिखाई गई है। यही फिसिकल डैफिसिट है, जिसकी दूसरी तरफ बैठे हुए विद्वान साथियों ने काफी आपत्ति और आलोचना की थी। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जितनी हमारी आमदनी होती है, उसी के सापेक्ष खर्च का बजट बनाना किसी वित्त मंत्री के लिए सबसे आसान काम है । लेकिन यह तो एक हाउसवाइफ का बजट होता है, किसी देश का बजट नहीं । एक गृहिणी अपनी आमदनी को देखती है और उसी हिसाब से अपने खर्ची को सीमित करती है। लेकिन देश का बजट इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है। एक गृहिणी देखती है कि उतना ही पैर पसारो जितनी चादर है। लेकिन देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, खर्चों को देखते हुए, आमदनी की व्यवस्था की जाती है। जितने पैर पसारे जाए, उतनी ही चादर की व्यवस्था की जाती है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आवश्यकताओं और खर्चों का आकलन करते हुए रिसोर्सिज़ की व्यवस्था की है। यह काम उन्होंने बखूबी किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, दुनिया वि-ाम परिस्थितियों से गुजर रही है, यह सभी जानते हैं। हिन्दुस्तान पर भी इसका असर पड़ा है। तीन स्टिमुलस पैकेज 1 लाख 86 हजार करोड़ रूपये के देने के बाद, हम इस स्थिति में हैं कि 6.7 प्रतिशत विकास दर हासिल कर सके। वित्त मंत्री जी ने अपनी तीन मुख्य चुनौतियां बजट में रखी थीं, जिनमें से पहली है- to lead the economy back to 9 per cent rate of growth at the earliest. यह वित्त मंत्री जी का प्रोएक्टिव रोल है। मार्किट फोर्सिज पर उन्होंने नहीं छोड़ा है। प्रोएक्टिव रोल लेकर एक लीडरिशप दिखाते हुए देश की इकोनमी को सुदृढ़ करने का, उसमें मजबूती लाने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लोगों की आय में वृद्धि करो तािक खर्च बढ़े। लोगों की आय बढ़ेगी तो परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, जिससे मांग बढ़ेगी, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इसे ही वित्त मंत्री जी ने मूल मंत्र माना है।

महोदय, इन्फ्रास्ट्रकचर पर बेतहाशा खर्च का प्रावधान किया गया है। हाइवे में 23 प्रतिशत, रेलवे में 50 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग के ए.पी.आर.डी प्रोग्राम में 160 प्रतिशत की वृद्धि, नरेगा में 144 प्रतिशत की वृद्धि, भारत निर्माण योजना में 45 की वृद्धि, पीएमजीएसवाई में 59 प्रतिशत की वृद्धि, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 27 प्रतिशत की वृद्धि और इन्दिरा आवास योजना में 63 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं समझता हूं कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, जो कि अर्थव्यवथा को सुधारने में मदद करेगी।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह चाहें कि देश विकास करेगा, देश की तरक्की होगी और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा वैसे के वैसे बने रहें, तो इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास तभी होगा, जब हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों का विकास हो। हमें मानक बना लेने चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और रोजगार का मानक बना लेना चाहिए। इनके स्टैण्डर्ड्स और पैरामीटर्स बना लेने चाहिए और उसे देखते हुए ही केन्द्रीय सहायता और योजनाओं में धनराशि दी जानी चाहिए। पर्यावरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण वि-ाय हैं। मैं समझता हूं कि बीस साल से पेड़ उगाने के लिए यहां से धनराशि दी जाती रही है। अगर बीस साल का टोटल देख लिया जाए कि कितने पेड़ लगे हैं, मैं समझता हूं कि आंकड़ों के हिसाब से इस पृथ्वी पर जगह नहीं बचेगी, सब जगह पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। बेतहाशा वनों का कटान हो रहा है। वनों का कटान रोकने के लिए केन्द्र सरकार का अधिनियम बना है, उसकी अवहेलना हो रही है। तब क्या होता है, जब राज्य सरकारे स्वयं एक पार्क में अपनी मूर्ति लगाने के लिए पेड़ों के ग्रीन बेल्ट को काटना शुरु कर देते हैं और केन्द्र सरकार के बनाए हए

कानून की अवहेलना करते हैं। इस पर विशेन ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यावरण में असंतुलन के कारण बीमारियां हो रही हैं, मौसम व वर्ना में अनिश्चितता बढ़ रही है । इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सभापित महोदय, मैं एक आवश्यक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो हजारों करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों को भेजा जाता है, उसकी मोनिटरिंग की सही व्यवस्था होनी चाहिए। उस धनराशि का सही उपयोग नहीं होता। मुझे याद है कि यहां से कुछ वर्न पहले केन्द्रीय मंत्री जाते थे, केन्द्रीय विभाग के सचिव जाते थे। वे समीक्षा करते थे और देखते थे कि जिन योजनाओं पर खर्चा करना आवश्यक था, उन पर खर्चा हुआ या नहीं। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, जब आप केन्द्रीय संतुलन दूर करने की, स्थानीय संतुलन की बात करते हैं तो उसमें इसलिए भी आवश्यकता है कि हमारा एथिनिक बैलेंस भी होना चाहिए। एससी, एसटी के लिए जितनी धनराशि है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से हमने यह व्यवस्था की कि अनुसूचित-जाित, जनजाित के लिए विशेन योजना बने, लेकिन उस पैसे का सामान्य योजनाओं के माध्यम से खर्च कर दिया जाता है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। दिलतों के उत्थान के लिए भेजी गई धनरािश का सही प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सभापित महोदय, डिलीवरी सिस्टम बहुत जरूरी है, यह अत्यंत आवश्यक है। माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने सन् 2007 में एनडीसी की मीटिंग में यह घो-ाणा की थी कि अगर हम एक रुपया गरीब के लिए भेजते हैं तो उस पर केन्द्र सरकार का खर्चा तीन रुपए साठ पैसे आता है। चार रुपए साठ पैसे और उस एक रुपए के लिए राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम एक रुपया दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन उसके 15 पैसे ही वहां पहुंचते हैं। राहुल जी ने जब बुंदेलखंड का दौरा किया, वे जगह-जगह गए और वहां की जमीनी हकीकत देखी, उन्होंने कहा कि ये तो दस पैसे से भी कम हैं। हम जो चार रुपए साठ पैसे भेजते हैं और वहां अगर दस पैसे पहुंचते हैं तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पर विचार करना चाहिए। व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।

सभापित महोदय, मैं नेशन की फिजिकल हैल्थ पर बात करना चाहूंगा, हमारी क्या फिजिकल हैल्थ है। हम देखते हैं कि हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडीचर 6,95,679 करोड़ है और रेवेन्यू रसीट सिर्फ छ: लाख चौदह हजार करोड़ है। 10,20,838 करोड़ के खर्चे में हमारा प्लान एक्सपेंडीचर सिर्फ तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ है। अगर इसको भी फंड करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि

हमारी जो टैक्स के माध्यम से इनहाउस इनकम है, वह हमारी किसी भी योजना को फंड करने के लिए सक्षम नहीं है और हमें कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि हमारे देश की फिजिकल हैल्थ क्या है और इन आंकड़ों के सहारे, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इसका जरूर उल्लेख करेंगे।

सभापित महोदय, मैं पुन: माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है, जो समेकित विकास, गरीबों के विकास और किसानों के विकास के लिए समर्पित है।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

I would like to make some points here. I am aware of the time-constraint and so, due to paucity of time, I would only like to touch some important points for the consideration of the Government.

First of all, I must comment that this Budget is mostly rhetoric; there is lack of consideration; there is lack of correspondence between the rhetoric and practice.

Sir, first I would like to refer to the tax proposals. The way the tax proposals have been spelt out in the Budget is a reflection of the failure of the Government. The projection is for a 6.8 per cent fiscal deficit. The principal failure of the Government is that the hon. Finance Minister himself has very significantly mentioned that the sources for resource generation would be from non-taxable sources, namely, a sum of Rs. 35,000 crore is supposed to be mobilised through the sale of the 3G spectrum and the rest through massive borrowings. During the first phase of the discussion on the Budget, the hon. Finance Minister quoted Kautilya, but I think, he should have quoted Charabakas who said "ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत्" but unfortunately he did not quote Charabakas. Generation of resources through sale of 3G spectrum and through massive borrowing is a failure of this Government. The Finance Minister has not done much to spur investment or deliver benefits to the poor and the deprived. The increase in total expenditure in 2009-10 in relation to the revised figures of 2008-09 is just only 2 per cent of the GDP. The Central Plan allocation has been increased by only one per cent of GDP. With these kinds of formulations the hon. Finance Minister claims that the Budget seeks to stimulate growth. The Government seeks to achieve stimulus growth by increase of one per cent of GDP. This is the situation.

Sir, much has been said about credit flow to the agriculture sector. How much is that? The figure as stated is Rs. 3,25,000 crore. But this amount would be

invested by banks. It is not going to be invested through Budgetary allocations. It would be done through the banks. The amount in 2008-09 was to the tune of Rs. 2,871 crore. The increase in the amount in this year is not much.

Sir, my next point is about investments in the infrastructure sector. Sixty per cent of the exposure in infrastructure is by the PPP route. In respect of NREGA it has been said that there has been a 144 per cent increase in the allocation of funds in respect of NREGA. But what is the amount in absolute terms? During the year 2008-09 it was Rs. 36, 750 crore and now it has been raised to 39, 000 crore. So, the increase in amount is only Rs. 3,250 crore. The proposal in the Budget is that the amount to be paid is Rs. 100/- instead of Rs. 60/-. Allocation therefore is inadequate. It is merely rhetoric. The allocation made in the National Health Mission is Rs. 1930 crore.

The increase is only 1.2 per cent.

Let me come to ICDS now. I do welcome that this Government is thinking about universal ICDS. It is all right. But what is the allocation for it? There is only 1.1 per cent increase. We are waiting for a legislation on right to education. It would be a historical legislation. But what about its allocation? It is getting less by Rs. 200 crores.

14.00 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

Let me now come to food security. It is already mentioned in the hon. President's speech that 25 kilograms of foodgrains at the rate of Rs. 3 per kilogram will be given to every BPL family. What has been provided earlier still exists. Under Antyodaya Anna Yojana, every BPL family is entitled to procure 35 kilograms of foodgrains per month at the rate of Rs. 2 per kilogram. Now, it is getting less. Instead of 35 kilograms, now 25 kilograms is being proposed. So, it is ten kilograms less. It is not only that, they had to pay Rs. 2 per kilogram earlier whereas now they have to pay Rs. 3 per kilogram. So, for procuring ten kilograms more, they have no other way but to go to the market. This provision is not adequate so far as food security aspect is concerned. So, I request the Government

to enhance ten kilograms, from 25 kilograms to 35 kilograms, at the rate of Rs. 2 per kilogram as it existed in the case of the provision under Antyodaya Anna Yojana.

Now, let me come to the interest rate in agriculture. The UPA Government has set up a National Commission on Farmers under the Chairmanship of Dr. M.S. Swaminathan. There is a concrete proposal that in agriculture, credit should be given at not more than four per cent simple interest. You have reduced one per cent interest in case of regular payment. But why not it be four per cent? At least the Government should honour the recommendations of the Commission which they themselves have set up. Then, there is Vaidhyanathan Committee. The Vaidhyanathan Committee has made very important recommendations with regard to the cooperative sector. Nothing is said about this aspect. Commissions and Committees are being set up. The Government has become an expert of setting up Commissions after Commissions. But how about the recommendations of such Commissions? How many of them have been honoured so far? So, I strongly demand that all the important recommendations made by the Swaminathan Commission should be honoured by the UPA Government.

As regards the question of providing subsidy for fertilizers, the Government is planning to think over it. Nothing concrete has come out nor has the Government clearly come out with a proposal that an arrangement will be made for providing subsidy directly to the farmers. What do we see in agriculture right now? The Budgetary allocation is mostly for the revenue sector and not for the capital sector. The capital formation for agriculture is getting reduced day by day. That is because the Budgetary allocation is being provided mostly for the revenue sector. 99.5 per cent of the allocation goes for the revenue sector, and only 0.11 per cent is being provided for the capital expenditure.

The Government is proposing six per cent loan for agriculture. But it is confined to short-term crop loan. Nothing has been said about medium and long-

term loans. I would request the Government not to confine it to crop loan. Please extend it to medium and long-term loans also.

I have to say much. But due to the paucity of time I conclude my speech saying that the Government should match its rhetoric with its action. There should be a match between its rhetoric and its practice. There is a huge gap between the lip and the cup. The Government should bridge it.

With these words, I conclude.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे फाइनैंस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

सर्वप्रथम मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने ओपनिंग भा-गण में कहा था कि यह आम-आदमी का बजट है। उन्होंने पैराग्राफ छः में यह भी कहा था कि भारत के किसान और किसान से कनेक्टेड यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से कनेक्टेड जनता साठ प्रतिशत है। यह बात आपने अपने अभिवादन में शुरूआत में कही, लेकिन जब जीडीपी और बजट का एलोकेशन आया तो एग्रीकल्चर सैक्टर में एक प्रतिशत का बजट आया और एक हजार करोड़ रूपए सिर्फ सिंचाई के लिए दिए। माननीया प्रेसीडेंट आफ इंडिया के भा-गण में, उन्होंने खेती को तीन भागों में बांटा था और तीसरे भाग में बागवानी के लिए भी कहा था, लेकिन एक हजार करोड़ रूपए जो सिंचाई के लिए एलोकेट किए गए हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि इससे बागवानी की भी सिंचाई नहीं हो सकती है।

आप पिछले 61 साल के इतिहास को देख लीजिए। भारतवर्न कृनि प्रधान देश है। आप चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक कृनि और कृनि से कनेक्टेड लोगों की तरक्की नहीं होगी, तब तक भारत की तरक्की नहीं हो सकती, यह बात सिद्ध हो चुकी है। इस संबंध में मैं एक डाटा और बताना चाहता हूं। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं, उसका नाम उत्तर प्रदेश है। यह संसार में सातवां लार्जेस्ट पापुलेटेड स्टेट है। इसकी 18 करोड़ आबादी है और उनकी यह दुर्व्यवस्था है कि बीस दिन का मानसून डिले होने से पूरी वित्त व्यवस्था चरमरा रही है। मुझे इसका बहुत अफसोस है।

महोदय, मैं मोटी-मोटी बातें कहकर, बाकी भानण लिखकर दे दूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। बजट के भानण या बिल में कहीं भी सरकार के एक्सपेंडीचर में कटौती नहीं हुयी है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, जैसे स्टील अथारिटी आफ इंडिया है, यहां 550 करोड़ रूपये से ज्यादा सिर्फ तनखाह के लिए खर्च होता है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया तब बनी थी, जब भारत में स्टील का प्रोडक्शन बहुत कम था। जो बाहर से स्टील आता था, उसे बांटने के लिए यह बनी थी। आज इतना ज्यादा स्टील है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के कम से कम 14 ऐसे डिपार्टमैंट हैं जिन्हें सिर्फ तनखाह बांटी जा रही है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने कहा कि 9 प्रतिशत ग्रोथ हो गई। आपने 4 प्रतिशत एग्रीकल्चर की बात कही। दो महीने पहले फाइनैंशियल टाइम्स में माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी की स्पीच का एक ऐक्सट्रैक्ट निकला था, जिसमें उन्होंने माना है कि पिछले पन्द्रह साल से कृनि में एक प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुई। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फिगर दी है, मैं उस फिगर को भी सही नहीं समझता कि भारत में सिर्फ 60 प्रतिशत एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। अगर

देखा जाए तो 70-72 प्रतिशत जनता कृनि और कृनि से संबंधित है। आपने एक प्रतिशत बजट 70 प्रतिशत जनता को दिया और 99 प्रतिशत बजट 30 प्रतिशत जनता को दिया।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। इस बजट में कृिन में न उत्पादन बढ़ रहा है और न सिंचाई बढ़ रही है। हो सकता है कि बैंक के लोन माफी से कांग्रेस पार्टी का कुछ वोट बैंक बढ़ जाए, लेकिन उत्पादन एक किलो भी नहीं बढ़ रहा है। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बैंक से लोन दिलवा दीजिए। हमने कहा कि क्यों? वे कहते हैं इसिलए दिलवा दीजिए कि अब लोन वापिस नहीं देना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने लोन अदा कर दिए हैं, वे परेशान हैं कि हमने गलती कर दी। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अपना उत्तरदायित्व समझे। देश के भिव-य के साथ इस टाइप का गिमिक न खेले।

में एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूरे बजट में कृिन के बारे में, हमने इकोनॉमिक्स के फंडामैंटल में पढ़ा है कि लॉग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, शार्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। लॉग टर्म प्लानिंग है ही नहीं और अगर हम शार्ट टर्म प्लानिंग की बात बताएं, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, मैंने खुद दिखवाया है, इस समय बुंदेलखंड में वाटर लैवल 21 फीट और 26 फीट से नीचे चला गया है। 60 प्रतिशत हैंड पम्प गांव के लड़के-लड़कियां और औरतें चलाती हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ा जाए। आपकी तरफ से एक बात आई कि इसमें 25 साल, 30 साल लगेंगे। हम, आप कहते हैं कि उन नदियों को भूल जाइए। उत्तर प्रदेश, मैं खासकर बुंदेलखंड की तरफ से बात बताना चाहता हूं और जहां का सांसद हूं हमीरपुर, महोवा, खजुराहो का बार्डर, वहां कम से कम 7 ऐसी नदियां हैं जिनमें बरसात में हाहाकार मच जाता है। अगर छोटे-छोटे डैम भी बना दिए जाएं तो पूरे बुंदेलखंड की पानी की समस्या सौल्व हो सकती है। दूसरी तरफ एक सैकिंड नहीं लगा, 3.000 करोड़ रुपये कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए ऐलोकेट हो गए। कॉमनवैल्थ गेम्स से क्या होगा? 200, 300 खिलाड़ी आएंगे, 100 मैडल में से 80, 99 मैडल लेकर चले जाएंगे, दिल्ली में 2, 4 फाइव स्टार होटल बन जाएंगे और 4, 6 फ्लाई ओवर बन जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 3,000 करोड़ रुपये बुंदेलखंड को दे दिए गए तो हर खेत में पानी पहुंच जाएगा, इसका इंतजाम हो सकता है। आप इसे समझिए कि हर खेत में पानी, जिसमें 7 करोड़ जनता बुंदेलखंड में रहती है। 7 करोड़ जनता बनाम कॉमनवैल्थ गेम्स -मार्शल टीटो वगैरह जो प्लानिंग करते थे, यह उस टाइप की प्लानिंग दिखाई पड़ रही है। एक तरफ मैट्रो, सड़क बन रही है, सड़क चौड़ी हो रही है, फ्लाई ओवर बन रहे हैं और दूसरी तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। जब तक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप नहीं हो सकता, तब तक विकास की बात बिल्कुल नहीं हो सकती।

भारत सरकार 7 मेगा थर्मल पावर खोल रही है। उसमें उत्तर प्रदेश का कहीं नाम ही नहीं है, यहां तक कि बिहार का भी नाम नहीं है। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि जो सरकारें यूपीए के साथ नहीं हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार रहता है। हम कहते हैं कि आप नेताओं को परेशान कीजिये, हमें परेशान कीजिये । ...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): आप बजट के पक्ष में हैं या विरोध में हैं। ...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह: अभी आप समझ नहीं पाये, कोई बात नहीं। आप थोड़ी देर में समझते हैं। आपको समझने में टाइम लेगा, लेकिन अंत में आप समझ जायेंगे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग शांत रहिये।

श्री विजय बहादुर सिंह: हां, हम आपके साथ हैं, आप घबराइये मत। कांग्रेस सरकार को तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि 61 साल में किसान की जो हड्डी निकल आयी है, उसके आप ऑथर हैं। आप क्या बोलेंगे? ...(व्यवधान) आपने राज किया है। ...(व्यवधान) चाहे माननीय जवाहर लाल नेहरू जी हों, चाहे उनकी बेटी हो, बेटा हो या बहू हो। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था ...(व्यवधान) ठीक है, इस समय आपको नम्बर नहीं मिलेंगे। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे देख लीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग शांत रहिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप विनय पर बोलिये। आप उनसे बात न करके विनय पर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह: हमें पहली बार लग रहा है कि यूपीए सरकार में अनुशासन की कमी है। ...(व्यवधान) आप एक उदाहरण देख लें। पिछले दस सालों में 2.42 ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग शांत रहिये। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह: आप सुन लीजिए और अपनी नॉलेज इम्प्रूव कीजिए। पिछले दस सालों में फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2.42 अरब रूपये बर्बाद अनाज पर खर्च किये। पिछले तीन साल से जो अनाज सड़ा हुआ था, उसे दफनाने में सात करोड़ रूपये खर्च किये। यह फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की आत्महत्या है। आप देख लें कि इस बार 1.10 लाख की चावल और पैडी सड़ गयी। यह फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कृनि मंत्रालय की एक आत्मकथा है। इसका भी एक कारण है। पहली बार भारत के कृनि मंत्री, कृनि में कम बीसीसीआई में ज्यादा ध्यान देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जिरये भारत सरकार को एक दरखास्त देना चाहता हूं कि आप दो मंत्रालय खोल दीजिए। एक क्रिकेट मंत्रालय और दूसरा कृिन मंत्रालय और पवार साहब को कह दीजिए कि ऑप्शन इज हीज। इस तरह की उपेक्षा से भारत में, आप जा चाहे कहें, लेकिन तरक्की नहीं हो सकती। आज अगर देश में सूखा आ रहा है, तो भारत की जनता मारुति और मारुति के पार्ट्स नहीं खायेगी। आप देख लीजिए कि दाल के क्या दाम हैं? जब कृिन के उत्पादक को फायदा नहीं है, मैं खुद किसान था। मैंने खुद खेती छोड़कर हाई कोर्ट में वकालत की। किसान को अगर अपने उत्पादन का मूल्य सही नहीं मिलेगा, तो वह क्या करेगा? आज किसान को गेहूं का साढ़े दस सौ रुपये मिलता है जबिक एक हजार रुपया उसके उत्पादन का मूल्य है। इस तरह काम कैसे चलेगा? मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बजट आया है, वह इंडिया का नहीं है, आम आदमी का नहीं है। इस बजट को सपोर्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें एक छोटा सा संशोधन कर दिया जाये कि आम आदमी को हटाकर खास आदमी कर दिया जाये और भारत का नाम इंडिया कारपोरेट लिमिटेड कर दिया जाए।

माननीय वित्त मंत्री अभी सदन में नहीं हैं। यह उनकी गलती नहीं है। 25 साल पहले उन्होंने बजट पेश किया था, जो इन्होंने बताया था। लेकिन इनके जो बाबू है, जो नार्थ ब्लॉक में बैठते हैं, वे और उनके लड़के सेंसस में ध्यान देते हैं। वे अपना उत्थान और पतन कारपोरेट बजट के राइज एंड फॉल से देखते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में, वर्ल्ड में, मेरे पास इसका रिकार्ड है कि वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसी क्लाइमेटिक कंट्री है जिसमें अगर सौ करोड़ हैक्टेयर लैंड है, उसमें अगर तीन बार खेती की, तो बारह करोड़ हो जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर सैक्टर को युद्धस्तरीय प्रॉयिरटी नहीं देंगे, तो भारत की स्वतंत्रता और इंडीपेडेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इनके माइंड सेट, इनकी थिंकिंग में बेसिक चेंज आनी चाहिए। थिंकिंग में अब जैसी चेंज आयी है, वह देखिये। आप कह रहे हैं कि किसान को सात परसेंट से छः परसेंट ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह: आप किसान को छः परसेंट इंटरस्ट दे रहे हैं। इंडस्ट्री में चार परसेंट है। इंडस्ट्रियल रिहैबिलिटेशन एक्ट में ढाई परसेंट है। अब आप समझें कि मैं बजट का सपोर्ट कर रहा हूं या नहीं। अगर आप नहीं समझें, तो मुझसे बाद में पूछ लीजिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक भारत के बजट का मुख्य ध्यान कृनि, जिस पर देश के 72 प्रतिशत लोग जीवित हैं, पर नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। किसान का मतलब है अन्नदाता, लेकिन आज वही अन्नदाता भूखा है। उसके लिए कृनि की पॉलिसी को युद्धस्तर पर लागू करना चाहिए।

में इन्हीं बातों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जब इस देश में वैट लागू किया गया था तब एक आम सहमित केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बनी थी कि जब जिस स्टेट में वैट लागू होगा, सीएसटी को कम करेंगे। वर्तमान में सीएसटी दो प्रतिशत है। इस बजट में यह सीएसटी घटकर जीरो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अभी भी यह दो प्रतिशत है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जब वैट लागू करते समय आपने राज्यों से इसके लिए समझौता किया था, एमओयू साइन किया था, कि वैट लागू कीजिए, हम सीएसटी जीरो कर देंगे, वह सीएसटी जीरो नहीं हुई है। इसलिए सीएसटी को जीरो किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस देश का एसएसआई सेक्टर, जो लघु उद्योग हैं, हैण्डीक्राफ्ट्स से जुड़े हुए उद्योग हैं, वे इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसी जमाने में इन उद्योगों के लिए एक्साइज ड्यूटी से छूट की लिमिट तीन करोड़ रूपए थी, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर डेढ़ करोड़ रूपए कर दिया है। इस लिमिट को बढ़ना चाहिए। यह बहुत अफसोस का विनय है। यह सेक्टर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इसके सारे आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, केवल कुछ आइटम्स पर लगती है, केवल कुछ आइटम ऐसे हैं जो एक्साइजेबल हैं। इसमें सरकार पर ज्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है। मेरा आग्रह है कि एसएसआई सेक्टर, जिसे वर्तमान में एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है, में जो आइटम बनते हैं, उनके लिए एनुअल टर्नओवर पर एक्साइज ड्यूटी की जो सीमा पहले तीन करोड़ रूपए थी, जिसे घटाकर डेढ़ करोड़ रूपए किया गया है, उसे वापस तीन करोड़ रूपए किया जाए। फिफ्थ-पे-कमीशन और सिक्स्थ-पे-कमीशन जो इस वित्त विधेयक से जुड़े हुए हैं, फिफ्थ-पे-कमीशन जब लागू हुआ तब कहा गया था कि हम डाउनसाइजिंग करेंगे। डाउनसाइजिंग न फिफ्थ-पे-कमीशन में हुई और न ही सिक्स्थ-पे-कमीशन में हुई। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए तािक टैक्स स्टक्चर पर ज्यादा भार न पड़े।

किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो रहा है, उसकी संख्या में कुछ बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन इसमें जो सरलीकरण होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। मैं किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण की बात कर रहा हूं। जब किसान क्रेडिट कार्ड एक बार जारी हो जाता है, उसके बाद जब किसान उसके नवीनीकरण के लिए बैंकों के पास जाता है, तो वह सारी फार्मेल्टीज फिर से उस किसान को करनी पड़ती हैं। सारे बैंकों से एनओसी लाओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिखाकर लाओ, मेरी समझ में नहीं आता कि इन सारी फार्मेलिटीज की जरूरत क्यों पड़ती है। जिस खेती की जमीन पर एक बार किसान को क्रेडिट कार्ड जारी हो गया, उस समय ये सारी फार्मेलिटीज पूरी कर दी जाती हैं, फिर उसके नवीकरण के लिए क्यों दोबारा ऐसा किया

जाता है। इसलिए भारत सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड का सरलीकरण करना चाहिए। अगर किसी किसान को एक बार किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो जाता है, तो उसके नवीकरण के समय ये सारी फार्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यह पूछ सकते हैं कि किसान ने कहीं अपनी जमीन गिरवी तो नहीं रखी या उस पर लोन तो नहीं लिया, जबिक वह भी उसके नोट में लिखा होता है। इस वजह से राजस्थान में और खासकर मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के किसानों को अपने किसान क्रेडिट कार्ड दोबारा नवीकरण कराने में चार-पांच महीने का समय लग जाता है। ऐसे हजारों किसान क्रेडिट कार्ड्स के नवीकरण के केसेज बीकानेर के बैंकों में पड़े हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि उनका जल्द से जल्द निस्तारा किया जाए।

मैं इनकम टैक्स के सरल फार्म के ऊपर भी वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्नित करना चाहता हूं। नाम बड़ा सरल है और फार्म बड़ा कठिन है। इसे वाकई में सरल करना चाहिए, जिससे इनकम टैक्स देने वाले सरलीकरण की प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें।

मैं जटरोफा की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज के युग में बायो-डीजल का काफी महत्व है। कुछ लोग बायो-डीजल यूज भी कर रहे हैं। जहां वेस्ट लैंड है, जैसे राजस्थान में काफी वेस्ट लैंड है, वहां जटरोफा उगाया जाता है। उसके बाद उसकी प्रयोगशालाओं में जांच होती है और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी इस पर शोध हो रहा है। रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम रेल की पड़ती जमीन का लैंड बैंक बनाएंगे। हमारे देश में कई जगह रेल लाइंस के साथ रेलवे की पड़ती जमीन पड़ी है, जो किसी काम नहीं आ रही है, केवल उसका अतिक्रमण ही होता है। वहां न तो कोई फाइव स्टार होटल बन सकता है और न कुछ और हो सकता है। यह जमीन पांच से बीस मीटर तक चौड़ी होती है। मेरा रेल मंत्री जी को सुझाव है कि वह इस पड़ती जमीन पर जटरोफा की खेती करें। रेलवे के जो गैंगमैन हैं, वे उसकी रखवाली कर सकते हैं। रेलवे के जगह-जगह पम्पिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, उससे जतरोफा को पानी दिया जा सकता है। इससे रेलवे को बायो-डीजल मिलेगा, जो उसके काफी काम आएगा। ममता जी जो लैंड बैंक बनाना चाहती हैं, अगर वह उस जमीन पर जतरोफा की खेती कराएं तो वह जमीन उनके काम आ सकती है और बायो-डीजल के रूप में सस्ता ईंधन भी रेलवे को मिल सकता है। इससे रेलवे की आय भी होगी और डीजल की भी बचत होगी।

राजस्थान को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में एक हैंडलूम कलस्टर दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काफी धनी है और यह प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है। राजस्थान में जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाले लोग हैं, वे बरसों से मांग कर रहे हैं कि

हैंडीक्राफ्ट का कलस्टर भी राजस्थान को मिले। इसलिए इस बजट में वित्त मंत्री जी उसे उपलब्ध कराने की घो-गण करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

राजस्थान की एक बड़ी मांग बरसों से चली आ रही है। राजस्थान का हर मुख्य मंत्री यह चाहता है कि वहां जो रेगिस्तानी जिले हैं, करीब 11 जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि उनके लिए कोई अलग से टैक्स पैटर्न होना चाहिए, कोई अलग से पैकेज होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए और टैक्स में छूट होनी चाहिए। जैसे हिली एरियाज के लिए आपने टैक्स में छूट दी है, यह अच्छी बात है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हिली एरियाज में लोग जिस वि-ामता के साथ रहते हैं, उसी तरह डैजर्ट में भी रहते हैं। दूर-दूर तक आबादी नहीं होती। अगर वहां पूंजी निवेश करने वाले आएंगे तो उन्हें कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान के जो 11 रेगिस्तानी जिले हैं, वहां भी हिली एरियाज की तरह टैक्स में छूट होनी चाहिए, तािक निवेशक आकर वहां निवेश कर सकें।

में एक अन्य मांग वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं। बजट में सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है, यह एक अच्छी बात है। आपने एक पवित्र उद्देश्य इस बजट में रखा है कि आगामी पांच व-र्ों में 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी को इनसे जोड़ दिया जाएगा और बैंकों से लिंकेज करा देंगे। लेकिन इसे पूरा कैसे करेंगे। अभी तक 22 लाख लोग सेल्फ हैल्प ग्रूप्स के बैंकों से जुड़े हैं। इन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स में करीब 1 करोड़ 20 लाख में आधी आबादी तो महिलाओं की है। अगर आपको जोड़ना ही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो बैंकों पर कमान कसती है, लोन देते समय मानिटरिंग करती है, उसमें बैंकों के जो महिलाओं के रेप्टेड एनजीओज़ हैं, उन्हें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी में मनोनीत सदस्य बनाया जाए। ताकि जो महिलाओं के सैल्फ-हैल्प ग्रूप बने हुए हैं, उनका ध्यान रख सके। मैं आपके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इस बजट में असंगठित क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं। जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, खेती में काम करने वाले, धान चुनने वाले लोग हैं, इनके लिए एक अध्यादेश पिछले साल आया है, लेकिन मुझे बजट में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि " ग्रोथ पोल" स्कीम जो असंगठित क्षेत्र के लिए थी, उसका जिक्र इस पूरे बजट में कहीं नहीं है। ग्रोथ-पोल नामक स्कीम को भी आप रिवाइव करें, उसके लिए एक कमीशन बना हुआ है और उस कमीशन को भी आप मजबूत करें। उसमें सांसद लोग भी सदस्य बन सकते हैं और अगर आप ग्रोथ-पोल स्कीम में आप बजट उपलब्ध कराएंगे तो पूरे देश में हैंडीक्राफ्ट्स के क्लस्टर बने हुए हैं, उनकी बढ़ोत्तरी हो सकती है। यह काम भी आप कर सकते हैं।

अंत में मेरा कहना यह है कि जैसे ऋण माफी का मामला आया और छोटे-छोटे किसानों को भी ऋण माफी का लाभ मिला। हमारे राजस्थान में छोटे-छोटे हैंडलूम के जो कारीगर हैं, उन्हें आज से 30-40 साल पहले हजार रुपये, दो हजार रुपये जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से, कुछ बैंकों के माध्यम से, कुछ कलैक्ट्रेट के माध्यम से दिए गये थे। उस लोन को चुकाने वाला कोई नहीं है और उन्हें दूसरा लोन मिल नहीं सकता है और वे बीपीएल के लोग हैं लेकिन उन्हें कहा जाता है कि आपको 30 साल पहले हजार रुपये लोन दिया गया था वह चुकाओ। हमारे स्टेट में यह राशि कुल 20-30 करोड़ रुपये है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को भी आप माफ कराएं। अपना शे-ा भा-ाण मैं सभापटल पर रखता हूं।

*Exemptions to the SSI Units from Excise

The Excise duty exemption to the SSI units may be increased up to Rs. 3 Core.

Revival of NSS and ELSS Schemes

The provisions of NSS and ELSS should be revived. This will provide a large fund at a lower rate to the country and will help in lesser generation of black money. This limit should be over and above of Section 80C.

TDS Provisions

- (a) Over all limit of Rs.50,000/- for deduction of TDS from the contractor should be increased at least to Rs.5,00,000/-.
- (b) The limit for deduction of TDS should be increased as under:

S.No.	Head	Existing Limit	Proposed Limit
1	Interest	5,000/-	25,000/-
2	Brokerage/Commission	2,500/-	25,000/-
3	Rent	1,20,000/-	3,00,000/-
4	Proff. Charges	20,000/-	50,000/-

Deduction U/S 80DDB

Expenses incurred on the following diseases should also be included:-

- a. Cancer other than malignant cancer.
- b. Angioplasty/Angiography/Bi-pass surgery.
- c. Expenses incurred on the treatment in accidental cases.
- d. Diabetes (maximum limit may be lower than as prescribed in the section for diabetes).

Withdrawal of Section 50C

This section provides that Tax should be payable on the value of property for which stamp duty is paid though the consideration realized be much lower than value of stamp

^{*...*} This part of the speech was laid on the Table.

duty. This is absolutely ridiculous provision which takes the tax on income not actually earned. This is against the soul of tax provision and should be deleted.

Non Seizure of books at the time of survey

Provision of seizure of books at the time of survey should be withdrawn and if necessary maximum limit of seven days be prescribed and thereafter retention should be permitted even after the permission of higher authorities.

Reduction in Age Limit for Senior Citizens

- (a) The age limit for senior citizens should be brought down to 60 years from 65 years at present.
- (b) After attaining citizen status, taxpayer should feel socially & financially secured. Medical insurance up to the limit of Rs.5 lakhs and financial assistance should be provided to them. Financial assistance should be provided in proportion of tax paid by him & medical insurance should be allowed to taxpayer who has paid income tax of Rs.5 lakhs.

Service Tax

- (a) The minimum limit up to which no service tax be levied should be Rs.20 Lacs. Persons falling under service tax net and having gross receipts above Rs.20 Lacs alone should be made liable to pay service tax.
- (b) Liability to file service tax returns should be only if a person is having taxable service. A person should not be liable to file service tax returns only because he is registered under service tax and is having services below taxable limits.

Increase in Rate of Interest on Small Savings

Interests on small saving scheme should be increased to 10% from existing 8% in line with inflationary trend of economy.

Transparency in the Working of Income Tax Department

Transparency should be there in the working of Income Tax Department. Like assessee is being penalized under various sections by imposing penal interest, penalty and prosecution etc. The staff of the Income Tax Department should also be made responsible for these wrongdoings. They should also be punished and prosecuted, if it is found that they are harassing or teasing, the Tax payers by any means including by way of unwarranted and baseless additions, reopening of the assessment without any basis, indiscriminate issue to notice u/s 131, endless hearing and baseless questions asked during the course of scrutiny proceedings etc. This will increase the confidence of the Tax payer and will result in harmonious relations and better compliance of Income Tax Provision.

Restricting of F.B.T.

F.B.T. should be abolished totally and if not possible it should be abolished at least from partnership firms.*

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Finance (No. 2) Bill moved by the hon. Finance Minister who is announcing several financial packages for the industry for the last six months which has helped to revive the economy. Some sectors of the country have already started booming up.

There is unanimity that India will get over recession period much before the Western countries could. Some of the measures announced in the Budget would help to achieve this goal.

I would like to congratulate and thank our hon. Finance Minister for his announcement yesterday at Kolkata that our UPA Government is considering to introduce schemes like NREGA which will help to increase the purchasing power of the poor farmers and workers. Our people have given us this massive mandate only to take such measures in this Session of Parliament.

One salient feature of the Budgets is full interest subsidy for the economically weaker students studying in technical and professional colleges. A number of students are benefited all over India by taking study loans from nationalized banks. So, I would urge upon the Finance Minister to consider extending this interest subsidy facility to all those students who have taken loans from the nationalized banks.

Other salient features of the Budget are withdrawal of fringe benefit tax, deletion of surcharge, inclusion of certain legal professions and a few medical professions into the service tax network, abolition of Commodity Transaction Tax, and extension of Export Holiday from the year 2010 to 2011. I would like to suggest that separate deduction may be made for educational expenses of children as the cost of education is increasing abnormally. That is to be delinked from the deduction of Section 80 C.

One of the historic decisions taken by our UPA Government is the implementation of NREGA.

* Mr. Deputy-Speaker Sir, as one who was fortunate enough to be present in this august House during the 14th Lok Sabha when the President of our All India Congress Committee and the Chairperson of the United Progressive Alliance annai Shrimati Sonia Gandhi brought before this House the National Rural Employment Guarantee Scheme for its adoption, I supported it and voted in favour thereof. This Scheme that guarantees 100 days of job opportunity in a year with a daily wage of Rs. 80 is to be increased to Rs. 100. Our Finance Minister has also made an announcement in this regard. With the implementation of this scheme, we find that the flow of money has not met with any crunch even during this period of recession and that can be witnessed even in rural areas where even the povertystricken people can live in a dignified way. This is a historical move that has brought about a reform for the better in our economy. There is no two opinion that this is a widely welcomed scheme that has given a big relief in the lives of rural poor. There is a question lurking before us whether this scheme could be taken up only during the off season when agricultural activity is not there. This question arises because agricultural activity is affected when the agricultural labour are weaned away for other as the scheme is being implemented throughout the year. We must be cautious because this scheme meant for giving relief to the agricultural labour and improving rural infrastructure should not come in the way of our agricultural production. If agriculture is affected, the entire economy will be affected because that is the foundation on which our economy stands. Hence, I urge upon the Finance Minister to issue suitable instructions in this regard that this scheme will be taken up in villages only when crop cultivation is not there. This job creation for taking up certain work in public places must be extended to the fields of small and marginal farmers also so that the productivity of such lands can also be enhanced. This experimentation has been successfully carried out in Andhra Pradesh. The Centre may consider implementing it all over the country.*

^{*...*} English translation of this part of the Speech was originally delivered in Tamil.

Sir, I also praise the Finance Minister for increasing the tax slabs for senior citizens, women and other assessees. I would also like to urge the Finance Minister to increase the exemption limit to Rs. 2 lakh per year after taking into account the rising living costs especially in the urban areas.

Sir, I would like to draw the attention of the Finance Minister to the rising cost of pulses, vegetable oil and sugar. A stage has been reached that taking *idli* vada is becoming a luxury now-a-days. The price of *door dhal* has shot up to the record level of Rs. 100/- per kilogram. Vegetable oils are sold between Rs. 100/- and Rs. 200/-. The price rise has been stiff in the case of gingely oil which is sold at Rs. 200/- per kilogram.

When the prices of such essential commodities like pulses oil, vegetable oil and milk are going up steadily causing misery to the common man, the Finance Ministry reports reduction in the inflation rate, which means reduction in D.A. for lakhs of employees.

I would, therefore, urge upon the Finance Minister to constitute a Committee comprising of all sections of the community to go into the prices of commodities urgently which should be brought under the purview of combating inflation. The Government should also take immediate steps to reduce the price substantially by ordering raid on hoarders and black-marketeers. All the State Governments should be asked or advised to take stringent steps against hoarders and black marketeers. Import of essential commodities may also be considered at this point of time.

Sir, production of non-conventional energy is the need of the hour. Solar energy and wind energy should be encouraged by offering suitable subsidy and loans at a very minimum rate of interest. This will lead to encourage eco-friendly power generation and fulfil our energy requirements to a great extent.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, it is becoming increasingly difficult to get agricultural labour in rural areas these days. It becomes difficult to get manual labour for various reasons. The reasons can be global recession and various schemes to benefit the poor agricultural labour that wean them away from agricultural activities. I am afraid we have stepped into an era of mechanization in farming. Hence, I urge upon the Finance Minister to consider providing relief to the agriculturists who may go in for agricultural implements and equipment for agricultural activities like sowing, transplanting and harvesting. Subsidies for switching over to these machines can be increased while buying or importing these machines. Banking institutions must be suitably instructed to extend loans for these purchases at lesser rate of interest.

It has been estimated that grains, fruits, vegetables, etc. to the tune of Rs. 60,000 crore per year are being wasted due to paucity of proper cold storage facilities.

Our Government can arrest this great loss by establishing sufficient coldstorage godowns. If private parties are ready to construct such godowns, they may be given more than 50 per cent subsidy without any ceiling; and they may be given loans at a very cheaper rate of three per cent per annum.

Sir, in my Constituency, Gddanchantam has a huge vegetable market, and Natham is the centre for mango marketing there. Hence, cold-storage facilities in both these two places should be provided to save the farmers to enable them to get reasonable prices of their produce.

Lastly, we may remember that in the recent Parliamentary elections, all the major political parties announced that if they come to power, they would bring back all the black money stacked in foreign banks, especially Swiss banks. I would request that our Government should take steps to bring back all the black money of our Indian citizens deposited in foreign banks, and to announce a

^{*..*} English translation of this part of the Speech was originally delivered in Tamil

scheme for the holders of such money with foreign banks to enable them to bring back the money to India within a stipulated period by imposing normal income tax and wealth tax. If such steps are taken, the country would definitely be benefited. It would also strengthen our economy to a small extent.

With these few words, I welcome and support the Finance Bill wholeheartedly.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय बजट के संबंध में बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृट करना चाहता हूं कि आपने बजट में कृिन जो हमारे देश की रीढ़ है, देश की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उस कृिन में निचले स्तर के खेतिहर मजदूर हैं, जो गांव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनकी सीमांत कृनक के रूप में गणना होती है, उनकी तरफ ध्यान कम दिया है। कृिन में मूलभूत आवश्यकताएं खाद, बीज और सिंचाई हैं। खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, सब्सिडी के नाम पर, जहां किसी चीज पर सब्सिडी घटाई जाती है तो दूसरी चीज पर बढ़ा दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर चीज उपलब्ध नहीं होती है। बीज जब किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं होता है, उस समय यह भी समस्या के रूप में उपस्थित होता है। जब बुआई का समय आता है तब बीज अनुपलब्ध रहता है। उत्तम बीज की अनुपलब्धता से उपज प्रभावित होती है। पिछले दिनों, आज से वनों पहले गांव में अपनी उपज बढ़ाने के लिए देशी खाद का उपयोग किया करते थे। कम्पोस्ट खाद, हरी खाद और जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कृिन के साथ पशु पालन भी महत्वपूर्ण उद्योग है। पशु पालन के साथ लोग गांव में मदर डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी के माध्यम से विकास कर सकते हैं, धनोपार्जन कर सकते हैं। इस तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है।

महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी आवश्कताएं हैं, जिसके माध्यम से हम खेती को बढ़ा सकते हैं निचले स्तर के किसानों को सिंचाई के लिए जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पाई है। निजी साधनों के माध्यम से, छोटे ट्यूबवैल के माध्यम से, ब्याज मुक्त ऋण व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पाई है। नरेगा के नाम पर बहुत ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं लेकिन इस बजट में 16,000 करोड़ रुपए आबंटित थे इसे 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया। 29,100 करोड़ रुपए का आबंटन दिखाया गया है जिसमें मात्र 9,100 रुपए की वृद्धि हुई है। इसमें 144 प्रतिशत की वृद्धि कैसे हो सकती है, यह भी एक प्रश्न चिह्न है?

सर्वशिक्षा अभियान, गांव की झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृ-ट करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम गया है क्योंकि 72,000 शिक्षकों का पद खाली है, दो लाख नए शिक्षकों की जरूरत है, दो गुना माध्यमिक विद्यालयों की जरूरत है।

रा-द्रीय मानवीय सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया और ब्लॉक स्तर पर 6,000 आदर्श विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई, इसके लिए मात्र 350 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बच्चियों की शिक्षा की तरफ ले जाना चाहता हूं। बच्चियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एक बालिका शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था की है कि बालिका के पैदा होते ही बीस हजार रुपए उसके नाम पर बैंक में डाला जाएगा जो 18 साल बाद एक लाख रुपए हो जाएगा, उसकी पढ़ाई-लिखाई निःशुल्क होगी और उसकी शादी में वह पूंजी एक लाख रुपए के रूप में मिलेगी। वहां जो लड़की पैदा होती है, उसकी शिक्षा और शादी की व्यवस्था उस धन से हो जाती है लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। उन्होंने केवल लड़कियों के होस्टल के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो कम है। इतने बड़े देश में इतनी छोटी पूंजी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पिछले दिनों केंद्रीय विद्यालय की बात आई थी। आपने बजट में इस बात को रखा है और 827 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृ-िट से सबसे बड़ा है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं सबसे अधिक हैं, इसे बाहर रखा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृ-ट करना चाहुंगा कि हर जनपद, जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए क्योंकि यह आबादी की दृ-िट से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम जहां से चुनकर आए हैं वह ग्रामीण प्रांत और भदोही जिला है। यहां लोग गांवों रहते हैं, यहां मूलभूत आवश्कयता शिक्षा है लेकिन आज भी यह पिछड़ी स्थिति में है। इन गांवों में रहने वाले गरीब, मजदूर, जो हर तरह से बेबस हैं, जो किसी तरह से अपनी रोजीरोटी चलाते हैं, वे स्वास्थ्य, शिक्षा और कृनि क्षेत्र में हर तरह से अभावग्रस्त है। जब वे स्वास्थ्य स्विधा के लिए गरीब लोग स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं तो डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। वहां डाक्टर होते हैं तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, दवाइयां मिलती भी तो नकली होती हैं। ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों की उपलब्धि होनी चाहिए। कुछ डाक्टर तो जनपदों में भी नहीं रहते, वे दिन में एक या दो घंटे अस्पताल में रहते हैं और उसके बाद वहां चले जाते हैं जिन बड़े शहरों में उनका निवास होता है। ऐसे अस्पताल जहां सामान्य रोगी पहुंचकर निदान प्राप्त कर सकते हैं, वहां या तो डाक्टर नहीं होते, डाक्टर होते हैं तो दवा नहीं होती, दवा उपलब्ध नहीं होती है। इसकी ठीक तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। एचआईवी, टी.बी., कू-ठ जैसे रोगों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है लेकिन इनकी दवाइयां भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, अगर मिलती भी हैं तो पैसे लेकर दी जाती हैं। उन गांवों में रहने वाले लोगों को बजट के माध्यम से स्विधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि वे इन स्विधाओं से अछूते हैं, वंचित हैं। आज भी ऐसे गांव हैं जो वर्तमान सुविधाओं से दूर हैं। ऐसे भी अस्पताल हैं जो भाड़े की बिल्डिंग में चलते हैं, जहां सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे भी अस्पताल हैं जहां डाक्टर रहते ही नहीं हैं, इस तरफ

भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं आपका ध्यान आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी संस्थाओं की ओर ले जाना चाहूंगा, इनका विकास होना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में जो अस्पताल चल रहे हैं, वे बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां डाक्टर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। अगर वहां रोगी जाता भी है तो डाक्टर के अभाव में अस्पताल बंद होने की वजह से वह लौट जाता है। इसी कारण पिछले बजट के 17.19 करोड़ रुपए की जगह इस बजट में मात्र 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी संस्थाओं को बढावा देने की बात तो करते हैं लेकिन बजट में कटौती करके कैसे इसे संभव किया जा सकता है?

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृ-ट करना चाहूंगा कि गांव की गरीबी, गांव की अशिक्षा, गांव की बेरोजगारी, गांव की समस्याएं तभी समाप्त होंगी, जब वहां की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा और कृनि जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो व्यवस्था हमारे देश की रीढ़ के समान है, यदि हम उसे ग्रामीण अंचलों तक सुधारने की बात नहीं कर पायेंगे, यदि वहां हम खाद, बीज, बिजली और पानी नहीं दे पायेंगे, उन्हें समय पर सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कर पायेंगे तो यह बजट अधूरा रह जायेगा और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह आम आदमी का बजट नहीं होगा, यह खास आदमी का बजट होगा। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि सांसद निधि के रूप में जो विकास के लिए हम लोगों को व्यवस्था दी गई है। हर प्रांत में एक करोड़ रुपये से अधिक विधायकों को यह निधि के रूप में मिलता है। कहीं पर यह दो करोड़, ढाई करोड़ और कहीं पांच करोड़ रुपया मिलता है। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो लोग छोटी-मोटी समस्याओं को हमारे सामने रखकर हमसे उम्मीद करते हैं कि सांसद जी आये हैं, वह इसे पूरा करेंगे। हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं। हम लोगों का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। मैं भदोही से आता हूं। वह ग्रामीण इलाका है। वहां कहीं खड़ंजा नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं खंबे नहीं हैं, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं स्कूल के लिए बाउंड्री नहीं है। वहां ऐसी बहुत सी छोटी-मोटी समस्याएं सामने आती हैं। पांच विधान सभा क्षेत्रों में यदि हम इस धन से कुछ काम कराना चाहें तो यह दाल में नमक के समान होगा। अब तो दाल का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि दाल भी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज दाल भी गरीब आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारा यह कहना है कि यदि हमारी इस निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दिया जाए तो हम लोगों के संसदीय क्षेत्र की छोटी-मोटी समस्याएं पूरी होंगी और निश्चित रूप से हम विकास की कड़ी में अपने आपको सहयोगी मान पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर आपने मुझे बोलने का निमंत्रण दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत ऋणी हूं। साठ वर्न पहले हमने आजादी पाई थी। किसी भी देश के विकास के लिए साठ वर्न का पीरियं एक उपलब्ध पीरियं होता है, ताकि वह देश प्रगति कर सके, विकासशील देश से विकसित देश बन सके। इसके लिए मैं समझता हूं कि साठ वर्न का पीरियड पर्याप्त है। लेकिन इन साठ वर्नों में मेरे ख्याल से पचास वर्न तक कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने इस देश पर राज किया है। कांग्रेस पार्टी को जो पचास वर्न का पीरियड मिला है, उसमें उसे इस देश को विकासशील देश की जगह विकसित देश बनाना चाहिए था। इस पर मैं जवाबदारी से कहता हूं कि कांग्रेस पक्ष इसमें विफल रहा है। अभी पिछले दो वर्न की जो यूपीए सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। इसने अभी तक दो बजट पेश किए हैं। यदि आप इन दोनों बजट को देखें तो दोनों दिशाहीन बजट हैं, उनमें कोई दिशा नहीं है, उसमे कोई विकास का कोई पथ नहीं है। यह भ्रामक बजट है। इस बजट को यदि आप देखें तो इसमें जो आवक है, जो इनकम है और जो इसका एक्सपैन्स है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें करोड़ों रुपये का फासला है। मुझे समझ नहीं आता कि इस फासले को यह सरकार कैसे पूरा करेगी, यही मेरा प्रश्न है? मेरे ख्याल से इस फासले का पूरा करने के लिए यदि सरकार कमिटेड है तो इसे पूरा करने के लिए सरकार को किसी फाइनैन्शियल इंस्टीट्यूट से पैसा बोरो करना पड़ेगा। अगर सरकार ही पैसा बोरो करेगी तो हमारा किसान कहां से पैसा बोरो करेगा? यदि सरकार ही पैसा बोरो करेगी तो हमारे इंडस्ट्रीज कहां से पैसा बोरो करेंगे? मेरे ख्याल से यह भ्रामक बजट है और इस बजट की वजह से फ्यूचर में देश का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं होगा। देश के आम आदमी की राय लेकर सरकार ने जो बजट पेश किया है, मेरे ख्याल से यह आम आदमी का नहीं है, यह खास आदमी का बजट है।

महोदय, यदि हम कृिन की बात करें तो किसान जो खेतों मे पैदा करता है, उसे अपनी पैदावार की जो रिटर्न मिलनी चाहिए, वह रिटर्न उसे नहीं मिलती है। किसान जब अपनी पैदावार को आगे बेचने के लिए जाता है तो उसका मुनाफा दूसरे लोग ले जाते हैं और किसान भूखा ही रहता है और आंसू बहाता रहता है। आज जो अनाज की बिक्री है, फ्रूट्स की बिक्री है, जो साग-भाजी की बिक्री है।

वह सरकार ने कॉरपोरेट सैक्टर को दिया है, रिलायंस के स्टोर में ले जाता है। जो फल बेचने वाला है, साग-सब्जी बेचने वाला है, हाथ मसल कर खड़ा रह जाता है क्योंकि सरकार ने उसे कॉरपोरेट सैक्टर को दे दिया है। मुझे पता नहीं चलता है कि यह आम आदमी का बजट कैसे हो सकता है? इसकी व्यवस्था के पांव में गड़बड़ है, कैंसर है। यह एक भ्रामक बजट है, दिशाहीन बजट है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि गुजरात सरकार की बात करें तो वहां सहकारी उद्योग बहुत अच्छा चलता है। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने सहकारी बैंकों पर टैक्स डाल दिया था, जो यथावत् रखा गया है, उसे विदज्ज नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से सहकारी व्यवस्था कोलेप्स हो जायेगी। बजट में वह वापिस ले लेना चाहिये। गुजरात में डायमंड इंडस्ट्री है। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, पालनपुर और सौरा-ट्र क्षेत्र है। वहां के रत्नकार बहुत बेहाल दशा में जी रहे हैं। इस बजट में उनके कल्याण के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि जो रत्नकार इंडस्ट्री है, उसकी समस्या को दूर करने के लिये इस बजट में कुछ करना चाहिये। गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना है जिसे रा-ट्र की सब से बड़ी परियोजना में गिना जाना चाहिये था। इस परियोजना में हजारों-हजार हैक्टेयर जमीन में सिंचाई का प्रावधान है। यह परियोजना इतनी बड़ी है कि इसे रा-ट्रीय परियोजना घोनित नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से मुझे आश्चर्य हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा सरदार सरोवर परियोजना को जल्दी से जल्दी रा-ट्रीय परियोजना घोनित किया जाना चाहिये तािक यह परियोजना प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने कृिन क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है कि दूसरी हितत क़ान्ति लायी है। गुजरात में बारिश बहुत कम होती है, इजराइल की भांति यहां जल स्रोत बहुत कम हैं। इन सब के बावजूद गुजरात सरकार ने कृिन क्षेत्र में काफी काम किया है। अमरीका की एक नि-पक्ष संस्था ने गुजरात सरकार को वर्न 2002-08 तक सभी राज्यों में 9% ग्रोथ रेट से समग्र भारत में प्रथम राज्य घोिनत किया है। अगर राज्य सरकार कोई अच्छा काम करती है तो केन्द्र सरकार को उससे फीडबैक लेना चाहिये। जैसे गुजरात में यह योजना चलती है, यह योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे एक साथ ने एमपीलैंड्स स्कीम के लिये 10 करोड़ रुपया किये जाने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यहां पर 545 एम.पीज़ हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन की प्राब्लम आती है। उनके लिये पर्सनल प्रोवीजन करना चाहिये जिसकी वजह से सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में आना-जाना पड़ता है, वह उसे प्रभावशाली ढंग से परफौर्म कर सकता है। उसे इस काम के लिये व्हीकल प्रोवाइड की जानी चाहिये। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। एस.सी.एस.टी. लोगों की आबादी 21 परसेंट है। उनकी आबादी के लिहाज से उन्हें नजर अन्दाज़ किया गया है। उनके लिये किया गया प्रावधान पर्याप्त नहीं है। उसे बढ़ाया जाना चाहिये। जो मैंटली और फिज़ीकली अपंग हैं, उनके लिये बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये। जो फिजीकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो बच्चे सैरेब्रल पालसी के हैं, उनकी हालत ऐसी खराब होती है कि उन बच्चों के पीछे पूरा परिवार परेशान रहता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिये एक स्पेशल प्रोवीजन करना चाहिये तािक हमारा उत्तरदाियत्व हो कि इन अपंग लोगों के लिये कुछ कर सकें।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं।

15.00 hrs

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Respected Deputy-Speaker, Sir, today, I rise to speak on the Finance Bill, and support the Finance Bill.

At the outset, I would like to congratulate our hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee and also the UPA Government for giving an 'aam aadmi' Budget, and the Finance (No. 2) Bill of 2009.

Sir, I come from the Lakshadweep Constituency, which is lying scattered in the Arabian Sea. My father, late Shri P. M. Sayeed, had represented this Parliamentary Constituency 10 times in a row in the Lok Sabha. I wanted to give my introduction because this is my maiden speech.

As regards the Finance Bill, it is nothing but a piece of legislation, which deals with the ways in which the Government of India generates revenue for itself by way of taxation. We have direct taxes and we have indirect taxes. Direct taxes include income tax, and indirect taxes include customs, excise, etc. I would like to focus and highlight on the proposals in the Finance Bill.

As we talk about the income tax exemptions, there are three categories, namely, the individual category, the ladies category and the senior citizens category. As regards the individual category, the income tax exemptions have been hiked from Rs. 1,50,000 to Rs. 1,60,000. It means that there is a marginal hike of Rs. 10,000. As regards the ladies category, there is again a hike of Rs. 10,000, that is, it has been hiked from Rs. 1,80,000 to Rs. 1,90,000, which is a marginal relief to the individual income tax payers and ladies.

As regards the senior citizens category, previously, the senior citizens had an exemption of Rs. 2,25,000. There is a hike of Rs. 15,000, and the exemption limit for the senior citizens in the country has been raised to Rs. 2,40,000. It is a marginal relief to all the income tax payers in all the three categories.

As regards surcharge, previously, 10 per cent surcharge was taxed on every individual income tax payer, but in this Finance Bill, the 10 per cent surcharge has

been abolished, which is a great relief to all the income tax payers in all the categories.

As regards wealth tax, the ceiling limit for paying the wealth tax was Rs. 15 lakh. Now, the ceiling limit has been raised to Rs. 30 lakh, and now the wealth tax has to be paid only when someone owns a wealth of Rs. 30 lakh and above.

As regards gift tax, it is defined under Section 56, which talks about the gift that crosses the amount of Rs. 50,000 by way of cash or kind. If you give gift, then the recipient of the gift has to pay the tax to the Government of India if the value of the gift, in cash or kind, exceeds Rs. 50,000. But if it is below Rs. 50,000, then one is exempted. There is an exception to this section. The exception is that if the gift has been received by the recipient in marriage or by virtue of will or by virtue of inheritance, then that is exempted.

As regards Section 80, it has the provisions and clauses of deductions. Section 80 (e) talks about the interest on loan for higher education. Previously, Section 80 was confined to the interest on loan for higher education in the professional courses like courses of medical sciences, courses of engineering, etc. Now, Section 80 (e) has been widened to benefit the weaker sections of the society and students. Now, all vocational courses are exempted from interest. This is a speciality of the Finance (No. 2) Bill of 2009 keeping in view the student sections, who are weaker in the society.

As regards Section 80 (d), it talks about medical expenses and the physically handicapped dependants. Previously, it was Rs.75,000 for severe disability. Now the ceiling limit has been raised from Rs.75,000 to Rs.1,00,000. It is a major relief. It is a great gesture for the physically handicapped dependents. But, the limit of exemption has not been changed for the normal disability. It is still Rs.50,000.

When we talk about the pension scheme, when we talk about the senior citizens and older people, the new Pension Scheme has been introduced in the Finance Bill. This talks about giving pension to the self-employed persons.

Previously, the pension used to be given only to the employed persons and now this scheme has been widened to give more benefits to the older generation, to the older citizens. In that way, the Finance Bill has taken into account the students, the older generation of the society, the ladies, the senior citizens and even the individual tax-payers. So, the new Pension Scheme will now benefit the older generation also.

When we talk about the National Rural Employment Guarantee Act, there is 144 per cent increment in the NREGA, a record Rs.39,000 crore has been allocated only for this scheme. It will give employment to the unemployed youth of the country. If you see the composition of the population of the country today, the composition is mainly having the youth. I think, the benefit of NREGA will maximise and this will benefit maximum, the youth. When we talk about the fiscal targets, it is 6.8 per cent of the GDP. A sum of Rs.25 crore has been earmarked for the Aligarh Muslim University to set up campuses at Murshidabad and also at Mallapuram districts. It is again a great relief for the minorities. Taking into account the minorities, this has been earmarked for setting up AMU campuses.

When we talk about simplifying the taxation process, the Form Saral-2 has been introduced which will help the common citizen, a person who does not know the complicated and intricate process of taxation. The UPA Government and the Finance Ministry has introduced the Saral Form 2 to simplify the taxation process.

When we talk about the Unique Identity Card, which will be rolled in about 12 to 18 months, this is again a great relief for our country because security is a major concern for all of us. And keeping the security aspect in view, this Unique ID plan has been introduced. I hope and I am sure that this will benefit in making our security foolproof.

When we talk about the customs duty, the customs duty has been reduced from ten per cent to five per cent on LCD. This is again a great relief for the common man. The main focus of this Bill is 'Aam Aadmi'. Therefore, all BPL families will be provided with one smart card. When we take the composition of

poverty in the country today, 6.5 crore population comes under BPL category; 2.5 crore is the Antyodaya family which is the poorest of the poor. Now the smart card programme will be benefitting the people belonging to below poverty line category, the common man and the 'Aam Aadmi'.

I would also like to draw your attention to the agricultural sector. Our country has a pattern of mixed economy. In the agricultural sector, our economy is more dominant and dominated by the agrarian revenue generation. In the agricultural sector, the interest loan to farmers has been reduced by one per cent which is a marginal relief for the farmers. Keeping in view the world scenario, the world economic recession, we feel that this Budget has given marginal relief to all the sections of the society.

With these words, I would like to conclude my speech. I would like to commend the Finance Bill, the UPA Government and the Finance Ministry for giving such a good Budget. I would like to conclude by saying that I come from Lakshadweep constituency. It is an economically and socially backward area. I would request the UPA Government and the Finance Minister to take extra care and caution with regard to Lakshadweep Parliamentary Constituency, so that the people can come out and can also develop in that territory.

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फाइनेन्स बिल पर चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, देश के अंदर जब तक केन्द्रीय संतुलन कायम नहीं होगा, देश के सभी प्रदेशों में कमोबेश एक तरह का विकास नहीं होगा, तब तक विकास का संतुलन बिगड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले देश के अंदर चर्चा आयी थी, विशे-ाकर हिन्दी भा-ी क्षेत्रों की कि हिन्दी भा-ी क्षेत्र, चाहे वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महारा-ट्र और आंध्र प्रदेश हों, यहां के लोग अन्य जगहों पर जाकर कार्य करते हैं। अपने देश में विकास को लेकर यह विडंबना है कि एक प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और दूसरा प्रदेश बिलकुल नीचे जा रहा है। यदि इस मामले में ठीक से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे ज्यादा दुखद स्थिति होगी।

महोदय, मैं कृिन क्षेत्र के उन हालातों का जिक्र करना चाहता हूं, जो कि आपातकाल की तरह हैं। इस देश के 70 प्रतिशत लोग कृिन पर आश्रित हैं और आज वह बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। कोई ऐसी योजना नहीं बनी है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सरकारी टयूबवैल हों। जो भी पम्पिंग सैट लगे हैं, वह बेकार हो चुके हैं, क्योंकि वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है और पम्पिंग सेट उस पानी को नहीं उठा पा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहरों की स्थिति खराब है। नहरों में आधे स्तर तक भी पानी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जलाशय में पानी नहीं है। इसके अलावा बिजली भी नहीं है।

महोदय, नरेगा की स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन इससे सिर्फ मजदूर ही पैदा नहीं करने चाहिए। सरकारी तौर पर मजदूर को सौ रूपये मिलते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास दो-तीन बीघे के खेत हैं, उन्हें जब मजदूरी करवानी पड़ती है तो उसे एक मजदूर को सवा सौ से डेढ़ सौ रूपये देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से किसान पिट रहा है। एक तरफ तो आपने कर दिया कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन जिस किसान को अपने पैसे से मजदूरी चुकानी है, उसका प्रबन्ध कहां से होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और देश के उन कोनों पर, जहां आज किसान सूखे से त्रस्त है, एक आपातकाल की तरह, एक ऐसी योजना तत्काल शुरु की जाए। किसान अन्नदाता है, जिसके सहारे हर व्यक्ति है। आज इस सदन में हर माननीय सदस्य इस बात से सहमत है कि जब तक किसान एक उद्योग की तरह विकास नहीं करेगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। वह देश की रीढ़ है। इसमें संसद में कहीं से कोई दुविधा का सवाल नहीं है। सवाल यह उठता है

कि आज सूखे के मामले में सिर्फ पांच सौ रुपए बीधे और हजार रुपए बीघे को एक सूखा जिला घोनित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों के बारे में जानता हूं, जहां के लोग बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आज अगर उसने बैंक से लोन ले लिया तो कल उसकी जमीन गिरवी हो जाएगी, किसी अन्य का उसकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए तमाम लोग बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं। अपनी वजह से वे पिस रहे हैं। मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। पूर्वांचल में बैंक का जो जमा है, वहां का किसान आज तक यह नहीं समझ पा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, चारों तरफ, वहां के पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। किसान आज भी उसे नहीं समझ पा रहा है। वह सूदखोरों से पैसा लेकर अपने काम को चला रहा है, लेकिन वह बैंक के पास नहीं जा रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। मैंने इसी सदन में सुना था कि जहां किसानों ने महाजनों से कर्ज लिए हैं, उन कर्जों को माफ करने के बारे में विचार हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने महाजन से कर्ज लिया था, बिहार या मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कर्ज लिया था, क्या उसके उपर भी विचार होगा?

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह भी इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र का विकास और राज्य का संतुलन चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय के माध्यम से, श्री जोशी जी ने इसी सदन में अधिकारियों की कार्य संस्कृति के बारे में कहा था, आप पैसा देते हैं तो हिसाब क्यों नहीं लेते? आप जो बजट देते हैं, आज दिल्ली में बैठे हुए किसी भी आईएएस अधिकारी के यहां चले जाइए, वह सीधे-सीधे कह देता है कि आपके प्रदेश के लिए इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसे कोई ले जाने वाला नहीं है। इस तरह एक ही देश के अंदर रह कर, जहां से पैसे जाते हैं, उस पैसे का हिसाब लेने का क्या कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि इस मद में पांच हजार, दस हजार करोड़ रुपए हैं और उसे प्रदेश सरकार नहीं ले जा रही है। हर काम अधिकारियों के माध्यम से होना है तो यह कार्य संस्कृति खराब कैसे है और अगर यह खराब है तो इसके ऊपर माननीय मंत्री जी क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं इस बात के लिए माननीय राजीव गांधी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक समय उनके दिमाग में प्रधानों को जिम्मेदारी देने की बात आई, छोटे यूनिट का एक प्रधान गांव का था, उस प्रधान के माध्यम से गांव का विकास कराया जाए। उन्होंने प्रधानों को वित्तीय अधिकार दिया। यह सत्य है कि जो काम वनों से अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो पाया था, गांवों के प्रधानों ने अपने गांव में खड़ंजे लगवाए, नाली बनवाई। उसके माध्यम से तमाम ऐसे गांव थे, जिन गांवों में कभी किसी ने ईंट एवं सड़क नहीं देखी थी, उन गांवों

में ईंट और सड़क दिखाई दी। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आज सांसद की स्थिति उस प्रधान जैसी भी नहीं है, इनके किसी प्रस्ताव पर विचार ही नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यह बजट बना था तो यह बजट का माध्यम ही अधिकारी है। वह जिला योजना, ब्लाक या जिला पंचायत की बैठक हो, हर बैठकों में अधिकारियों के ऐसे प्रस्ताव, जो किसी के सुने-सुनाए प्रस्ताव के माध्यम से आज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लेती है। मैं कहता हूं कि आप सांसद निधि को बंद कर दें।

मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कार्य का सृजन करना हो, अगर अच्छा कार्य कराना हो तो जो राज्य सरकार का जी.ओ. हो, केन्द्र सरकार की जिस तरह से कार्य की पद्धित हो, उसमें हर सांसद को उतना अधिकार मिलना चाहिए कि हर वर्न किसी एक अच्छे कार्य का सृजन करा ले। कम से कम उस क्षेत्र की जनता, जिस कांस्टीट्वेंसी से वह चुनकर आया हुआ है, उसे यह दिखा दे कि हमारा यह पुल बनवाया हुआ है, जो रेलवे लाइन के ऊपर है। उसके लिए 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50 परसेंट सैण्ट्रल गवर्नमेंट देगी, कम से कम इतना पैसा रहे।

खारा पानी पीने से रोकने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने समय में काम किया, जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं कहता हूं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, जिसने एक जातिविहीन समाज की कल्पना की, जिसने पहली बार इस भारतवर्न के अन्दर बताया कि जाति अगर कोई होती है तो दो जातियां हैं, वह गरीब जाति है और अमीर जाति है। उन्होंने पहली बार गरीबी को अपने मन-मस्ति-क में रखकर, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो, चाहे जिस तरह की योजना रही हो, वह काम गरीबी को देखकर उन्होंने किया था। आज खारा पानी पीने के लिए गांव के लोग बेबस हैं। आप उतने पैसे का प्रस्ताव सांसद को जरूर दे दें, जो खारा पानी पीने से बचाने के लिए सबसे पहले यह कहकर अपने क्षेत्र से आया है कि हम आपको पेयजल की सुविधा देंगे, आपकी अच्छी चिकित्सा का प्रबन्ध करेंगे, अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, अच्छी सड़कें देंगे, कम से कम वह सांसद यह कह सके कि उन्होंने अपने क्षेत्र में पानी की टंकी बनाई है, तािक वे दूिनत और खारा पानी न पी पायें। वे कह सकें कि हम अस्पताल के लिए यह प्रस्ताव लाये हैं और अच्छा हस्पताल हमने बनाया है। वे यह कह सकें कि ये सड़कें, जहां आज से पहले सड़कें नहीं देखी हैं, उन क्षेत्रों को आप सड़कें दें।

इसके लिए मैं पूरे सदन से संरक्षण चाहता हूं। इस बारे में मैं कहता हूं कि इस सदन से 290 और 291 लोग हारकर गये हैं, सभी लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया होगा, मैं नहीं कहता हूं कि 10-05 परसेंट लोगों के हारने का क्या कारण था, लेकिन उसके मूल में यह भी एक कारण है। दुनिया में विदेशों में होता है कि वहां जो सांसद होते हैं, उनके जीतने का रेश्यो 70 परसेंट होता है, वे वापस लौटकर आते हैं, जबिक आज यहां पर 70 परसेंट सांसद हार जाते हैं और 30 परसेंट ही जीतकर लौटते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्नित करना चाहता हूं कि यह एम.पी.लैड सांसदों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसे वापस लेकर सांसदों के प्रस्ताव पर अच्छे कार्य सृजन करने का अवसर दें, तािक सांसद यह तय कर पायें कि अगर जनता ने उसे भेजा है तो उसके लिए वे कोई अच्छा कार्य करा लें।

में वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI): Hon. Deputy-Speaker Sir, the Congress Party is always for pro-poor policies and programmes. Under the guidance of Madam Sonia Gandhi, the Chairperson of UPA and the hon. Prime Minister, the Finance Minister was able to present an excellent Budget giving priority to all the sectors. He has given a balanced Budget emphasising on inclusive growth. That is important. Of course, there is a challenging global recession nowadays. In spite of it, he is able to retain and enlarge the populist welfare schemes. The Budget has taken into consideration the fall in growth rate and the impact on the social sector. He has given emphasis on infrastructure growth also. The Finance Minister has laid great emphasis on infrastructure growth and has spoken about Public Private Partnership which is very important and necessary for infrastructure development.

The expenditure in infrastructure sector will have a huge trickle down effect on our economy. The hon. Finance Minister has proposed greater outlays for highways, power, National Urban Renewal Mission, Accelerated Irrigation Development, national gas grid, rural road, electrification, low-cost housing and water resources management. This will have a multiplier effect in the future.

There is an increased outlay for important flagship schemes, like the National Rural Employment Guarantee Scheme, which is a very important scheme. The UPA Government has provided employment to over 4.47 crore households in the previous fiscal. Out of 215.63 crore man-days created under this Scheme during the period 2008-09, 29 per cent and 25 per cent went in favour of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population respectively; and 48 per cent of the total man-days created went in favour of women.

During the election campaign, when I toured my constituency, I saw hundreds of womenfolk working in villages. When I met them they were praising this Scheme, the NREGS. They were telling that they were all unemployed and that they were not able to get even one meal per day, but now they are all satisfied.

They said that they were getting Rs. 80 per day. That Scheme is extraordinarily appreciated by one and all in rural areas. Now, it has been increased to Rs. 100.

Through the agriculture debt waiver scheme, we have waived about Rs. 70,000 crore of agriculture loan. The condition of agriculturists is very bad. Shri K.S. Rao was also telling about it. They are in debt everywhere. Their condition should be improved. The rate of interest should be reduced. If anybody pays instalments regularly, there should not be any interest at all. That concession also can be given to the agriculturists.

As per the direction of Madam Sonia Gandhi, these schemes are being given further boost. The outlay for the NREGS has been increased by 144 per cent. The important thing is that there are flagship schemes, like the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the National Rural Health Mission, Bharat Nirman, etc. The priority of the Government is to give further impetus to the Government's on-going rural development projects.

Our leadership's imprint on the Budget can be seen in the increased outlay for the NREGS, which has been increased by 144 per cent. There is a 45 per cent hike for Bharat Nirman Programme; a hike of 63 per cent for Indira Awaz Yojana; and allocation of Rs. 2,000 crore for Rural Housing Fund and National Housing Bank. Besides, there is a hike of 59 per cent in the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

The hon. Finance Minister has opted to increase the spending on pro-poor programmes even if it means an increase in the revenue deficit. The Government has sanctioned Rs. 500 crore for rehabilitation of Internally Displaced Tamils of Sri Lanka, which is a welcome step. The Government of Tamil Nadu has made a request to increase the allocation further.

Education loan to students is very important. It was introduced only three or four years back. The urban students are able to get the loans. But the rural students are not able to get the loans. Sometimes the bank managers are creating problems for them. They ask for security, like property, etc. They are not

able to get the loan. So, in such cases, students are not able to continue their studies. So, to avoid all these difficulties, there must be some monitoring body so that students, who apply for the loans, can get loans to continue their studies. It is very important.

Sir, I would request the hon. Minister of Finance to lower the age for Senior Citizens to 60 years from the present age of 65 years to make it at par with the National policy of the Government so that they can get all the benefits under deposit schemes like railway benefits, etc.

Sir, it is a welcome decision to abolish the surcharge of ten per cent on individual's income of more than Rs. 10 lakh. The threshold limit for payment of wealth tax has also been raised from Rs. 15 lakh to Rs. 30 lakh. This will help middle class people. It is a welcome step to abolish Fringe Benefit Tax and it is a good correction made by the hon. Minister of Finance.

Sir, Minimum Alternative Tax (MAT) has been increased from 10 to 15 per cent.

Sir, Clause 8 of the Bill seeks to insert new Section 13-B relating to voluntary contributions received by electoral trusts. If the donation is given to the political party, hundred per cent exemption also can be given, like the constributions received by the electoral trusts.

Sir, there is a proposal to levy surcharge on the railway freight on all goods carried by rail. If there is a surcharge on the essential commodities, then prices will go up and the poor and ordinary people will be affected.

Now, I come to jewellery. While the excise duty on branded jewellery is reduced and customs duty on import of gold is increased, ultimately the cost has to be borne by the purchaser, namely, *Mahila*. All that glitters is not gold and may not become true, if the price of the yellow metal goes on rising. Moreover, by increasing the customs duty on import of gold, gold smuggling will also increase. Then, the Government have to spend money in prevention. There will be

smuggling and so on and so forth. So, the Government should consider this aspect of excise duty on gold items.

Sir, I must congratulate the hon. Minister of Finance for reducing the customs duty on certain life saving drugs. It is very important. Actually, this is the life-line for some chronic patients and, unfortunately, some fake drugs are marketed as genuine. Therefore, vigil has to be exercised in the marketing of life saving drugs.

The hon. Minister of Finance has increased the wealth tax exemption limit from Rs. 15 lakh to Rs. 30 lakh. It is a welcome step.

Sir, Clause 113 of the Bill seeks to amend Section 13 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002. Sir, the House is aware of the crisis happened in the units of UTI and thereafter the small investors and pensioners losing heavily in the Net Assessment Value (NAV) of the units. The Government came forward to rescue the units. This is a grim reminder of the 'stocks scam'. I would urge upon the Government to keep monitoring of the whole situation, along with regulatory authority like SEBI so that such things do not recur in future.

Sir, many hon. Members have already spoken about waiving of loans of farmers. There is a proposal to implement Goods and Services Tax (GST) for Central GST and State GST from April, 2010. It has been proposed to implement the Goods and Services Tax for Central GST and the State GST from April 2010. I would suggest that the hon. Minister should convene a meeting of all the Finance Ministers from the States for a discussion with all the stakeholders and for a smooth transition.

There is a proposal that a new Direct Taxes Code would be brought forward for public debate and suggestion within 45 days. I would plead with the Government that instead of tinkering with the provisions of the Direct Taxes every year, there should be a long-term fiscal policy. I would request the Government to make further simplification of all the taxes.

Coming to education, I would say that there are so many colleges which are being built now. New colleges are coming every year. When they start a new college, they start in a shed but within three to four years, you can see a massive building in about hundred acres, two-hundred acres and three-hundred acres. Where is the money coming from? How do they get it? How do they build the building? Where is the Income-Tax Department? Why not the Income-Tax Department check those things? Within three to five years, you can see a massive building worth about hundreds of crores of rupees. They start in a shed. ... (Interruptions) So, these things should be taken into consideration to check the income-tax evaders.

Sir, finally, I would say that it is a very extraordinarily good Budget and I support the Finance Bill wholeheartedly.

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Sir, I would thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill.

While participating in the discussion on the Finance Bill 2009-10, at the outset, I would like to say that after 62 years of Independence, 80 per cent people in India are poor as per international norms.

According to the "Global Hunger Index, 2008" of International Food Policy Research Institute, it has been said:

"In India, 20 crore of people go to bed every day with empty stomach."

Shamefully, India is termed as "Republic of Hunger after 62 years."

In another Report, it is said that 230 million people in India are undernourished.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Including West Bengal!

SHRI KHAGEN DAS: As per the Central Government Report, 77 per cent of the population spend less than Rs.20 a day. While, on the other hand, during the four years of the first UPA Government, the number of Indian billionaires in dollar terms increased from 9 in 2004 to 53 in 2008. This is the position.

Next, assets of the top ten corporate houses tripled from Rs. 3,54,000 crore to Rs.10,34,000 crore. Those who are at the helm of affairs at the Centre have created two Indias – one, a suffering India for the vast majority and two, a shining India for a few.

This year's Budget is also tilted towards the *Khas Aadmi* at the cost of the *Aam Aadmi*. The bourgeois and the communal parties are shedding crocodile tears for the *Aam Aadmi*. Here is a glaring example. I will be taking some time by quoting some figures.

According to the C&AG's "Performance Audit of Union Accounts, 2004", the annual expenditure in respect of Social Service and Rural Welfare with reference to GDP's percentage stood respectively as follows: during the Eighth Five Year Plan, it was 0.67 per cent and 0.32 per cent; during the Ninth Five Year Plan, it was 0.83 per cent and 0.29 per cent; during the Tenth Five Year Plan, it was 1.02 per cent and 0.51 per cent. During the first year of the Eleventh Plan (2007-08), it was 1.32 per cent and 0.42 per cent. May I ask in whose interest, the Union Government, despite repeatedly presenting deficit Budgets, has been spending the people's hard earning paid through their noses in the form of taxes?

Sir, in the Budget Speech, no thrust has been given for realisation of pending tax revenue already raised but not linked with appeal/litigation.

The people have suffered from continuous price rise of all essential commodities. The inability to curb price rise and protect the people has been one of the biggest failures of the Union Government led by the Congress Party. The prices of essential commodities have recorded a staggering rise during 2004 to 2009 with the price of rice rising by 70 per cent, atta by 55 per cent, sugar more than 100 per cent and edible oil by 42 per cent. These commodities have gone far beyond the reach of *Aam aadmi*. This is surely unprecedented in the post-Independence era

Now, I would like to make few suggestions for checking price rise. I strongly demand for a reduction of retail prices of petrol and diesel by cutting customs and excise duties on oil. The Government should ban futures trading in all essential commodities as per the recommendation made by the Parliamentary Standing Committee. Then, stringent action should be taken against hoarding of essential commodities. To ensure food security, the Government should reintroduce the Universal PDS and abandon the Targeted PDS. Supply of 14 essential commodities, including sugar, pulses, edible oil etc., should be made under PDS at subsidised rates. The Government should reverse the cut in food grain allocation to States under the PDS. The Government should strengthen the

Food Corporation of India and curb procurement of food grains by private corporate houses and multinational companies.

Sir, I strongly oppose the proposed hike of Re. 1 in the prices of rice and wheat per kilo for the Antyodaya families and reduction of 10 kg. of food grains from the quota of BPL families in the name of Food Security Act. I would like to point out here that the BPL category excludes large sections of the poor people. About 52 per cent of the agricultural labour households are excluded from the purview of the Public Distribution System. The Government should reverse the flawed criteria in identifying the BPL families.

Now, I come to the point about unearthing of black wealth. In the Budget Speech, nothing has been said about unearthing of black wealth secreted away in the last 60 years which is estimated between \$ 500 billion, that is, Rs. 25 lakh crore and \$ 1,400 billion, that is, Rs. 75 lakh crore. The House should be informed about the pious intention of the Government about unearthing of black money.

Then, the Central Government has ignored the acute financial crisis faced by State Governments on account of meeting the additional expenditure due to the revision of pay scales, although all the States had jointly demanded for providing fund to, at least, meet 50 per cent of the additional expenditure incurred due to the revision of pay scales of State Government employees.

Many people have spoken about agriculture; I am not going into that. The Finance Minister has played several smart tricks while making budgetary allocation in the social sector. The tricks have been to sow the seeds of *Aam Admi* schemes but will fund the schemes once the economy recovers.

Sir, take the case of Integrated Child Development Scheme. The Finance Minister announced that it would be universalised. But the hike in allocation for the scheme, meant to provide maternity benefits as well as nutritional security to children and women, was only Rs.150 crore. It may be mentioned that more than half of India's women are anaemic and 40 per cent of children under the age of three years are underweight.

At the moment, there are about six lakh *anganwadis* whereas the complete coverage of 14 crore children in the country require 17 lakh *anganwadis*. The Supreme Court demanded for universalisation of the project in 2001. I would like to know the concrete planning of the Government in this respect.

As far as NREGA is concerned, compared to last year's budgetary allocation, about 144 per cent of allocation has been enhanced in the proposed Budget. It is true. But in reality, it is only six per cent over the last year's actual expenditure. If hike in wages is taken into account, the real increase in the allocation is almost nil. It is a blatant treachery to the rural poor.

As far as rural housing is concerned, the allocation is less than that of the previous year. The Budget talks of 44,000 villages where the SC population is more than 50 per cent and of them it proposes integrated development only in 1000 villages, which is less than three per cent. It allocates a humiliating sum of Rs.100 crore towards developmental activities. This pittance is a mockery in the name of social justice.

Sir, I will come to North-East and conclude. You know that North-East is a backward region. There is no mention about North-Eastern Region and allocation of DONER in the Budget Speech. In fact, there is no increase in the allocation of DONER in the Budget of 2009-10. While it is an undisputed fact – the hon. Minister is here and the whole House supports it – that the North-East the most backward region of the country. It needs special attention and care of the Central Government to accelerate the pace of development. It is unfortunate that the Union Finance Minister, in his Budget Speech, has not felt necessity to address the needs and aspirations of the people of the North-Eastern region. I demand a special dispensation for the North-Eastern region.

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं इसके साथ-साथ अपने संसदीय क्षेत्र में अफीम उत्पादकों की समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी बात यहां रखना चाहती हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां एक ओर हमारा देश 21वीं सदी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं हमारे देश में 21 सदियां एक साथ रहती हैं।

महोदय, देश का एक वर्ग जहां शौकिया तौर पर पीज़ा, बर्गर खा सकता है, वहीं पर देश की आबादी का बड़ा प्रतिशत रोटी कोंदो-कुटकी खा कर अपना जीवनयापन करता है। हमारे देश के किसानों की समस्याओं को आपके सामने रखना और खास कर मेरे क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों की समस्या को आपके सामने रखना मैं मुनासिब समझती हूं और इसलिए आपका इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्नित कर रही हूं। नार्कोटिक्स ड्रग्स और मनप्रभावी अधिनियम 1985 में लागू हुआ और हमारे देश में सरकार के नियंत्रण में अफीम की खेती होती है। किसानों को लाइसेंस देकर पट्टे दिए जाते हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कड़े कानून बनाए गए।

में आपके सामने अफीम उत्पादक किसानों की समस्या रखना चाहती हूं। हर साल अगस्त के महीने में अफीम को लेकर नीति निर्धारित होती है और आने वाले समय में उसके आधार पर किसानों को अपनी खेती करनी होती है। मैं आपसे केवल विनम्रता से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारी सरकार और सरकार में एनडीपीएस के अंतर्गत नार्कोटिक्स विभाग के जो अधिकारी हैं, वे कानून के प्रावधान तय करते हैं। केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया और अफीम के नशे से जो दु-प्रभाव होते हैं, उसे देखते हुए बहुत मुनासिब भी था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जब भी अफीम नीति तय होती है, तब जो अफीम उत्पादक किसान हैं, जिनके सामने कई चुनौतियां और समस्याएं हैं, उन्हें भी बुलाकर उसके बारे में सलाह करनी जरूरी है, अन्यथा हम यहां बैठ कर कानून का निर्धारण करते हैं, कितने पट्टे दिए जाएंगे, कितना न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, गाढ़ता का निर्धारण कैसे होगा, कितना मूल्य तय किया जाएगा, इन सारी चीजों का निर्धारण यहां होता है, लेकिन नीति बनाते समय किसान की कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा अनुरोध है कि जब भी अफीम नीति के बारे में बात हो, तो वहां के जो काश्तकार हैं, जो अफीम की खेती करते हैं, उन्हें भी बुलाना चाहिए और उनके साथ बैठ कर और विधि विशे-ाज्ञों के साथ मिलकर नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

में आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि अफीम की खेती करने वाले जो किसान हैं, वे दस आरी के अफीम के पट्टों पर, जो कि आधा बीघा जमीन के बराबर होता है, उसमें अमूमन अफीम की खेती करते हैं। उनके सामने जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वे कई बार उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियां जैसे सफेद मस्सी, काली मस्सी से खतरा हमेशा बना रहता है। उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे में में आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। किसानों को पिछली बार तीस आरी के पट्टे दिए गए थे और किसानों के लिए तीस आरी के पट्टे पर जो निर्धारित लक्ष्य तय कर दिया गया था, उसे पूरा कर पाना लगभग असंभव देखा गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जब नई नीति बने, तो किसानों को दस-दस आरी के नए पट्टे दिए जाएं, तािक बहुत बड़े वर्ग के किसान को इसका लाभ मिल सके।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार फसलों को नुकसान होता है। केवल एक बार का एवरेज देख कर अधिकारी उसकी अपरुटिंग करने के लिए कहते हैं और दोबारा उन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाता है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम तीन बार का एवरेज लिया जाए, तािक मौसम की मार के कारण किसान की फसल को नुकसान पहुंचा हो, तो कम से कम उसका खािमयाजा किसान को न उठाना पड़े। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अफीम की खेती करने वाले किसानों के हित को देखते हुए एक "अफीम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र" की स्थापना की जाए, तािक किसानों को बेहतर प्रशिक्षण मिले और प्राकृतिक आपदा से तथा अन्य बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकें। अफीम की जो शासकीय खरीदी मूल्य है, वह कई वनीं से बढ़ी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि किसानों के व्यापक हित को देखते हुए, उसके समर्थन मूल्य को बढ़ाकर पांच हजार रुपए तक किया जाए और अफीम तील केंद्र पर पारदर्शितापूर्ण एवं जो अंतिम जांच होती है, उसका परिणाम उसी समय किसान को लिखित रूप में दिया जाए, तब जा कर किसान के साथ पुरा न्याय हो पाएगा।

महोदय, यह केवल मेरे अपने संसदीय क्षेत्र की नहीं, बल्कि उन 12 जिलों के लाखों किसानों की समस्या है, जो अफीम की वैध खेती, लाइसेंस लेकर पट्टे पर करते हैं। मैं उनकी समस्याओं से आपको अवगत कराते हुए उम्मीद करती हूं कि जब नई नीति बनाई जाए, तब उन किसानों के हितों का लाभ भी रखा जाए।

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): Sir, the proposed total expenditure of our Government is to the tune of Rs. 9,57,231 crore. This year's total expenditure is nearly Rs. 10,00,000 crore. Out of this amount, the Non-Plan expenditure is nearly Rs. 7,00,000 crore, and the Plan expenditure is nearly Rs. 3,00,000 crore.

Sir, we are spending more than Rs. 10,00,000 crore for the development of our country. This total expenditure is being passed by 800 Members of Parliament belonging to the Lok Sabha and the Rajya Sabha. I would like to point out that even one per cent of the developmental works is not being chosen by the Members of Parliament. Out of the development work to the tune of Rs. 10,00,000 crore, even one per cent of the developmental work is not being identified by the Members of Parliament.

Five years back, even during Vajpayee's regime, the total expenditure of the Government was Rs. 4,00,000 crore only; at that time also the amount given to a Member of Parliament for constituency development, that is under MPLADS, was two crores of rupees per year. During the regime of the hon. Madam Sonia Gandhi and during the regime of our hon. Prime Minister, we are only getting the same amount of two crores of rupees per year by way of MPLADS fund. In the various States of our country, the fund given to a Member of Legislature was more than two crores of ruppes or three crores of rupees per year; and in Tamil Nadu, each Member of Legislature is getting Rs. 1.7 crore per year towards constituency development fund. Even in Delhi, the Council Members are getting each two crores of rupees towards constituency development fund. So, I would kindly request the hon. Finance Minister, our hon. Minister of State in the Ministry of Finance, Shri Palanimanickam – he comes from Tamil Nadu and he also knows very well about the programme of the Tamil Nadu Government – and also urge upon the Central Government to increase this MPLAD fund from Rs. 2,00,000 substantially. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please consider his proposal.

SHRI ADHI SANKAR: Sir, the amount allocated under MPLADS should be one per cent of the total expenditure of Rs. 10,00,000 crore. We should get a minimum of one per cent of that total expenditure, it comes to nearly Rs. 10,000 crore for the total 800 Members of Parliament; and it works out to nearly eight crores of rupees or nine crores of rupees per year per Member of Parliament.

श्री विणु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार की ओर से मैं सुन रहा था कि देश में विकास हुआ है। उस तरफ के माननीय सदस्यों की मजबूरी है, उन्हें समर्थन करना पड़ता है, लेकिन अंतरआत्मा को पता है कि सच क्या है। अभी-अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं कि कुछ लोग पीज़ा खा रहे हैं और 80 प्रतिशत लोग गरीबी के कारण भूखे रहने को मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 62 सालों में से 50 साल से ज्यादा कांग्रेस सरकार का शासन रहा है। दस परसेंट लोग अमीर बने, 80 परसेंट लोग गरीब से गरीब बने। आज अमीर लोगों के कुत्ते जो खाना खाते हैं, उस तरह का खाना गरीबों को नसीब नहीं होता है।

16.00 hrs.

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार मेरी बात पर ध्यान दे। हमारे खाद्य मंत्री फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि देश में गरीब की चिंता पहली बार किसने की? मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गरीब की चिंता पहली बार की। वाजपेयी सरकार गरीब के लिए अंत्योदय स्कीम लेकर आई थी। ...(व्यवधान) मेरे साथी, मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) मुझे भी टोकना आता है। यह मत सोचो मैं काला पानी का आदमी हूं, मुझे नहीं आता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

श्री वि णु पद राय: इस पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान और गरीबी हटाओ जैसे कई नारे दिए। अभी एक नया नारा आ गया है - आम आदमी, कांग्रेस का हाथ। मैं पूछता हूं कि गरीब का हाथ कहां है? क्या नारा देने से गरीबी मिट गई? गरीबी मिटी है लेकिन कुछ ही लोगों की मिटी है। क्या सब टाटा, बिरला बन गए? जो गरीब परिवार से नेता लोग आए थे, वे आज नेतागिरी करके, एमपी बनकर, राजनीतिज्ञ बनकर करोड़पति बन रहे हैं। उनकी गरीबी हटी है। मैं कहता हूं कि सबसे पहली बार वाजपेयी सरकार ने ही पूअरेस्ट एमंग दि पूअर की चिंता की। ...(व्यवधान) बंधु सुन लीजिए आपको जानकारी नहीं होगी। राशन कार्ड वाली अंत्योदय योजना वाजपेयी सरकार लाई। ...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): नहीं, इंदिरा जी के समय में आई थी।...(व्यवधान)

श्री विणु पद राय: राशन कार्ड अंत्योदय योजना में पहली बार वाजपेयी जी की सरकार में आया। ...(व्यवधान) इनको बोलिए, हम इन्हें क्लास देंगे।...(व्यवधान) आपको सोनिया जी और मनमोहन जी से क्लास लेने की जरूरत है,...(व्यवधान) अंत्योदय में राशन कार्ड में वाजपेयी सरकार ने पूअरेस्ट एमंग द पुअर को 35 कि.ग्रा. अनाज जिसमें 3 रु. किलो चावल, 2 रु. कि. गेहूं दिया। 60 साल के बूढ़े माता-पिता जो गरीब हैं, उनको 10 कि.ग्रा. राशन फ्री दिया। बीपीएल को 35 किलो अनाज देंगे, यह घोनणा कांग्रेस पार्टी

ने चुनाव से पहले की थी। लेकिन 25 कि.ग्रा. दिया। मैं कहता हूं कि 25 किलो चावल में एक बीपीएल परिवार को रोज सौ ग्राम चावल मिलेगा। क्या सौ ग्राम चावल खाकर कोई स्वस्थ रह सकता है? वह स्लिम जरूर बन सकता है।...(व्यवधान) एपीएल राशन कार्ड होल्डर को लेकर मुझे भी बहुत चिंता है। मैं अंडमान निकोबार से आता हूं, मेरे दोस्त अभी चले गए हैं, इस यूपीए सरकार ने सात किलो की जगह एपीएल कार्ड में पांच किलो कर दिया है। इस पांच किलो में सौ ग्राम दाना मुर्गी को भी नहीं मिलेगा, तो लोग क्या खाएंगे? इसलिए मै मांग करता हूं कि एपीएल मे चावल की मात्रा बढ़ाई जाए। बीपीएल आइडेंटिफिकेशन में बड़ी नाइंसाफी हुई है। मुझे एक सीपीएम के मित्र बोल रहे थे कि 80 प्रतिशत लोग रियल बीपीएल हैं। लेकिन रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

16.04 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी ट्राइबल्स 60 साल से बीपीएल हैं। सैंचुरी बनाओ, बीपीएल से एपीएल बनाओ या जिंदगी भर रखो। अंडमान निकोबार में 60 प्रतिशत ट्राइबल बीपीएल है, अंडमान ने क्या गलती की है? अंडमान में आज बीपीएल परिवार हैं लेकिन परसेंटेज क्या है, एक या दो परसेंट। यूपीए सरकार केवल बीपीएल के नाम पर अनाज दे रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब के नाम पर 35 किलो अनाज दे, यह हमारी पहली विनती है।

अब सरकार को लैंड इरोजन की चिंता नहीं है। जो लोग उत्तराखंड, त्रिपुरा और नॉर्थ-ईस्ट से आते हैं, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से आते हैं, जहां हिली लैंड है, जहां तूफानी बारिश होती है, जहां जमीन कट रही है। लैंड इरोजन के लिए बंगाल के मंत्री जी बैठे हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी नदी के प्रवाह से खेत की जमीन हर साल कट रही है। द्वीपों में समुद्र को पानी से तथा नदी-नाले के पानी से हर साल किसान के खेत की जमीन काटी जा रही है। उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस सरकार को ज्यूडिशयरी के बारे में क्या चिंता है? ज्यूडिशयरी भारत का सबसे बड़ा पिलर है। अपोलों में जाओ या राम मनोहर में जाओ, हम तो एमपी हैं, हमारे लिए दुनिया के बड़े अस्पतालों के दरवाजे खुले हैं। वहां स्पेशलिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट देखता है और एक दिन में 30-40 मरीज देखता है। अपोलों में स्पेशलिस्ट 30 या 40 को देखता है तो वहां बीमारी ठीक होती है लेकिन एम्स या किसी अस्पताल में हजारों की लाइन लगी होती है। क्या ऐसे इलाज होगा? इसीलिए मैं कहता हूं आज यही हालत ज्यूडिशयरी की है। ज्यूडिशयरी में कोई फैसला नहीं है, सालों साल केस चलता रहता है, जिसने रेप किया, चोरी की, उकैती की, वह बेल लेकर घूमता है क्योंकि जानता है कि पिनशमेंट होने वाला नहीं है। यहां जांच कम होती है, हियरिंग चलती रहती है और जजमेंट नहीं होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसे मेडिकल में सुपर स्पेश्लिस्ट चार घंटे ड्यूटी करता है इसी तरह से ज्यूडिशयरी भी एक दिन में 4-5 घंटे काम करे, उसे जांच

के लिए 30 या 40 केस दो और छः महीने का टाइम दो इससे जजमेंट होगी। सरकार को चाहिए 15 से 20 गुना जजों की एपाइंटमेंट करे, कोर्ट खोले तािक लोगों को न्याय मिले। इससे क्रिमिनल रेप, डकैती और चोरी करने से डरेगा। दिल्ली में सरकार बैठी है। दिल्ली में अंडमान की एक बेटी भवन में काम करती है, उसका नाम पप्पी है, मैंने पूछा - बेटी, गले में सोना क्यों नहीं पहना जबिक बंगाली लोग सोना जरूर पहनते हैं। वह बोली - कैसे पहनूं, दिल्ली में बाहर सोना पहनकर निकलते हैं तो छीन लेते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार सोचे और ज्यूडिशयरी में 15-20 गुना जजों को नियुक्त करके देश को क्रिमिनल्स से मुक्त करे।

महोदय, अब मैं एनआईटी की बात कहता हूं। यहां शिक्षा मंत्री जी नहीं है, नारायण स्वामी जी नहीं हैं, शिक्षा मंत्री अंडमान के साथ बेइंसाफी करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रो स्नो, हम सब लोग अभी अंडमान निकोबार छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्जुन सिंह जी बड़े हैं या सिब्बल जी बड़े हैं, आप जवाब दीजिए? भारत में 20 एनआईटी हैं। जुलाई, 2008 में एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी ने पत्र लिखकर कहा कि अंडमान में एनआईटी बनेगा। यह अनकवर्ड स्टेट है, पिछड़ा और बैकवर्ड स्टेट है। हमने मांग की और सिब्बल जी से मुलाकात भी की। हमने पत्र भी दिया, एक्नॉलजमेंट आया, जवाब तो आया नहीं। नारायण स्वामी जी और सिब्बल जी,* अंडमान एनआईटी पुदुचेरी में लेकर जा रहे हैं। क्या आइडिया दिया जा रहा है कि अंडमान पोलिटेक्नीक में कॉलेज खोल दिया गया है। यह फिजिबिलटी नहीं है। मैं पूछता हूं पुदुचेरी में पंडित नेहरू जी ने 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज, जिपमार खोला था तब यह क्या था, यह गांव था। आईआईटी खड़गपुर, बंगाल के एमपी, अधीर बाबू यहां बैठे हैं, खड़गुपर 60 साल पहले यह रिमोट विलेज था, एक जेल थी। यहां आईआईटी खोला गया। राजीव गांधी जी का नाम कांग्रेस पार्टी लेती है, सोनिया गांधी जी 1986 में अंडमान गई थीं और लक्षद्वीप अंडमान का आईडीए बनाया था, मिनि पार्लियामेंट, मिनि मिनिस्ट्री बनाई थी। अंडमान निकोबार एनआईटी पुदुचेरी जाएगी, मैं इसका विरोध करता हूं और जरूरत पड़ेगी तो भूखहड़ताल करूंगा। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी किसकी लीगेसी,पब्लिक परंपरा अपनाएगी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या कपिल सिब्बल की लीगेसी बनेगी? कांग्रेस पार्टी इसका चिंतन करे। मैं अनुरोध करता हूं कि अगली दस एनआईटी भारत में बननी हैं। अर्जुन सिंह जी ने अंडमान को एनआईटी दी है, सिब्बल जी, आप उससे आगे हाथ न बढ़ाएं, अंडमान निकोबार को एनआईटी दे दो।

^{*} Not recorded.

महोदय, कोस्टल सिक्योरिटी की कोई चिंता सरकार को नहीं है। अंडमान की फाइल वित्त मंत्री जी के पास पड़ी है। पुलिस कांस्टेबल बॉर्डर पर खड़ा है। उसे पुलिस रैशन अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली की पुलिस को प्रति माह 950 रुपये रैशन अलाऊंस मिलता है। मेरा अनुरोध है कि अंडमान-निकोबार दीप समूह की पुलिस को भी 950 रुपये प्रति माह की दर पर रैशन अलाऊंस दिया जाए।

महोदय, समय कम है, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आज दीपों में गांव-गांव में जाएं, हर जगह मलेरिया फैला हुआ है, टाइफाइड फैला हुआ है, डीसैन्टरी फैली हुई है। लेकिन हैल्थ की चिंता केन्द्र सरकार को बिल्कुल नहीं है। पीने के साफ पानी का अभाव है। मैं दीप में होकर आया हूं। वहां मलेरिया फैला हुआ है। इसका कारण यह है कि वहां सीधा बारिश का गंदा पानी लोग पीते हैं। वहां बारिश का पानी नाली में रुकता है, लोग वहां चैक डैम बनाकर उसी पानी को पाइप द्वारा बिना साफ किये हुए पीते हैं और बीमार पड़ते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराये। इसके लिए फिल्टर बैड, क्लीन वाटर टैंक आदि की व्यवस्था हो। लेकिन इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है।

महोदय, पोर्ट ब्लेयर वहां की राजधानी है। लेकिन वहां राशन से पानी मिलता है। एम.पीज. के लिए पानी की किल्लत नहीं है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में हफ्ते में दो से तीन दिन 15 से 20 मिनट के लिए पानी मिलता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डवलपमैन्ट से 90 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। लेकिन मिनिस्ट्री ने आज तक कोई पैसा नहीं दिया। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अंडमान-निकोबार दीप समूह में पीने का अच्छा पानी, शुद्ध पानी देने के लिए सरकार स्कीम बनाये और बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान करे। तािक वहां के लोगों का पेट ठीक रहे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। मैं पी.एम. ऑफिस में गया था। सुनने में आया कि 24 मरीजों को पी.एम.रिलीफ फंड से आर्थिक मदद मिलेगी। जैसे कैंसर पेशेन्ट के लिए दो लाख रुपये, हार्ट आदि के ऑपरेशन के लिए पचास हजार रुपये मिलेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इलाज के लिए 20 से 30 हजार रुपये देने की व्यवस्था है। जबिक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के समय में पी.एम.रिलीफ फंड में मरीजों की कोई सीमा नहीं थी। परंतु आज 24 मरीज से अधिक कोई सांसद अपना निर्वाचन क्षेत्र से पी.एम.रिलीफ फंड से इलाज नहीं करा सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पी.एम.रिलीफ फंड तथा हैल्थ मिनिस्ट्री का फंड बढ़ाया जाए।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं कि हर पी.एस.सी., सी.एस.सी., डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल आदि में आयुन का एक स्ट्रीम जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी खोले जायेंगे। दीपों मे 31 सैन्टर्स हैं, लेकिन केवल दो-तीन सैंटर्स खोले गये हैं। उनमें डाक्टर पांच साल से 24 साल तक कांट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सारे भारत में यही हालत है। दीपों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक हर पी.एस.सी., सी.एस.सी, और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में आयुन की एक स्ट्रीम जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी के रेगुलर डाक्टर और स्टाफ द्वारा चलाई जाएं। आज वहां मैडिकल कालेजों की जरूरत है। प्रशासन की ओर से पोर्ट ब्लेयर में मैडिकल कालेज खोलने के लिए डीपीआर बनकर 277 करोड़ रुपये की मांग की गई है। देश में तथा दीपों में अधिक से अधिक हैल्थ सैन्टर्स भी खोले जाएं।

अब मैं पी.एम.रिलीफ फंड के बारे में बताता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एम.पी. था। जब मैं पी.एम.ऑफिस में मिलने के लिए गया तो मुझे बताया गया कि एम.पी. साहब साल में 24 केस इस फंड के तहत लिए जाते हैं। मैं कहां से लाऊंगा, हमारी आबादी छः लाख है। लेकिन अंडमान निकोबार दीप समूह और नॉर्थ-ईस्ट जैसे कई राज्यों में डाक्टर्स नहीं है। सर्जन नहीं हैं, कार्डियोलोजिस्ट नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें बढ़ौतरी की जाए। तब कांग्रेस पार्टी देश की ग्रोथ की बात करे।

इसके बाद ओल्ड एज पेंशन का सवाल आता है। अभी सुनने में आया है कि हम लोगों की पेंशन कितनी बढ़ी? एक्स एम.पी. की पेंशन तीन हजार रुपये थी, उसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये कर दिया। अभी सुनने में आया कि एम.पी. की तनखाह चीफ सैकेटरी की तनखाह से ज्यादा 90 हजार रुपये तक बढ़ेगी। छठा वेतन आयोग लागू हुआ। लेकिन ओल्ड एज पेंशन केवल दो सौ रुपये मिल रही है। यह पैसा चाय पीने के लायक भी नहीं है। एक चाय भी आज चार-पांच रुपये की मिलती है। वित्त मंत्री जी समय पर आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि साठ साल के बूढ़े, माता, पिता, हैंडीकैप्ड लोग हैं। कितनी माएं बंगाल और अंडमान-निकोबार दीप समूह में हैं, जिन्हें उनके आदमी ने छोड़ दिया, भाग गया। उन सबका क्या होगा? आप कृपा करके उन लोगों की पेंशन बढ़ाएं और वह पेंशन उन लोगों के जीने के लायक हो। आज जो पेंशन दी जा रही है, इस पेंशन से एक समय भी लोगों का पेट नहीं भर सकता है।

महोदय, अब मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स आदि के ऑनरेरियम के बारे में बताता हूं कि इन लोगों का ऑनरेरियम आज इतना कम है कि उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एनडीए सरकार थी तो उसने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स का ऑनरेरियम बढ़ाया था। लेकिन इस सरकार ने पिछले पांच सालों में आगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स की कोई चिंता नहीं की, कोई मदद नहीं की और इस बजट में भी इन लोगों

के बारे में कोई चिंता नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाये, उनका ऑनरेरियम बढाये।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सोनिया जी आईं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। Soniaji knows Hindi well. She speaks very good Hindi. सोनिया जी 1986 में अंडमान-निकोबार दीप समूह में आई थीं। जब सोनिया जी 1986 अंडमान द्वीपसमूह में गई थी। 23.12.1986 को साथ में उनके पित श्री राजीव गांधी और प्रणब बाबू भी थे। सोनिया जी, for your attention please. कांग्रेस पार्टी अंडमान एंड निकोबार के साथ बेईमानी कर रही है, घातक काम कर रही है। अंडमान एंड निकोबार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आये। हार्ट पेशेंट, सिर टूटा हुआ पेशेंट को चैन्नई में इंडियन एअरलाइन्स का प्लेन में स्टेचर में जाना पड़ेगा। स्टेचर पेशेंट होगा, कांग्रेस के जमाने में 6-प्लेन टिकट थे। श्री वाजपेयी जी के जमाने में एक टिकट था। जब यू.पी.ए. सरकार आयी, फिर 6 टिकट कर दिया। स्टेचर पेशेंट के एअर फेयर की आप कीमत सुनिये। स्टेचर पेशंट के एअर किराया में खर्च होगा 90 हजार रुपया। गरीब लोग कहां से इलाज करेगा.? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि श्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री और आइडिया के चेयरमैन के नाते, राजीव गांधी की लिगेसी लो,परम्परा लो, गांधी परम्परा लो, पं, जवाहर लाल नेहरू की परम्परा लो, वाजपेयी जी की परम्परा लो ऐसा अगला भारत बनाओ, इसलिये ऐसा बजट लाओ, नहीं तो बजट के नाम पर अमीर अमीर होता रहेगा, पिज़ा खाता रहेगा, अमीर का कुत्ता खाता रहेगा, गरीब मरता रहेगा, देश का पार्लियामेंट से आस्था हट जायेगा।

DR. G. VIVEKANAND (PEDDAPALLY): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak again. Last time, I spoke about the Budget. This time I will confine myself to the Finance Bill.

I think, the Finance Minister has made the most important amendment to the Finance Bill, that is, exempting the establishment of electoral trusts from income tax and permitting donations to the electoral trusts and also making those donations deductible from corporate income. This will also ensure transparency in political funding that takes places.

Sir, 30 per cent of the agricultural produce goes waste in the absence of proper storage facilities, thereby seriously harming the interest of the marginal farmers. The national waste is compounded by the fact that the farmer also loses a just wage and livelihood. The loss is colossal and an impetus to this industry is long over-due. The amendment of Section 35AD where capital expenditure incurred by an assessee in setting up a cold storage facility or operating a warehousing facility for storing agricultural produce is timely. This will give the much needed push to the development of rural infrastructure. Farmers desperately need cold chain and warehouses to protect their produce and also to build their capacity to sell their produce at the right prices. This also helps the farmer to participate indirectly in the commodities' market easily. I would urge upon the Finance Minister to simultaneously increase the credit allocation for building such facilities and exempt from income tax any income derived from such lending. This will go a long way in ensuring that the 30 per cent waste becomes a produce and help control prices and inflation.

The exploitation of natural gas resources from the current year will yield valuable royalty to the Government and substantially reduce the \$ 140 billion import bill on account of oil imports. Due to the KG Basin oil finds, there will be a reduction of approximately \$ 40 billion in foreign exchange. This will help reduce the current account deficit. The royalties from KG Basin will be around Rs. 25,000 crore in the next two years. It is apt that the Finance Bill provides that capital

expenditure to lay and operate a natural gas or a crude pipeline under NELP-VIII is wholly deductible. This will deepen industrial infrastructure and benefit lakhs of Indians, due to strengthening of this infrastructure facility. Any extra gas produced generates royalties to the Government and reduces the import bill, thereby keeping the current account deficit under control.

The amendment of Section 44AD by expanding the definition of 'eligible business' has its twin effects on the economy. First, the presumptive tax of eight per cent on a turnover of up to Rs. 40 lakh will widen the tax base and promises greater compliance. Secondly, lakhs of businesses can now proudly claim to be paying taxes honestly, but without having to maintain books of account. The Finance Minister may examine increasing this limit to Rs. 80 lakhs with a higher rate of profit -- say, 12 per cent for turnovers between Rs. 40 lakh and Rs. 80 lakh -- which will go a long way in widening the tax base. Such assesses who choose the presumptive rate of taxes may be exempted from compulsory audit of Section 44 AB by the Chartered Accountants.

I may also urge the Finance Minister to further promote the Tax Return Preparer Scheme by providing the necessary training and software, so that the new assesses can take professional help in filing the returns.

The amendment to Section 80G relating to deduction in respect of donations is a welcome step because every five years the NGOs were made to take fresh registrations. This will help the NGOs plan their work, and do their work efficiently. The proposal to include preservation of environment and forest including watersheds as charitable purpose will encourage many NGOs to further this cause. The Minister may examine including organizations working on water resource management, climate change, carbon emissions, pollution control, etc. as charitable purpose in the context of global warming.

The Finance Bill, 2009 has proposed to introduce 150 percent weighted deduction in the in-house R&D operation for all businesses engaged in the manufacture of articles excluding tobacco products, alcoholic products, cosmetics

and toilet preparations. Development of in-house research is a much neglected sector in the country, and our scientific talent is exported, in the absence of a culture of research within the country. Even a small country like Taiwan spends more money on R&D than India. I must commend the Finance minister to include the R&D in all sectors for the purpose of tax deduction at 150 per cent, and I would urge him to include donations to universities and research bodies also in this category.

The present capacity of power generation in the country is around 1,50,000 MW. The Eleventh Five-Year Plan targeted an additional 78,000 MW, but we could achieve only commissioning 12, 000 MW. The challenge is huge as we are projecting an eight per cent GDP growth rate. Considering the necessity of power for growth and the long gestation periods of the power projects, I may request the hon. Finance Minister to formulate a scheme -- for tax rebate for the power sector in the next ten years -- with special emphasis on power generation from renewable resources.

In Andhra Pradesh, there is a three per cent interest rate for small farm owners. I may request that this three per cent interest rate may be extended all over India for small farmers owning below five acres of land. The Centre may also consider a subsidy for small and marginal farmers to purchase agricultural implements and tools along with fertilizer subsidy. The scheme may be extended to farmers based on acreage with a minimum to be guaranteed to the landless labourer. This will also help the rural poor -- who have to bring in their own tools and implements -- who report to the NREGA scheme.

In this Budget, the branded jewellery has been made zero per cent tax. The fashion jewellery is mainly used by the middle-class, and it generates a lot of labour and provides employment to many people. I hope the fashion jewellery also comes along with the branded jewellery for nil duty.

I request the Finance Minister to form a High-powered Committee for implementation of the schemes for the rural sector and ensure that the subsidies for the rural sector are properly implemented.

The Finance Minister has taken care of the farmers; the Government employees -- by introduction of the Pay Commission; Corporates; defence personnel, etc. However, the middle-class is not helped much by Rs. 10,000 increase in the personal income tax. Removal of the Fringe Benefit Tax (FBT) costs the Government around Rs. 8,000 crore, and taxing the individual is a burden on the middle-class. In my opinion, the Corporates are already tuned to the system of paying FBT and filing Fringe Benefit Tax returns. I think that increasing the personal income tax by another Rs. 10,000 will definitely benefit the middle-class instead of foregoing the income from FBT. The burden is only Rs.3,500 crore. This will benefit all middle class people.

In my speech on the General Budget, I had requested that the allowance for underground mine workers may be increased to Rs.1700. I would request the hon. Finance Minister to kindly look into this.

Sir, in today's world, the elderly people have to plan as to what to do after their retirement as the younger generation has very little time for them and they have their own problems. So, I would request for removing the amendment to Section 17, now proposed. The tax the amount of contribution to superannuation fund in excess of Rs.1.00 lakh is burdensome. Taxing retirement benefits to be received by the employees on their retirement should be removed. Sir, in Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister has introduced old age pension scheme to BPL families at Rs.200 per month for those who have crossed 65 years of age and Rs.

500 for self-help women group who have crossed the age of 60. This is a noble scheme and this should be extended throughout the country.

The increase in deduction under Section 80DD for medical expenses incurred on people with disabilities from Rs.75,000 to Rs.1,00,000 is also timely in view of the increased cost on medical treatment.

Sir, there has been a demand that the Budget which provides for special allocation for Scheduled Castes, minorities and others should have a separate allocation in the Budget and it should not be mixed with the General Budget. With these few points, I whole-heartedly support the Budget.

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने जो फाइनैंस बिल पेश किया है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जिस तरह से टैक्स इकट्ठा करके इस देश में ठीक से काम करती रहती है, इसी तरह से राज्य सरकारों में भी इसकी चिन्ता होनी चाहिए। इस तरह से उनको भी काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें इस तरह का काम नहीं कर पाती हैं, यह आप सभी लोगों को जानकारी है। राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए। केन्द्र सरकार जिस तरह से तकलीफ़ उठाकर टैक्स इकटठा करती है और उसका लाभ सभी को मिलता है, मेरा निवेदन है कि इस तरह की चीजें स्टेट गवर्नमैंट में भी होनी चाहिए। जब टैक्स इकटठा करने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार में कोई बदलाव नहीं आता है। चाहे आप कुछ भी करिये, यह बदलाव उसमें नहीं आता है। दूसरा, वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तीसरा, जो रियायतें हम इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, वे रियायतें अगर प्रदेश सरकारें भी इंडस्ट्रीज़ को दें तो इंडस्ट्रीज़ का काम काफी आगे बढ़ सकता है। उससे प्रदेश में काफी अच्छा लाभ पहुँच सकता है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कर्ज़ माफी का मामला चलता है, कर्ज़ माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जिस इलाके से मैं एम.पी. बनकर आया हूं, वह इलाका बहराइच उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहाँ शायद ही लोग पहुँच पाते होंगे। नाम सुना होगा लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि किस तरह लोग किस तरह की परेशानियों में जीवनयापन करते हैं। ऐसी जगहों में जहाँ खासकर थारू और गरीब लोग तथा एस.टी. के लोग निवास करते हैं, उनके लिए विशेन रूप से पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनके लिए एक कंपोनैन्ट देना चाहिए। इस बार तो इस तरह का प्रावधान मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि किसी भी स्टेट में एस.टी. के थारू जाति के लोग हों तो उनको वह मिलेगा। उन इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है। खासकर नेपाल के बॉर्डर इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।

महोदय, मैं आपको खाद के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां खाद की एजेंसी के लिए इस तरह का प्रावधान बनाया गया है, जिसमें किसी को भी 15 किलोमीटर के अंदर खाद की एजेंसी नहीं दी जाएगी। इसी वजह से वहां खाद की चोरी और बेइमानी होती है। मेरा निवेदन है कि बार्डर से इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, बार्डर के नजदीक सरकार की कोई न कोई एजेंसी होनी चाहिए।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीब इलाकों के लिए विशेन व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके तहत उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं।

महोदय, कृनि आय का मुख्य स्रोत है। इसी से फाइनेन्स और खाना-पीना मिलता है। यदि कृनि व्यवस्था ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से देश और कोई भी प्रदेश विकास नहीं कर सकता है।

महोदय, नरेगा गरीबों के लिए जीवनदान है। यह एक बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता है। यदि ठीक से इसे लागू किया जाए, इस पर ठीक से काम किया जाए तो लोग भूखे नहीं रह सकते हैं।

महोदय, 23 मिलियन लोगों के घरों में बिजली पहुंची हुई है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में घर-घर में बिजली पहुंच जाएगी। इसके अलावा पावर जनरेशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, जो भी योजनाएं गरीबों के लिए बनती हैं, उनकी मोनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह केन्द्र स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो। यदि मोनिटरिंग नहीं होगी तो आपकी सभी योजनाएं, चाहे वह फाइनेंस, विद्युत अथवा नरेगा से संबंधित हो, जमीन पर लागू नहीं हो पाएंगी।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि वर्न 1997 से पहले कुछ किसानों ने कर्ज लिया हुआ है। उनकी संख्या बहुत कम है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन थोड़े किसानों के कर्ज को भी माफ कर दिया जाए।

श्री रामिकशुन (चन्दौली): सभापित महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने साधारण बजट पर कुछ बातें कहीं थी, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

महोदय, आज कृिन पर जितना प्रावधान होना चाहिए, उतना नहीं किया गया है। पूरा देश सूखे से प्रभावित है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृिन के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सिंचाई, बिजली और खाद, इन महत्वपूर्ण चीजों पर विशेन ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने बजट अच्छा बनाया, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आज जो किसानों की हालत है, आप जो उन्हें कर्जा दे रहे हैं, सात परसैंट ब्याज पर तीन लाख से ऊपर कर्जा नहीं देते हैं और अल्पकालीन कर्जा दे रहे हैं। दूसरे चीजों के लिए लोगों को जो ऋण दिया जाता है, वह सस्ता दिया जाता है, लेकिन किसानों को जो ऋण दिया गया, उस पर आपका ब्याज रेट ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि किसानों को लम्बे समय के लिए ऋण दिया जाए और कम से कम बीस लाख रुपए तक किसानों को ऋण लेने का अवसर मिले तथा उस पर चार परसैंट से ज्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए, सभापित जी, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी से यह मांग करता हूं।

सभापित महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जितना प्रावधान होना चाहिए, शिक्षा की समानता और मूलभूत सुविधाएं, मौलिक शिक्षा का अधिकार, आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक देश के गरीब बच्चों की पढ़ाई का ठीक से इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तब तक देश की गरीबी को दूर करने का काम हम सब मिल कर नहीं कर पाएंगे। मैं इस विधेयक के माध्यम से इस अवसर पर आपसे कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों के लिए एक समान शिक्षा, दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे अपना जीवनयापन करते हैं, जिनके बच्चों का पढ़ाई-लिखाई के लिए इंतजाम नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए अगर आपने एक समान शिक्षा करके और नि:शुल्क शिक्षा करके, उनके लिए बजट में बढ़ाने का काम किया तो निश्चित तौर से देश में गरीबी कम होगी और गरीब लोगों का विकास अच्छे प्रकार से होगा। इसके लिए आपको एक नीति बनानी चाहिए और ज्यादा पैसा रखना चाहिए।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पर जो वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, भारत सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जो राज्यों के माध्यम से हिन्दुस्तान के विकास में काम कर रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का जो उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, कहीं न कहीं राज्य सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया है, इसमें दो राय नहीं हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण

योजना के अंतर्गत बहुत से गांव छूट गए, आपने पैसा दिया है, वहां दो-चार खम्भे गढ़ गए और तार खींच गए, लेकिन पूरी कार्यवाही नहीं हुई।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि आप उसके लिए एक कमेटी बनाएं। आपने कई बार कमेटी की घो-ाणा की है और उसमें क्षेत्रीय सांसद हैं। एक ऐसी कमेटी हो, जिस पर वे निगरानी कर सकें। आपने निगरानी समिति बनाई, लेकिन जिला अधिकारी या दूसरे जो लोग हैं वे उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। आज देश में कुपो-ाण बढ़ा है। यहां सम्मानित सदस्य एवं वरि-ठ लोग बैठे हैं, हम लोग पहली बार आए हैं। आजादी के इतने व-ॉं बाद भी शुद्ध पानी पीने के लिए हम कोई नीति नहीं बना सके। आज भी देश में गरीबों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। रेल मंत्री महोदया ने बजट पेश करते समय कहा था - इज्जत ट्रेन। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप इज्जत ट्रेन की बात करती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्मों से जब ट्रेनें गुजरती हैं तो वही पानी लोग पीते हैं, जो पानी ट्रेनों में हाथ-मुंह धोने के लिए बोगियों में भरा जाता है, उसी पानी का वे उपयोग करते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए शुद्ध पानी पीने के लिए भारत सरकार को बजट में ज्यादा प्रावधान करने की जरूरत है।

सभापित महोदय, पिछली सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी, रा-ट्रीय सम विकास योजना और यह उन पिछड़े जिलों के लिए बनी थी, जिससे उनका क्षेत्रीय और संतुलित विकास हो सके। बहुत से ऐसे पिछड़े जिले हैं, जहां भारत सरकार ने सीधे अधिकारियों को पैसा भेजा था, लेकिन उस योजना का नाम बदल कर बीआरजीएफ योजना कर दिया। मैं अपने जिले के चन्दौली जनपद की बात कर रहा हूं। धान का कटोरा है, हमारे रा-ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का गृह जनपद है। वहां से आप भी आते हैं। धान का कटोरा, बहुत अच्छी योजना है। रा-ट्रीय सम विकास योजना उस जिले के लिए बनाई गई, लेकिन जब यह योजना आई तो इसका क्रियान्वयन, इसमें कितना पैसा मिला, उसका आज तक हम सांसदों को पता नहीं चला। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे किसान को मजबूती मिलती है और जिले के विकास में भी मजबूती मिलती है।

महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वान्चल सबसे पिछड़ा इलाका है। वहां कोई उद्योग-धंधा नहीं है। वित्त मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रेल कारखाना बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन चन्दौली और बिहार के बॉर्डर पर अधिगृहीत की हुई पड़ी है। जब पं. कमलापित त्रिपाठी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने रेल कारखाना बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन ली थी। वह जमीन ऐसे ही पड़ी है। उसमें कारखाना बनाने के लिए इस वित्त विधेयक में धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि आप रेल कारखाना बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री आपको जमीन

नहीं दे रही हैं, लेकिन हमारे पास तो जमीन पड़ी है। बिहार और यू.पी. के बॉर्डर पर जमीन पड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उस जमीन का उपयोग करें और वहां रेलवे का कोई बड़ा और अच्छा कारखाना अथवा कोई संयंत्र लगाने का काम करें।

महोदय, मैं एक मिनट का समय और चाहता हूं। हमारे यहां बांधों की बहुत जरूरत है। हमारे यहां सूखा पड़ा हुआ है। बांधों में एक भी बून्द पानी इसलिए नहीं है, क्योंकि वे जर्जर हो चुके हैं। नौगांव, चिकया, सोनभद्र और मिर्जापुर के बांध जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा हो जाए और अगर वहां पानी बरस जाए, तो उन बांधों में पानी इकट्ठा हो सकता है और उससे किसानों के खेतों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन वे बांध जर्जर हैं। पानी बरसता है, बांधों में रुकता नहीं, बह जाता है।

महोदय, इसी प्रकार बाण सागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे आपके प्रदेश को भी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सोन नदी से बाण सागर परियोजना को बनाकर पहले आप पानी को मिर्जापुर लाएं, उसके बाद उसे चन्दौली लाएं और उसके बाद उसी पानी को बिहार के सासाराम क्षेत्र में, जहां का प्रतिनिधित्व हमारी लोक सभा की अध्यक्षा महोदय करती हैं, वहां ले जाएं, तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री रामिकशुन: सभापित महोदय, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। उस बांध के लिए ठीक प्रकार से पैसा देकर आप यदि बनाएं, तो देश को बहुत लाभ होगा। यहां कांग्रेस की अध्यक्षा बैठी हैं, मैं उनके सामने प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर अगर पूरी संसद काम करती है, तो किसानों का भला होगा, इस देश का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त-विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, the Finance Bill of 2009-10 presents an alarming fiscal mismanagement. यू.पी.ए. गवर्नमेंट आने के बाद उसने अपने कंट्री को डैट में डुबा दिया है। जब से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली तब से वर्न 2004 तक 18 लाख करोड़ रुपए का डैट था, जो पिछले पांच साल में बढकर 34 लाख 95 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। लगभग 100 परसेंट कंट्री की लाइबिलिटी बढ़ा दी है। आजादी के पिछले 62 साल में इतना डैट और लायबिलिटी बढ़ने के बाद भी पूअर पीपुल के लिए कुछ भी नहीं मिला है। यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने पूरे वोटर्स को एक तोहफा दिया है। उसने हर वोटर के ऊपर 50 हजार रुपए का कर्जा थोप दिया है। आज के दिन पुरे इंडिया के वोटर के ऊपर 50 हजार रुपए का डैट बरडन है। यदि इस साल के बजट का कैपीटल आउटले देखें, तो 10 हजार करोड़ में से 4 हजार करोड़ रुपए का डैट है। इतना धन हमें बाहर से लाना पड़ेगा या बैंकों से लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी रैवेन्यू में आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जितना भी डैट का रैवेन्यू हमें आया है, उसमें से 37 परसेंट रैवेन्यू इंटरैस्ट बरडन को कम करने के लिए जाएगा। लगभग 2 लाख 25 हजार करोड़ हमारा देश इंटरैस्ट के रूप में पे कर रहा है। पिछले पांच साल में Revenues have increased like anything. वर्न 2003-04 में रैवेन्यू 2,63,813 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 6,4,97 करोड़ रुपए हो गया है। ऑलमोस्ट 200 परसेंट रेवेन्यू बढ़ गया है। एक तरफ से रेवेन्यू बढा है, दुसरी तरफ से डेट हुआ है, तीसरी तरफ असैट सेल किया है। इतना पैसा आने के बाद भी कॉमनमैन की लाइफ के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। माननीय मंत्री जी, मैं सुझाव देना चाहुंगा कि इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की जरूरत है। The present system is not transparent. It is giving scope for harassment and confusion to the general public. The present system and management are leading to leakage of revenues and wasteful expenditure. The present system is also giving scope for misuse of powers of the Government over the common man and business people. इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। उसी के साथ अभी In spite of heavy debt burden, there is no development in the country and there are no fresh employment opportunities. हमारे बजट में एक बात बोली है कि हम 12 मिलियन लोगों को जॉब देंगे और उसके लिए वैब पोर्टल लगा देंगे। आज के दिन वैब पोर्टल तो काफी हैं। अगर हम कम्प्यूटर ओपन करें तो काफी वैब पोर्टल रहते हैं, जॉब पोर्टल भी काफी रहते हैं। But what is the planning for giving jobs? That is important. How can we create jobs? हमारे बोलने के बाद जो 12 मिलियन से अभी इस छोटे से समय में एक

मिलियन जॉब देने की जगह वे रिमूव हो गये। 12 में से एक मिलियन जॉब्स तो खत्म हो गये। अभी 11 मिलियन हैं, ये 11 मिलियन भी बाकी जितना टाइम है, उसमें चले जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग नहीं है, इनका जॉब क्रिएशन के लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। How can we create jobs? वह नहीं है। सिर्फ वैब पोर्टल लगाकर, पोर्टल के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं।

प्रेजेण्टली फॉर्मर्स के इश्यूज़ में चार परसेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सैक्टर में हमने देखी है। हमारा सजेशन यह है, इसके लिए पहले भी हम लोग बोले हैं कि अगर इस सैक्टर को डैवलप करना है तो इण्टरैस्ट रेट को कम करके सात परसेंट जो किया है, उसको चार परसेंट करें। एम.एस.पी. रेट एक्चुअल कास्ट से उसको अच्छे से दे दें, प्लस 50 परसेंट जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है, जब तक उसको यह नहीं देंगे, इस सैक्टर में इम्प्र्वमेंट आने में बहुत ही दिक्कत है। उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। प्रजेण्ट पोजीशन में देखें तो Agricultural sector, industrial sector and service sectors are badly affected due to various reasons. इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। In our country, interest rate is very high compared to the global position. गवर्नमेंट स्वयं 12 लाख करोड़ का बोरो कर रही है, अगर बाकी फाइनेंशियल सैक्टर के ऊपर यह बर्डन आ जायेगा तो ऑटोमेटीकली आर.बी.आई. का इंटरैस्ट रेट और बढ़ने के चांसेज़ हैं।

दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पी.पी.पी. मॉडल पर ज्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स के लिए हमें आर.बी.आई. से, नहीं तो बैंकिंग सैक्टर से पैसा मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए भी सोचना चाहिए। डिस-इन्वैस्टमेंट में देखें तो बजट में 1,01,120 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया है, मगर फाइनेंस मीडिया में बहुत जगह 30 हजार करोड़ का डिस-इन्वैस्टमेंट आएगा, यह दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी क्लैरीफिकेशन होना चाहिए।

In our country, human resource development is very important. फाइनली हमारा ह्यूमन रिसोर्स डैवलप करने के लिए और भी फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए और उसमें पर्टिकुलरली लिट्रेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए फीमेल सैक्टर को इसकी काफी जरूरत है, यह भी देखना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश स्टेट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट काफी करना है, उसमें पर्टिकुलरली हमारे हाईवेज़ The main Highway connecting Hyderabad-Rajahmundry via Suryapet. एन.एच. 9 में वाया सूर्यापेट- खम्माम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए।... (Interruptions) It is not Hyderabad-Vijayawada section which I am speaking about. I am talking about Suryapet-Khammam-Rajahmundry. This is a short cut. Due to the new irrigation projects constructed

in Karnataka and Maharashtra on Krishna and Godavari rivers, the State of Andhra Pradesh will become totally dry and it will affect the economy of our State. इसके ऊपर भी तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वाल्वमेंट होना चाहिए। The Finance Minister is not aiming for the economic growth of the country. एमपीलैंड्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एमपीलैंड्स सभी से कनेक्टेड ईश्यू है, इसे दो करोड़ रूपए से बढ़ाकर कम से कम पांच करोड़ रूपए करना चाहिए।

16.50 hrs. (Madam Speaker in the Chair)

With these words I thank the hon. Finance Minister. I am grateful to you, Mr. Deputy-Speaker, for giving me this time.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, कल सभी देशवासियों ने विजय दिवस मनाया। मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से अपने देश के शहीदों को नमन करना चाहता हूं। "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्न मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशां होगा। "

महोदया, हमारा देश सूखे की चपेट में है। हम बड़े फख से कहते थे कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन आज भारत देश सूखे की चपेट में है और उससे प्रभावित है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि किसानों को सूखे से राहत देने के लिए कोई कार्य योजना बनाएं। मैं उत्तराखंड प्रदेश से हूँ। जहां सूखा राहत के अंतर्गत 30, 40, 50 और 100 रूपए के चेक मिलते हैं और लोगों को 40 रू. के चेक को कैश करवाने के लिए ढाई हजार रूपए का एकाउंट खोलना पड़ता है। ऐसा मजाक लोगों के साथ है, क्योंकि जो मानदंड तय किए हैं वे मैदानी इलाकों के हैं, पहाड़ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। सूखा राहत के नाम पर 30 रूपए, 50 रूपए या 100 रूपए के चेक नसीब होते हैं और लोग इसे मुख्यमंत्री को वापस लौटा देते हैं। ऐसी स्थिति वहां बनी हुयी है।

में वित्त मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि जो टेक्नालाजी हमारे देश में आए, वह कम से कम आब्सोलीट टेक्नॉलाजी न हो। सम्मानिता, मैं आपका ध्यान आकर्नित करना चाहूंगा कि अभी-अभी लोकसभा में हमें आर. एफ. कार्ड मिले हैं। इसके बारे में मैंने पूछा कि क्या इसके अंदर ब्लड ग्रुप भी आपने डाला है? उन्होंने कहा कि नहीं ब्लड ग्रुप नहीं डाला है, अगर हमें पता होता तो हम डाल देते। हमारे आर. एफ. कार्ड में ब्लड ग्रुप डालना चाहिए था। इसके साथ ही मुझे कार के लिए भी कार्ड मिला है। मेरे ड्राइवर ने उसके आगे एक स्लिप लगा दी जिसके कारण गेट ही नहीं खुलता है। ऐसी आब्सोलीट टेक्नॉलाजी हमारे देश में आ रही है। उस कार्ड के ऊपर कोई फोटो नहीं है, इसलिए एक दूसरा कार्ड ईश्यू किया गया जिसमें हमारी फोटो और सिग्नेचर भी हैं। ऐसी टेक्नालाजी नहीं आनी चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि विश्व की अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। सोना, चांदी व विदेशी मुद्रा की कीमत का उतार-चढ़ाव भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और रा-ट्रहित को सर्वोपिर मानते हुए, माननीय वित्तमंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया, वह विकास के लिए अति उत्तम और श्रे-ठ है। इस मंदी के दौर में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। मैं इस फाइनैंस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान नवनिर्वाचित उत्तराखंड राज्य की ओर दिलाना चाहूंगा, जहां वर्तमान में टैक्स हालीडे यानी कर-अवकाश लागू है। टैक्स हालीडे के कारण मैदानी इलाके में

उद्योग लग गए, परंतु पहाड़ों में उद्योग नहीं लग पाए। टैक्स हालीडे का सीधा फायदा पहाड़ों में रहने वाली जनता को नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि पहाड़ों में फैक्ट्री, उद्योग लगने के लिए जमीन की उपलब्धता और यातयात की किठनाई रहती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में जैसी व्यवस्था है कि आदिवासी व्यक्ति, जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हुए कार्यरत होता है, उन पर इन्कम टैक्स नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार से सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापक, डाक्टर, बिजली कर्मचारी तथा इसी प्रकार अन्य विभागों में उत्तराखंड राज्य में काम करने वालों को यदि इन्कम टैक्स से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दी जाए, तो पहाड़ों से पलायन भी रोका जा सकता है, तथा सुदूर ग्रामों में अध्यापक, डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी भी उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधानों से उत्तराखंडवासी तथा देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को बहुत फायदा पहुंचेगा और यह बड़ा उत्तम सुझाव है।

यह सर्वविदित है कि आदि गुरू शंकराचार्य ने चार धामों के अंदर चार पीठों की स्थापना की। इसी प्रकार हमारी सरकार ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम में द्वारिका धाम की तरफ सुरक्षा के लिए तार, बाड़ लगवा दी है। पूर्व में जगन्नाथ धाम तथा दक्षिण में रामेश्वरम् धाम की ओर से समुद्र में कोस्ट गार्ड तथा नेवी लगा रखी है तथा जम्मू कश्मीर की ओर भी तार, बाड़ कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम की तरफ सीमा सुरक्षा संगठन (बीआरओ) स्वतंत्रता के बाद भी डिफैंस की दृ-िट से काफी अच्छा काम कर रहा है। मेरा निवेदन है कि यदि गैरसैंण में सीमान्त विकास प्राधिकरण की स्थापना कर दी जाए तो यह प्राधिकरण सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए अध्ययन करेगा, काम करेगा और इससे उस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा गर शौक में तेरे जोश रहा तस्वीर का जामा बदलेगा बेज़ार न हो, बेज़ार न हो, सारा फसाना बदलेगा कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो यह ज़माना बदलेगा।

* इसके अतिरिक्त सीमान्त क्षेत्र के गाँवों के लोगों को इंटेलीजेंस कलेक्ट (गुप्त सूचनाएँ एकत्रित) करने का विशे-। प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इसके अलावा अन्य कई कार्य उनको सौंपे जा सकते हैं जिससे देश की सुरक्षा और दृढ़ होगी और पहाड़ों का विकास कार्य भी होगा। इसमें गुरिल्ला प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती है।

वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इण्डस्ट्री (I.T.Industry) को आयकर से छूट प्राप्त है जिसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना है। परन्तु सुदूर व कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसे सशर्त (Conditionally) जारी रखा जा सकता है अर्थात् उत्तराखण्ड या अन्य पहाड़ी इलाकों में कोई इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी इण्डस्ट्री लगाना चाहे तो उसे अगले दस सालों के लिए इन्कम टैक्स से मुक्त रखा जा सकता है। *

अध्यक्ष महोदया : जो माननीय सदस्यगण अपना भा-ाण नहीं दे पाए हैं, वे कृपया उसे सभा पटल पर रख दें।

^{*...*} This part of the Speech was laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, Speaker, I express my deep appreciation and gratitude to all the hon. Members who have participated in the discussion on the Finance Bill. Nearly 35 hon. Members have made their valuable contributions on the Finance Bill and the general provisions of the Budget.

We have entered into the last leg of this elaborate financial exercise. As the hon. Members are aware, this is one of the most crucial and most important rights of the elected representatives of the people assembled in the Parliament. Naturally, it is expected that the Members will exercise that right from approving the expenditure, authorizing the Executive to withdraw money from the Consolidated Fund of India and to give approval to the imposition of taxes. All these are the most crucial rights which the chosen representatives of the people exercise through this instrumentality. Therefore, the Budget exercise is elaborate.

Secondly, I appreciate the broad cooperative spirit with which the hon. Members have contributed in this discussion. Everyone is aware of the gravity of situation and everyone wanted to ensure that the nation collectively can take courage in both hands and face the challenges and come out successfully.

I do agree with the Deputy Leader of the principal Opposition Party, Shri Jaswant Singh, who had the privilege of being the Minister of Finance, also the Minister of Defence and Minister of External Affairs of this country, when he observes that he wants the success of the Minister of Finance because it is not the question of individual; it is the question of success of the Minister of Finance, which means the success of the economy of this country, growth of the economy of this country and to improve the situation with which we are confronted right now.

17.00 hrs.

In this connection, some of the hon. Members have made certain suggestions and observations, and also raised some queries. I will try to respond to those things. Shri Jaswant Singh has correctly pointed out that with this elaborate

exercise, whether we can make the process simple. Of course, we can make the process simple. But there are constitutional obligations which we cannot overlook.

Article 112 of the Constitution provides that it is an annual exercise. The Annual Estimated Statement of Receipts and Expenditure is to be placed before the House. This is the responsibility of the President who causes to be laid this Statement of Estimated Annual Receipts and Expenditure. Therefore, this is the annual exercise which we shall have to do.

Another hon. Member raised this question: "Is it really necessary to have even the small amendments to be placed before this House for its approval?" Yes, it is necessary. It is because Article 265 of the Constitution clearly points out that no tax can be levied save an authority of the law and this House has that authority to impose the tax, to levy the tax.

Some hon. Members have raised this question: - It makes common sense and sometimes, it appears to be puzzling - Why shall we have to give retrospective effect of the taxation legislation? I do agree that retrospective effect of the taxation legislation is not a very good idea and it raises problems. But under the scheme of the Constitution – if you can just keep it in mind – we have the right to make the legislations. But as per the scheme of the Constitution, it is the Supreme Court which has the final say in regard to the interpretation of the law. Many of the retrospective legislations ought to be made. I am just explaining the position in a little bit detail.

We have the system that the Finance Bill is to be passed within 75 days of the presentation. Why? It is because a part of the Finance Bill becomes operational, a part of the taxation proposal becomes operational immediately. The moment the Finance Minister says: Madam Speaker, I introduce the Finance Bill," a part of it becomes operational. Even the Members have not seen it. There is no question of analysing it. The proposals have not yet been placed. But it becomes operational. Therefore, the Constitution has made provisions that within 75 days

from the date of presentation, the Finance Bill must be passed and if it is not passed, then, there will be first class administrative and financial crises because the tax which has not been approved by the House of the people, that tax is not a valid tax and if it is collected, those taxes will have to be returned.

Now, imagine a situation that the Supreme Court gives the judgement. In all these cases, particularly, the amendment under Section 147 - which Shri Jaswant Singh has referred to - why it is for 20 years? Because, it is the question of interpretation by the Supreme Court which becomes the law. If the retrospective amendment is not being made for the 20 years, then, from 1989 onwards, the taxes which have been collected will have to be refunded if this retrospective legislation is not being made under that particular Section, which is not possible. It is not possible. Therefore, it will lead to an administrative chaos and, more often, it is not an imaginary case. Mr. Chidambaram, en eminent lawyer, is sitting here. What has been determined as the settled practice by the interpretation of the Supreme Court has been unsettled and naturally it has to be given retrospective effect to avert the administrative chaos. But this is not for the assessment. This retrospective effect is not given for reopening assessment cases. Earlier it was 16 years and after the administrative reforms, which have been introduced later on, it is now 6 years from the date of assessment. Therefore, these are some of the points which have to be kept in mind.

Another issue has been raised, of course, with a spirit of humour by Shri Jaswant Singh. He said that the increase of tax exemption by Rs. 10,000 given by the Finance Minister will not even cost a bottle of whisky. As it is not advisable to have whisky, - and as I have given up my habit of smoking pipe – I will advise him to give up taking whisky if he has not already given it up. But my point is different. You are looking at the exemption of Rs. 10,000. But please look back. It is not Rs. 10,000. It is Rs. 1,60,000 in the case of an individual, in the case of a woman assessee, it is Rs. 1,90,000, in respect of a senior citizen, either man or woman, it is Rs. 2,40,000. Till 1998, the exemption limit was Rs. 40,000. In 1999,

when you came to power for the second time, it was raised to Rs. 50,000. Thereafter, Mr. Chidambaram raised it from Rs. 50,000 to Rs. 1,50,000 in five years and on top of Rs. 1,50,000, I have added Rs. 10,000 this year for individuals and I have increased it by Rs. 15,000 for senior citizens. If you look at from the other angle, in a country of 115 crore population, how many people pay income tax? How many people earn within the tax limit? The level of exemption which we are providing at Rs. 1,60,000, if you look at it from the other side, it is almost five times of the *per capita* income of the people of this country. No country in the world, so far as my knowledge goes, gives exemption to this level. Normally they equate it at par with their *per capita* income. Their *per capita* income is higher. Our *per capita* income is much lower, but it is as high as five times of that. Therefore, this aspect also has to be kept in mind.

Another distinguished Member raised the issue that corporate houses are making huge profits and he asked as to why it does not get reflected in the tax. It gets reflected in absolute terms and also in percentage terms. If you look at 2005-06, the effective corporate tax rate for the corporate sector was 19.26 per cent, in 2006-07 it went up to 20.60 per cent. In 2007-08, it went up to 22.24 per cent. Therefore, the contention is not correct that the corporate houses are making huge profit but they are not sharing a part of their profit to all.

A question has been raised also in connection with taxation that why the wealth tax is so low and one calculation has been made, is it that this country has the wealth of only Rs.40,000 crore, which is not possible. The very basic principle of wealth tax is to tax the dead assets, which are not productive. Therefore, all items of wealth are not brought within the wealth tax and only a few limited aspects of those wealth are taxed which are dead assets which are non-productive assets. For that too, the limit has not been changed for quite some time, this time the limit has been extended a little bit.

Madam Speaker, I would not like to take more time on the general points on which the rates of taxation and others have been raised. I would like to touch

upon one more issue, why the refund is increasing - 'A sum of Rs.13,159 crore has been given out as the interest on the delayed refund over a period of three years .

But one point we shall have to keep in mind is that we have not yet been able to bring it totally under a centralised processing system. Now, we have made that arrangement and a Centralised Processing Centre at Bengaluru is being set up and is expected to be operationalised from August this year. All electronically filed returns will be processed at this Centre. Since it is mandatory for companies to file electronically all corporate returns, this will now be processed at this Centralised Processing Centre at Bangluru. I do hope that it would be possible to reduce the payment of interest.

One good practice we have is to keep the administration and department on toe. The calculation of interest starts from the 1st of April though the return of income is not even due. It will be processed almost 18 months after. But to ensure that the department completes the processing expeditiously and ensure the refund as early as possible, we give the interest on refund from 1st of April, though refund is not even due at that point of time. But I do hope that with the process of Centralised Processing Centre, it would be possible to take care of it.

Madam Speaker, now I would like to address some of the general issues which the hon. Members have referred to. I must not press the panic button, but at the same time, I would also not like to pose a very rosy picture. I will be realistic and pragmatic as it appears right now.

A question has been raised how we could ensure four per cent growth in agriculture. Many members have made their observations. It is not a question of how we can; it is a question that we must. If we want to achieve nine per cent GDP growth on a sustainable level in our country, four per cent growth in agriculture is absolutely necessary. To achieve that, I do agree, we shall have to ensure availability of water, availability of fertilizers, pesticides, and availability of quality credit at affordable cost. We are making that arrangement.

I replied while participating in the general discussions that if you look at just some items under the broad head of 'Agriculture' and arrive at a decision on the entire Budget of Rs. 10 lakh crore – only one per cent has been devoted to agriculture – it will not lead you to the correct position. If you take all the items related with agriculture, then you will find that nearly 24 per cent of the Gross Budgetary Support which we are providing is being spent, not one per cent in agriculture. It is true that we could have given, instead of taking the ceiling at Rs. 3 lakh as crop loan ceiling, Rs. 20 lakh at the 4 per cent rate of interest, but please remember that banks have to get money from you, from me, from the peasants at a particular rate of deposit interest. If they are to give loan at 4 per cent rate of interest to a very large section including DRI – one per cent of its advances go to four per cent rate of interest – then what would be the interest on deposits? How is it going to affect your domestic savings? In our overall development, the contribution of rate of domestic savings is very high. If you take into account that our rate of investment in terms of percentage of GDP is around 37 per cent or 38 per cent, nearly 35 per cent or 36 per cent is coming from our domestic savings. Therefore, we cannot have an economic policy or a system where the domestic savings will be discouraged. We should provide incentive for domestic savings because domestic savings, household domestic savings are providing us the base for higher investment. Therefore, we shall have to take an integrated picture. I understand that every State has its own problems. But, is it possible to have for all the 28 States, special packages? But we have taken certain steps. Excuse me, if I refer to my own experiences. In the eighties, when I was the Finance Minister, every day I had to check up from the Reserve Bank of India as to how many States are on the overdraft. Sometimes I had to take the unpleasant decision of stopping payment for a few days because the ways and means position of the States those days was extremely bad. We used to have various mechanisms. Today the situation is not that bad, rather it is much better. With the recommendations of the last Finance Commission, with the devolution of 29 per cent of all the taxes, today

you take any State including Assam, the cash balance of those States today is much higher. But that does not mean that the States do not have particular problems and they will not have to be addressed.

The short point that I want to drive at is that yes, we require money but there should be some suggestions from the hon. Members not merely to make recommendations for expenditure but also to make recommendations that this is the area from where you should mop up some resources so that I can use that wise counsel to mop up some resources and have the backing of the hon. Members of this House. That is the perennial predicament of every Finance Minister.

Madam Speaker, what I was talking of is this. The situation has started improving slowly. I have some figures which I would like to share with this distinguished House. So far as the industrial growth is concerned, in certain sectors there have been some positive improvements. In sectors – steel, cement, and crude oil – there have been positive improvements in the month of June, and in certain sectors, most of these sectors, in the first three months of the current financial year from April to June. The latest figure of the manufacturing sector is 12 per cent growth, which is, to my mind, quite encouraging because from October onwards we were finding a downward trend which has been reversed to a considerable extent. But still I would not say that we are out of the woods. The situation is still difficult. In the morning, my colleague, the Commerce Minister, while responding to certain questions, was pointing out that from October onwards the exports were going down. Keeping that in view, it will take some more time for the international community, and particularly our export destinations to Europe and North America where nearly more than 50 per cent of our exports are destined; the European Union, as a whole, account for nearly 36 per cent, 37 per cent; the U.S.A. account for 16 per cent; and if you add Japan around 15 per cent to 16 per cent; taken together it would be 64 per cent, 65 per cent of our export destinations. Unless the economy recover and bounds back there, it is not very

easy for us, whatever export promotion measures we take, to have exports in those areas.

In my Budget proposal, I have enhanced the market development assistance with the objective of exploring the new market other than the traditional market which we have in Europe or North America. Surely it will take some time. Therefore, the overall strategy which we have adopted is to ensure that we can have reasonable growth and come back shortly to the high growth trajectory, I have taken certain measures in my Budget proposal, and I have also taken certain measures which I am going to announce a little later by making certain amendments and changes in the Finance Bill.

But before that, the overall strategy which I was talking of is that in the medium term we must enhance internal demand; we must generate internal demand. The fiscal stimulus which we have provided to confront this situation has paid dividend to us. If you look at the forecast which were made in the months of November, December, January, and even up to February, starting from International Monetary Fund to important international organisations, none predicted that India is going to have a GDP growth of more than five per cent.

But we have been able to prevent the further deterioration and we could arrest the slide in growth at 6.7 per cent. It is because of the stimulus packages, which we provided in financial terms by fiscal measures. My predecessor Mr. Chidambaram and the hon. Prime Minister provided two fiscal stimulus packages in the months of December and February. There was a third package -- I must not call it a fourth package; I also made certain proposals in my full-Budget, which I presented and also in my Interim Budget -- which, taken together, amounts to almost Rs. 2,14,000 crore. This is the level of money, which we had to inject in the system. When the revenue is not coming up to that extent, it is not possible to enhance the tax part. The tax GDP ratio has come down. As growth of GDP has come down, as growth of industrial production has come down, and as export has come down, you cannot expect that your tax GDP ratio and tax part would

enhance. It is not possible. By no economic law, you can have it. From 12.6 per cent, it has come down to 11.5 per cent. But despite that, to ensure that we can maintain the GDP growth, we have stepped up substantial fiscal stimulus in the system.

Our stepping up of the flagship projects including NREGA and Bharat Nirman are not merely to fulfil our electoral promise. It has a high economic content. If we can inject resources in the rural areas, if we can build up quickly rural infrastructure, if we can give jobs for 100 days even at Rs. 100 in real terms, if we can enhance the purchasing power, we will stimulate the demand for the consumer goods; and it has actually happened. It is not a theoretical proposition. It will generate the economy, it will revamp the economy and it will give us some breathing space. We can address the other major problems after that. Therefore, we had to undertake all these measures. I do feel, Madam Speaker, this was appropriate and this was necessary.

Another general point, which I would like to submit is this. It has been stated that why can we not demystify the entire process itself and why can we not move interactive. Please remember that the time available to us during this period was very short. Yes, we made a commitment. As a political party at the time of the elections, make commitments to the electorates. To fulfil those commitments, it is necessary to have credibility. We committed in our manifesto that if we come back to power with the blessings of the people of this country, we would present the Budget within 45 days of the formation of the Government. Therefore, the deadline was fixed. After assuming the responsibility of this Ministry, I would say, as a whole-timer – earlier I was a part-timer because firstly, I was looking after Finance because of the hon. Prime Minister's sickness; and later on I carried on but my substantive job was in the External Affairs Ministry – from 23rd May, 2009 to 6th July, 2009, we did not get much time. But despite that, for the first time I had a meeting with the State Finance Ministers.

I do not remember we had it earlier. My predecessor, Mr. Chidambaram, had the system of having interaction with various stakeholders before the presentation of the Budget. Regarding farmers, many a time, it is pointed out that we do not consult the farmers. It is not so. Of the four important groups with which the Finance Minister must have interaction before he formulates his Budget proposals, one important component is the farmers. The others are trade unionists, industrialists and economists. Apart from these four stakeholders, this time we added three more. It is because of the problem of exporters, we added the export sector. We added the financial sector. Another hard hit sector was IT industries. Therefore, the representatives of IT industries also were consulted. It is four plus three, seven, plus the Finance Ministers, and we got their inputs. It has benefited me. I do not know how much benefit I have given to them. But surely, these interactions have benefited me and my colleagues to formulate our proposals.

I mention that this would be possible for us to institutionalise, and in the coming days it would be more and more interactive. It will be pre-Budget. It will be post-Budget. It will be during the Session. It is because in today's political and economic scenario, when we talk of the cooperative federalism, it is just not a cliché or rhetoric. It is absolutely required. It is imperative. Without cooperative federalism, it is not possible to have economic advancement and progress, not merely in the area of economy but almost in every walk of the administration, every area of administration.

When I express my confidence that we will be able to have GST by 1st of April, 2010, I very much remember that in most of the States, as a party man, my writ does not run. A large number of States are governed by political parties not belonging to us. But at the same time we have commonality of interest and that commonality of interest, which is being worked out by the empowered Group of the State Finance Ministers, from their assurances and from their cooperative approach, I do feel it would be possible. And, if we have it, that would be a major tax reform and it would be a cooperative venture of the States and the Centre to

address many of these issues. Yes, there may be Constitutional problems. Amendment of the Constitution may be required. Experts are examining it. Some of them are saying it may not be necessary. But if every side of the House cooperates, where is the difficulty to have the Constitutional amendment that is required for the interests of the nation and for the betterment of the economy? As I understand from the discussion on the General Budget and the discussion on the Finance Bill, on this broad national interest, there is no discordant view as it got reflected in the State Finance Ministers' Conference. It got reflected in the discussion of this House and that House on these two occasions. So, why would it not be possible to have it?

Therefore, Madam, Speaker, I do feel it would be possible to have it and if we can do that, then to a considerable extent, regarding the major taxation reforms which we are talking of, as I promised in my General Budget speech, that within 45 days I will place the direct tax code on the website of the Finance Ministry.

I am sticking to that date and I do hope that it will be on the website. People will have the opportunity of discussion. Informed debates and discussions will take place. We will get the inputs and with the availability of these inputs it would be possible to come to the Winter Session for the new tax codes which will bring major changes in the tax administration and tax laws in this country.

As I mentioned, and it is customary, that after the presentation of the Finance Bill and the Budget proposals, we received various recommendations and representations from different stakeholders. This time there has been no exception. Had it been normal year, perhaps, I could have accommodated much more. But, as this being a very extremely difficult year, I had to prevent the temptation of making more concessions which are deserved. It is not that they do not deserve to be considered. They deserve to be accepted. But, I could not do it. I deferred the decision for seven-eight months more. But, I thought that we could do some without affecting the revenue to a great extent.

Madam Speaker, I have studied and analysed the various suggestions made in the representations which we have received. I intend to remain focused on our immediate priority of providing stimulus to generate economic activity in the present environment of economic slowdown. Accordingly, I propose to make certain changes to the Finance (No. 2) Bill, 2009 to achieve these objectives.

Addition of the new services to the list of taxable services or alterations in the scope of existing taxable services made through the Finance Act come into force from a notified date after the enactment of the Finance Bill. Trade and industry have requested that sufficient time be provided between notifying such changes and making them effective thereby enabling adjustments in business accounting systems and software. That means they want that there should be a gap between the date of notification and the date of effectiveness of that notification. I find merit in this suggestion. Accordingly, I have directed the Central Board of Excise and Customs to make the notifications prescribing levy of service tax on new services and alterations in the scope of existing services announced in the current Budget, effective from 1st day of September. Therefore, they will have a clear one month to make their adjustment.

Roads serve as a lifeline in the country. Therefore, the Government has accorded the highest priority in developing and maintaining roads across the country. This is adequately reflected in our expenditure allocation. On the tax front, construction or laying of the new road is excluded from the service tax. However, repairs and maintenance of the roads are chargeable to service tax. Several requests have been received to exempt the repairs and maintenance of roads from the service tax. Therefore, I propose to remove this anomaly by also exempting repairs and maintenance of roads from the service tax with immediate effect.

Clause 32 of the Bill proposed to amend the provisions of Section 80(E) of the Income-Tax Act so as to allow deduction in respect of the interest paid on education loan for pursuing higher education in any field including vocational

education. This deduction is available to an individual if the education loan is for self-study or for studies by spouse or children of the individual. Representations have been received that the scope of the benefit should be expanded so as also to allow other person responsible for the student to avail of that deduction. I, therefore, propose to amend the clause 32 of the Bill so as to provide that the deduction will also be available to the legal guardian of the student.

Section 80-IA(4), sub-clause (iii) of the Income Tax Act provides for tax holiday in respect of the profits derived by an undertaking from development, operation or maintenance of an industrial park, if the development is completed on or before 31st March, 2009. Representations have been received seeking extension of this scheme. With a view to providing stimulus to infrastructure sector to generate incomes in the wake of economic slowdown, I propose to extend the sunset clause for the industrial park scheme by a further period of two years, that is, up to 31st March, 2011.

Clause 37 of the Bill seeks to amend the provisions of sub-section (9) of Section 80-IB of the Income Tax Act to provide tax holiday to an undertaking engaged in the commercial production of natural gas in blocks licensed under the NELP VIII-round. Representations have been received that this benefit should also be extended for commercial production of natural gas in blocks licensed under the IV round of bidding for exploration of coal-bed methane. Accordingly, I propose to carry out necessary amendment to sub-section (9) of Section 80-IB of the Income Tax Act. This benefit will be available prospectively from the Assessment Year 2010-2011 and subsequent assessment years.

Madam Speaker, housing, particularly lower and middle income housing, deserves to be supported. In order to stimulate this segment of house-owners, I propose to provide support to borrowers by way of interest subvention of one per cent on all housing loans up to Rs. 10 lakh to individuals provided the cost of the house does not exceed Rs. 20 lakh. The interest subsidy will be routed through the scheduled commercial banks and the housing finance companies registered with

the National Housing Bank. This interest subsidy will be available for a period of one year. I propose to provide Rs. 1,000 crore towards this end.

I also propose to provide further stimulus to the housing sector by providing some tax relief. Accordingly, I propose to amend Section 80-IB(10) of the Income Tax Act so as to allow the tax holiday in respect of profits derived from projects approved between 1st April, 2007 and 31st March, 2008, if such projects are completed on or before 31st March, 2012. Madam Speaker, I expect the developers to pass on the benefit of the tax holiday to the buyers of these houses by approximately reducing their prices. I am sure that both the expenditure and tax foregone initiative would provide relief to a large segment of prospective home-owners and help revive the real estate sector.

Sub-section (11A) of Section 80-IB of the Income Tax Act provides for tax holiday in respect of profits derived from business of processing, preservation and packaging of fruits and vegetables. Representations have been received requesting that this tax holiday should be extended to all food processing units, particularly those based on perishable items like milk, poultry, meat etc. With a view to preserving perishable food items, like milk, poultry and meat, I propose to amend sub-section (11A) of Section 80-IB to also provide tax holiday in respect of the business of processing, preserving and packaging of meat and meat products, poultry, marine and dairy products.

Under the existing provisions of Section 80U of the Income Tax Act, an assessee -- being a person with disability or with serious disability -- is eligible for deduction of Rs. 50,000 or Rs. 75,000 respectively. These limits were fixed in the financial year 2003-2004. Keeping in view the sharp increase in the threshold limit and the inflation since 2003-2004, I propose to amend Section 80U of the Income Tax Act so as to increase the deduction from the existing level of Rs. 75,000 to Rs. one lakh in the case of a person with severe disability. I also propose to move certain amendments, which are of consequential nature.

Madam Speaker, the necessary amendments will be put when the clause-by-clause consideration will be taken into account. As I said, I believe that it would be possible for us to convert our promises into acts with the cooperation of this House. Creation of infrastructure, both physical and social; tax reforms; and inclusive growth will be the theme of the policies and actions of this Government. Reforms will be on our agenda, but reform is a continuing process. It is not a *mantra*, which is to be chanted occasionally. The economic recovery has begun in India, and I am confident that we will be able to reach the high growth-rate of eight per cent or nine per cent by the end of 2010.

It is my sincere desire to meet the demands being made by the various States. But, as I mentioned earlier, please show me the money, which you want me to distribute. I must first have the money before the expenditure can happen.

We have stretched to the maximum limits of fiscal expansion. Now, we all have to make a determined bid to revive the economy and generate revenues at the earliest.

Madam Speaker, with these words, I commend that the Finance Bill be taken for consideration and passing.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2009-2010, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 2

Amendment made:

Page 4, for lines 61 and 62 substitute--

'(d) in clause (24),--

- (i) in sub-clause (iia), *after* the word and figures "section 10", the words "or by an electoral trust" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2010;
- (ii) *after* sub-clause (xiv), the following sub-clause shall be *inserted* with effect from the 1st day of October, 2009, namely:--

"(xv) any sum of money or value of property referred to in clause (vii) of sub-section 2 of section 56;" '.

(11)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 Amendment of Section 10

SHRI INDER SINGH NAMDHARI (CHATRA): Madam, I beg to move:

Amendment made:

Page 5, after line 21, insert,--

'(aa) in clause (14), after sub-clause (i), the following Explanation shall be inserted, namely:--

"Explanation – any matter concerning Transport Allowance which is prescribed under sub-clause (i) shall provide for full exemption on the transport allowance and Dearness Allowance thereon granted to employees to meet their expenditure for the purpose of commuting between the place of their residence and the place of duty." '. (8)

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 8 moved by Shri Inder Singh Namdhari to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

Clause 9 Amendment of Section 17

Amendments made:

"Page 5, for lines 51 and 52, substitute, --

'9. In section 17 of the Income-tax Act, in clause (2), with effect from the 1st day of April, 2010, -
(a) in sub-clause (v), for the words "annuity; and", the word "annuity," shall be *substituted*;

(b) *for* sub-clause (vi), the following sub-clauses shall be *substituted*, namely:--'. (12)

Page 6, *in* line 19, *for* "one lakh rupees;", *substitute* "one lakh rupees; and" (13)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 9, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clauses 10 to 12 were added to the Bill.

Clause 13 Insertion of new Section 35AD

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I beg to move:

"Page 6, *omit* lines 49 to 51. (1)

Page 7, *omit* lines 39 and 40. (2)

MADAM SPEAKER: I shall put amendment No. 1 and 2 to clause 13, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

Amendment made:

"Page 6, after line 39 insert, --

"Provided that the expenditure incurred, wholly and exclusively, for the purposes of any specified business, shall be allowed as deduction during the previous year in which he commences operations of his specified business, if –

- (a) the expenditure is incurred prior to the commencement of its operations; and
- (b) the amount is capitalised in the books of account of the assessee on the date of commencement of its operations.". (14)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 13, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

Clauses 14 to 22 were added to the Bill.

Clause 23

Amendment of Section 49

Amendment made:

Page 10, for lines 5 to 10, substitute –

Amendment of '23. In section 49 of the Income-tax Act, - section 49.

- (a) for sub-section (2AA), the following sub-Section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2010, namely:-
 - "(2AA) Where the capital gain arises from the transfer of specified security or sweat equity shares referred to in subclause (*vi*) of clause (2) of section 17, the cost of acquisition of such security or shares shall be the fair market value which has been taken into account for the purposes of the said subclause.";
- (b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted with effect from the 1st day of October, 2009, namely:-
 - "(4) Where the capital gain arises from the transfer of a property, the value of which has been subject to income-tax under clause (*vii*) of sub-section (2) of section 56, the cost of acquisition of such property shall be deemed to be the value which has been taken into account for the purposes of the said clause (*vii*)." '. (15)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 23, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clause 24 Amendment of Section 50 B

Amendment made:

Page 10, for lines 11 and 12, substitute –

"24. In section 50B of the Income-tax Act, in *Explanation* 2 with effect from the 1st day of April, 2010, -

- (i) in clause (a), the word "and" occurring at the end shall be omitted;
- (ii) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-". (16)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 24, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

Clause 25 was added to the Bill.

Clause 26 Amendment of Section 56

Amendments made:

Page 10, in line 51, for "that section", substitute "those sections". (17)

Page 11, for line 30, substitute-

"referred to in clause (b) of section 145A.". (18)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 26, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

Clauses 27 to 29 were added to the Bill.

Clause 30 Amendment of Section 80 CCD

Amendment made:

Page 12, for lines 37 to 40, substitute-

(a) in sub-section (l),-

- (i) in the opening portion, after the words, figures and letters "Where an assessee, being an individual employed by the Central Government or any other employer on or *after* the 1st day of January, 2004,", the words "or any other assessee, being an individual" shall be *inserted*;
- (ii) *for* the words "as does not exceed ten per cent of his salary in the previous year", the following words shall be *substituted*, namely:-

"as does not exceed,-

(a) in the case of an employee, ten per cent of his salary in the previous year; and

(b) in any other case, ten per cent. of his gross total income in the previous year"; '. (19)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 30, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

Clause 31 was added to the Bill.

Clause 32 Amendment of Section 80 E

MADAM SPEAKER: Amendment No.9 to Clause 32. Shri Inder Singh Namdhari. SHRI INDER SINGH NAMDHARI (CHATRA): I beg to move:

Page 12, line 53,-

after "local authority to do so"

insert "and includes any training programme conducted by any professional institute for training students for entrance examination to such course of study". (9)

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.9 to Clause 32, moved by Shri Inder Singh Namdhari, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

Amendments made:

Page 12, for lines 48 and 49, substitute-

Amendment of section 80E.

- '32. In section 80E of the Income-tax Act, in sub-section (3), with effect from the 1st day of April, 2010,-
 - (i) for clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:- (20)

Page 12, after line 53, insert-

'(ii) for clause (e), the following clause shall be *substituted*, namely:-

(e) "relative", in relation to an individual, means the spouse and children of that individual or the student for whom the individual is the legal guardian.'. (21)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 32, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

Clause 34 Amendment of Section 80 GGB

MADAM SPEAKER: Amendment No.3 to Clause 34. Shri Basu Deb Acharia. SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move:

Page 13, lines 3 and 4,-

for 'or an electoral trust'.

substitute 'or to set up a corpus fund for State funding of elections under the Election Commission.'. (3)

Madam, this is an innocuous amendment, a very simple amendment. Please allow me to explain my amendment. ... (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): Madam, he has a right.

MADAM SPEAKER: Yes. Please go ahead. Please be brief.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, here I have suggested that instead of providing fund to the political parties from the corporate houses, let there be a corpus fund to which they will contribute. Various Committees on electoral reforms have recommended that there should be State funding of election. From

that fund, State funding of election can be done and that fund can be managed by the Election Commission. This is my amendment. I press my amendment.

श्री लाल कृण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मुझे स्मरण है कि वर्न 1971 में इलैक्ट्रोल रिफार्म के लिए एक संसदीय कमेटी बनी थी। मेरे वरि-ठ नेता वाजपेयी जी और मैं उस समिति में थे। उस समिति ने उस समय रिकमैण्ड किया था कि अच्छा होगा कि एक रैडिकल रिफार्म किया जाए, चुनाव का खर्च पार्टी अथवा कैंडिडेट करता है, उसकी बजाय लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए शासन करे। उसे प्रिन्सीपल तो कहा गया, लेकिन उस पर इम्पलीमेंटेशन नहीं हो सका क्योंकि उसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं। दुनिया के बहुत से देशों में पब्लिक फण्डिंग की व्यवस्था है। हम कभी-कभी यह सोचते हैं कि एमपीलेड फण्ड को बढ़ाया जाए, यह किया जाए, वह किया जाए, मेरा अपना सुझाव है कि उसकी बजाय पब्लिक फण्डिंग की बात सोची जाए। पिछले दिनों में मैंने इस विनय पर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उन्होंने मुझे उत्तर में इतना ही लिखा कि मैंने आपका पत्र वित्त मंत्री जी को भेज दिया है

18.00 hrs.

आपका सुझाव भेज दिया है और वह इस पर विचार करेंगे। आज मेरे साथी ने यह सवाल उठाया है, मुझे खुशी होगी, अगर इस पर वित्त मंत्री जी ने कुछ विचार किया हो, ये बताएं।

MADAM SPEAKER: Just wait.

If the House agrees, we may extend the time of the House by half-an-hour, till 6.30 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: Okay.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Okay, but it will take a little more time.

Madam Speaker, it is true that for quite some time, we are talking about electoral reforms; and various Committees have been constituted from time to time.

लालू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, आज सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे देश में सूखे का संकट है। बहुत से राज्यों में स्थिति भयावह है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में और बाकी सब जगह राज्य सरकार ने सूखे की घो-गण की है, इसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कल इस वि-ाय पर चर्चा है।

श्री लालू प्रसाद: हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। स्टेट फंडिंग हो और उसमें छोटे-छोटे दलों को ज्यादा मिले, क्योंकि जो बड़े दल हैं, ये नहीं चाहते कि छोटा दल देश में पनपे। इसलिए छोटे दलों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बड़े दलों को बहुत कम मिलना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब विचार करें तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is true, as the hon. Leader of the Opposition stated. In fact, they have been stated for quite some time; from 1971 various efforts have been made; even in one Committee which was headed by – later on, in the 1990s – Shri Indrajit Gupta, the present Prime Minister Dr. Manmohan Singh was also a member. It also considered, but there was no consensus; now the provisions which we have made in Section 34 of this Act state that various political parties receive donations from corporate houses. What we are making is that we are making it more transparent and it is part-State funding in the sense that they get tax-exemptions; otherwise, it would have come to the Government of India. So, the Government of India is also making contributions. Instead of taking it upon ourselves, it is being taken care of by the other party. On these issues, there has been no unanimity; there have been divergence of views. We can discuss it in greater details, when the electoral reforms process will be discussed; when we discuss that, the State funding will also be discussed.

So far as the present amendment is concerned, what has been suggested is that the corporate houses can create a fund; they can make deposits to that fund from part of their profit; all the detailed rules are there – what would be the percentage, what would be the corpus and they will be in a position to distribute it; it will be shown in their balance sheet. Their balance sheet is published. Whom they are giving, how much, etc. will be known to the people; everybody will be knowing it.

Therefore, it is not State-funding; State-funding is a different aspect. There were a lot of complaints; in order to make it transparent, I made this as an open provision so that if some political parties receive donation from a corpus fund of a

corporate house, they will be accountable to the people, and the corporate house will be accountable to the people because it will appear in its balance sheet.

So, I do not feel that this amendment has any scope at this stage.

MADAM SPEAKER: Now, I shall put amendment no. 3 moved by Shri Basu Deb Acharia, to clause 34 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 34 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 34 was added to the Bill.

Clause 35 was added to the Bill.

Clause 36 Amendment of Section 80 - IA

Amendment made:

Page 13, in line 8, for "in sub-section (1)" substitute "in subsection (2)". (22)

Page 13, for line 12, substitute –

- '(c) in sub-section (4), -
 - (A) in clause (iii), in the second proviso, for the words, figures and letters "the 31st day of March, 2009", the words, figures and letters "the 31st day of March, 2011" shall be *substituted*.'. (23)
- Page 13, line 13, for "(A)", substitute "(B)" (24)
- Page 13, line 15, for "(B)", substitute "(C)" (25)
- Page 13, line 18, for "(C)", substitute "(D)" (26) (Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 36, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 36, as amended, was added to the Bill.

Clause 37 Amendment of Section 80-IB

SHRI BASU DEB ACHARIA: I beg to move:

Page 13, line 45, -

for 'but not later than the 31st day of March, 2012' substitute 'but not later than the 31st day of March, 2010'. (4)

Page 13, *omit* lines 46 to 52 (5)

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 4 and 5 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

Amendment made:

Page 13, line 46, for "following clause", substitute "following clauses". (27)

Page 13, after line 52, insert –

"(v) is engaged in commercial production of natural gas in blocks licensed under the IV Round of bidding for award of exploration contracts for Coal Bed Methane blocks and begins commercial production of natural gas on or after the 1st day of April, 2009;". (28)

Page 13, for lines 53 to 55, substitute –

- '(c) in sub-section (10),-
 - (i) in the opening portion, for the figures, letters and words
 - "31st day of March, 2007", the figures, letters and words
 - "31st day of March, 2008" shall be substituted;

(ii) in clause (c), for the words "any other place; and", the words "any other place;" shall be *substituted* with effect from the 1st day of April, 2010;

(iii) after clause (d), the following clauses shall be *inserted* with effect from the 1st day of April, 2010, namely:-'. (29)

Page 13, for line 60, substitute –

"(i) the individual or the spouse or the minor children of such individual,". (30)

Page 13, in line 64, for "(iii)", substitute "(iv)". (31)

Page 13, after line 68, insert –

- '(d) in sub-section (11A), with effect from the 1st day of April, 2010.-
 - (i) after the words "vegetables or", the following words shall be inserted, namely:-

"meat and meat products or poultry or marine or dairy products or";

(ii) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the provisions of this section shall not apply to an undertaking engaged in the business of processing, preservation and packaging of meat products or poultry or marine or dairy products if it begins to operate such business before the 1st day of April, 2009.".' (32)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 37, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.33 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.33 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 37A

Amendment of Section 80 U

Amendment made:

Page 13, after line 68, insert –

37A. In section 80U of the Income-tax Act, in subsection (l), after the proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2010, namely:-

"Provided further that for the assessment years beginning on or after the 1st day of April, 2010, the provisions of the first proviso shall have effect as if for the words "seventy-five thousand rupees", the words "one lakh rupees: had been substituted.".' (33)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That new clause 37A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 37A was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the amendment No. 42 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved."

Madam, the motion has not been circulated.

MADAM SPEAKER: It has been circulated.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, it is for suspension of rule 80(i) for addition of a new clause and the new clause will be to give exemptions to urban cooperative societies as they used to enjoy prior to 2006.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the amendment No. 42 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clauses 38 to 41 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 38 to 41 were added to the Bill.

Clause 42 Amendment of Section 115 BBC

Amendment made:

Page 15, for lines 4 to 9, substitute –

- (i) the amount of income-tax calculated at the rate of thirty per cent on the aggregate of anonymous donation received in excess of the higher of the following, namely:-
 - (A) five per cent of the total donations received by the assessee, or
 - (B) one lakh rupees; and";
 - (b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(ii) the amount of income-tax with which the assessee would have been chargeable had his total income been reduced by the aggregate of anonymous donations received.".' (34)

 (Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 42, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 42, as amended, was added to the Bill.

Clauses 43 to 70 were added to the Bill.

Clause 71 Amendment of Section 246 A

Amendment made:

Page 22, for line 37 to 40, substitute—

- "71. In section 246A of the Income-tax Act, in sub-section (1), with effect from the 1st day of October, 2009, --
 - (i) in clause (a), for the words brackets and figures

"under sub-section (3) of section 143", the words, brackets and figures "under sub-section (3) of section 143 except an order passed in pursuance of directions of the Dispute Resolution Panel" shall be *substituted*.

(ii) in clause (b) after the words and figures "under section 147", the words except an order passed in pursuance of directions of the Dispute Resolution Panel" shall be *inserted*."

(35)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 71, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 71, as amended, was added to the Bill.

Clause 72 Amendment of Section 253

Amendments made:

Page 22, for line 41 substitute—

`72. In section 253 of the Income-Tax Act, in sub-section (1) with effect from the 1st day of October, 2009,--

- (a) in clause (c) for the words, figures and letter "Director under Section 272A.", the words, figures and letter "Director under section 272A; or "shall be *substituted*;
- (b) *after* clause (c), the following clause shall be *inserted*, *namely:-* (36)

Page 23, omit line 1.

(37)

Page 23, for line 2, substitute—

"(d) an order passed by an Assessing Officer under sub-section (3) of section 143 or section 147 in pursuance". (38)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 72, as amended, stand part of the Bill."

Clause 72, as amended, was added to the Bill.

Clauses 73 to 77 were added to the Bill.

Clause 78

Insertion of new section 293 C Power to withdraw approval

Amendments made:

Page 24, for line 17 and 18, substitute—

"293C. Where the Central Government or the Board or an income-tax authority, who has been conferred upon the power under any provision of this Act to grant any approval to any assessee, the Central Government or the Board or such authority may, notwithstanding," (39)

Page 24, *line* 21, *for* "income-tax authority", *substitute* "Central Government or Board or income-tax authority.". (40)

(Shri Pranab Mukherjee)

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clause 78, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 78, as amended, was added to the Bill.

Clauses 79 to 81 were added to the Bill.

Clause 82 Amendment of Section 3

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, I beg to move:

Page 26, line 26,--

for `thrity lakh rupees'.

substitute 'ten lakh rupees'. (6)

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 6 moved by Shri Basu Deb Acharia to vote.

The amendment was put and negatived.

Clause 82 was added to the Bill.

Clauses 83 to 114 were added to the Bill.

Clause 115 Amendment of Act 18 of 2008

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, I beg to move:

Page 36, line 13,--

for `1st day of April, 2009'.

substitute '1st day of April, 2019'.

(7)

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 7 moved by Shri Basu Deb Acharia to vote.

The amendment was put and negatived.

Clause 115 was added to the Bill.

Clause 116 was added to the Bill.

The First Schedule

SHRI INDER SINGH NAMDHARI : Sir, I beg to move:

Page 42, for lines 25 to 52, substitute:-

"Rates of income-tax

((1)	whe	re the total	incon	ne does	s not	Nil;
		Exce	eed Rs. 3,00	0,000			
((2)	2) where the total income exceeds					
		Rs.	3,00,000	but	does	not	10 per cent of the amount by which the
		exce	ed Rs. 5,00	,000			total income exceeds Rs. 3,00,000;
((3) Where the total income exceeds					Rs. 20,000 plus 20 per cent of the	
		Rs.	5,00,000	but	does	not	amount by which the total income

exceed Rs. 8,00,000	exceeds Rs. 5,00,000;
(4) Where the total income exceeds	Rs. 80,000 plus 30 per cent of the
Rs. 8,00,000	amount by which the total income
	exceeds Rs. 8,00,000.
	·

(II) In the case of every individual, being a women resident in India, and below the age of sixty years at any time during the previous year:--

Rates of Income-tax

	Tr.
(1) where the total income does not	Nil;
Exceed Rs. 3,50,000	
(2) where the total income exceeds	10 per cent of the amount by which the
Rs. 3,50,000 but does not	total income exceeds Rs. 3,50,000;
exceed Rs. 5,00,000	
(3) where the total income exceeds	Rs. 15,000 plus 20 per cent of the
Rs. 5,00,000 but does not	amount by which the total income
exceed Rs. 8,00,000	exceeds Rs. 5,00,000;
(4) where the total income exceeds	Rs. 75,000 plus 30 per cent of the
Rs. 8,00,000	amount by which the total income
	exceeds Rs. 8,00,000

(III) In the case of every individual, being a resident in India, who is of the age of sixty years or more at any time during the previous year:--

Rates of income-tax

` '	he total incon	ne does	not	Nil;
	Rs. 5,00,000			
				10 per cent of the amount by which the
Rs. 5,	00,000 but	does	not	total income exceeds Rs. 5,00,000;
exceed	Rs. 8,00,000			
(3) where t	he total incor	ne exce	eeds	Rs. 30,000 plus 20 per cent of the
Rs. 8,	00,000 but	does	not	amount by which the total income
exceed	Rs. 10,00,000)		exceeds Rs. 8,00,000;
(4) where t	he total incor	ne exce	eeds	Rs. 70,000 plus 30 per cent of the
Rs. 10,0	00,000			amount by which the total income
				exceeds Rs. 10,00,000."

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 10 moved by Shri Inder Singh Namdhari to vote.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the First Schedule stand part of the Bill." *The motion was adopted.*

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule, the Third Schedule, the Fourth Schedule and the Fifth Schedule were added to the Bill.

Clause 1,the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House will now take up matters of urgent public importance. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, डाक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदुस्तान के महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने आजीवन करोड़ों गरीबों के लिए सवाल उठाने का काम किया। वह सप्तक्रांति के जनक थे। नर-नारी समता के संबंध में, सबसे पहले डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने आवाज उठाने की कोशिश की।

महोदया, उनका जन्मदिन अब करीब आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकारी कैंप में कोई सुगबुगाहट नहीं है। जो महान स्वतंत्रता सेनानी और महापुरून देश में हुए हैं, उनका जन्मदिन, जन्मशताब्दी समारोह मनाने का काम सरकार का कल्चर विभाग करता है, लेकिन डा. राम मनोहर लोहिया की जन्मशताब्दी समारोह के लिए कोई तैयारी मैं नहीं देख रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर जो उनके मानने वाले लोग हैं, सब लोगों में सिक्रियता है और दुनिया के विभिन्न मुल्कों में लोग सिक्रय हो गए हैं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मशताब्दी वर्न मनाया जाए। इसिलए मैं सरकार से मांग करता हूं कि डा. राम मनोहर लोहिया कन्मशताब्दी समारोह मनाने के लिए कल्चर विभाग सिक्रय हो और इसकी तैयारी शुरू हो, जो 23 मार्च, 2010 को है और साल भर तक शानदार-जानदार ढंग से प्रखर नेता डा. राम मनोहर लोहिया कि जन्मशताब्दी मनायी जाए। इसके लिए सदन से भी दरख्वास्त है कि इस ओर सभी लोग सहयोग करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : निम्नलिखित माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद जी के भा-ाण के साथ अपने का संबद्ध करते हैं -

श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रामिकशुन, श्री राधा मोहन सिंह, श्री तूफ़ानी सरोज, श्री मंगनी लाल मंडल। डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदया, रामधारी सिंह दिनकर, जो रा-ट्रीय किव रहे हैं, रा-ट्र की अस्मिता और पौरून के अमर गायक हैं, यह उनका जन्मशताब्दी वर्न है। जब बिहार के हिथड़ा पुल का उद्घाटन हो रहा था, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी उस उद्घाटन में गये थे, उस समय मैं बीए का छात्र था और उस समय दिनकर जी भी उनके साथ थे। उसी दिन पंडित जवाहर लाल नेहरू उनके गांव सिमरिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए गये थे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह जो उनका जन्मशताब्दी वर्न है, सिमरिया जो उनका गांव है, रेलवे स्टेशन है, उसे दिनकर के नाम से दिनकर-सिमरिया गांव, रेलवे स्टेशन के नाम से नामित किया जाए। यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

महोदया, मुझे आशा है और मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पुण्यकृति को निश्चित रूप से करना चाहेगी। धन्यवाद।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, this issue concerns the Ministry of Water Resources. It is reported that the Government has recommended to the Planning Commission for approval of the Pollavaram project to be declared as a national project in response to a request made by the Government of Andhra Pradesh. It would be unfortunate if the report is true, especially when a number of cases are pending for adjudication before the Supreme Court of India. We have already raised this issue in this House time and again that a large number of villages are going to be submerged in Orissa because of this project. A large number of families belonging to Scheduled Tribes will be affected due to construction of this project.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, kindly take your seats.

SHRI B. MAHTAB: No public hearing has been done in Orissa which is a mandatory requirement for getting environment clearance. I am yet to know how the Andhra Pradesh has gone ahead with the construction of the project without this. The Central Water Commission, in January 2009, in its TAC meeting has cleared the project without even inviting the State Government of Orissa. The CWC has endorsed the construction of about 30 kms. of embankment. We do not want to dispute what the CWC has done.

But my concern is that the State Government of Orissa should have been invited and should have been heard. That has not been done, which was earlier agreed upon by the Godavari Water Dispute Tribunal in its final order. The Tribunal had advised the CWC to take up the design and operation of the project only with the acceptance of the co-basin States. The co-basin States are Maharashtra, Chhattisgarh and Orissa as Godavari is a riparian river.

The third point which I would like to mention here is that the project was originally designed for a spillway capacity of 36 cusecs, whereas the design has

been revised upto 50 cusecs. This will cause submergence of large areas of Orissa and cause flood in Malkangiri district. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB: Large areas of coal fields are there in that area. Different other mines are also there. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

... (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB: My request to the Central Government is that it can call a meeting. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair. Please conclude. I think you have made all your points.

... (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB: Madam Speaker, my last point here is that number of cases have been filed in different courts. My request to the Government is that it should not become a party in that. When there is a dispute between two States, the Central Government should not become a party in that dispute. ... (*Interruptions*) MADAM SPEAKER: Please conclude. Please do not make it a discussion.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार।

...(व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB: The cases relating to environment clearance and the Forest Conservation Act are pending.

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार जो बोलेंगे, वही रिकार्ड में जाएगा।

(Interruptions) ... *

SHRI B. MAHTAB: Since the construction of the project has been challenged in various courts for violation of statutory requirement, I would request the Government of India not to declare it as a national project.

^{*} Not recorded.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि योजना आयोग की सामरा समिति की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वांचल और बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां का समग्र विकास नहीं हो पाया है। इस वक्त वर्ना की कमी और अनिश्चित मानसून के कारण वहां सूखे की स्थिति है। वहां जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं, सब बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। वहां तत्कालीन सरकार ने जो मदद की थी, वह भी अवरुद्ध पड़ी हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक महेवा घाट यमुना नदी पर 35 करोड़ रुपये का पुल है। गंगा नदी में लेहदरी से काला काँकर में भी जो पुल बन रहा है, वह भी रुका हुआ है, जबिक कौशाम्बी प्रतापगढ़ जनपद अपने आप में एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। वहां पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं। गौतम बुद्ध जी ने वहां रुककर बारह वर्न अध्ययन किया था। राजा उदयन की राजधानी है। कड़ा शीतला धाम के मंदिर हैं। अलवारा झील है। ये तमाम संभावनाएं हैं जो पर्यटन से संबंधित हैं।

मैं चाहूंगा कि उसके समग्र विकास के लिए भारत सरकार एक केन्द्रीय दल वहां भेजे। वहां पूरे पूर्वांचल और बुंदेलखंड ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: बुंदेलखंड के विकास की जो परियोजनाएं लंबित हैं, उन पर अध्ययन दल सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। इसके साथ-साथ समुचित धन और पैकेज देकर वहां का विकास करे। SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, Speaker, I would like to draw your attention that water is treated as an elixir of life over the ages. But as our experiences indicate that in our country, availability of water has been decreasing much to the alarm of all of us.

Madam, if you go through the few statistics in regard to the availability of water, then it is sufficient for further alarming all of us. The availability of renewable fresh water in India has fallen from around 6,000 cubic meters in the year 1947 to about 2,300 cubic meters in 1997. Further, per capita availability of less than 1,700 cubic meters is termed water-stressed if it falls below 1,000 cubic meters.

Madam, nine of our 20 river basin with 200 million population is already facing water scarcity condition. The per capita storage of water in our country is 213 cubic meters while it is 6,103 cubic meters in Russia, 4,733 cubic meters in

Australia. In Haryana, Punjab, Gujarat and the ground water table is declining at the rate of half a meter per year. However, still we are not able to harness the water resources of our country in a prudent manner. A total of 37 per cent of the total amount of water used in irrigation is put to productive use and a huge quantity amounting to 63 per cent of the total water in irrigation goes waste. The wastage in the domestic use is estimated to be 16 per cent to 25 per cent, in industrial workshops, 20 per cent of the total quantity is being wasted, and in the construction sector, 25 per cent is infractuous.

Madam, in view of this grave situation where availability of water per person has been declining in an alarming way, I would urge upon this Government to review our Water Policy in a fresh manner because water, again, is an elixir of our life.

श्री वि णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैं खासकर यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और नारायणसामी जी से अर्ज करूंगा कि वे मेरी बात पर ध्यान दे। भारत में इस समय 20 एनआईटीज हैं, जबिक इलैवन्थ प्लान में दस और एनआईटीज खोलने के बारे में सरकार का चिंतन है। 19 जुलाई, 2008 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने अंडमान निकोबर द्वीप समूह के उपराज्यपाल को पत्र देकर कहा था कि अंडमान निकोबार में अनकवर्ड स्टेट, जहां विकास नहीं हुआ, उस पिछड़े हुए एरिया में हम एनआईटी खोलेंगे। उन्होंने प्रपोजल मांगा था, जिसकी बात चल रही थी। इस बीच मुझे लगता है कि कांग्रेस के शिक्षा मंत्री और पांडिचेरी के एमपी जो वर्तमान पार्लियामैंट के एमओएस हैं , उनके बीच एक ...(व्यवधान) ...* और 1 जून, 2009 ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: No. You cannot make this kind of a plea. You cannot make such allegations.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): The hon. Member has made some allegations.

^{*} Not recorded.

Let him withdraw the words. ... (*Interruptions*) Otherwise, he will have to face the consequences.

MADAM SPEAKER: This will not be recorded.

(Interruptions) ... *

SHRI BISHNU PADA RAY: All right, Madam, it is withdrawn.

मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जून, 2009 को एनआईटी का डायरेक्टर पत्र लिखता है एडिमिनिस्ट्रेशन को कि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है, इस कारण से वहां एनआईटी नहीं बनेगा, यह पांडिचेरी में जाएगा। कहा गया कि यह फिजिबल नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिजीबिल्टी की मीनिंग क्या है? पंडित नेहरू की लीगेसी लें, पं. नेहरू ने साठ साल पहले आईआईटी, खड़गपुर बनाया था जो एक जेल थी, एक गया-गुजरा गांव था। 50 साल पहले पांडिचेरी में पं.नेहरू ने जिपमेर खोला था। इसी तरह से राजीव गांधी जी जब आईडीए के चेयरमैन थे, ने अण्डमान निकोबार द्वीप के बारे में कहा था, यह मिनी पार्लियामेंट, मिनी मिनिस्ट्री बनेगा, इसका विकास होगा। अण्डमान निकोबार के साथ क्या होती है फिजिबिल्टी और नॉन फिजिबिल्टी? उदाहरणस्वरूप पांडिचेरी में सरकार के माध्यम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, उसके बाद पांच-छः प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आज वहां पर हैं। पांडिचेरी में सरकार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोला गया।

MADAM SPEAKER: Hon. Member, just wait a minute. The time of the House is extended till the matters of urgent public importance are over.

श्री विणु पद राय: उसके बाद पांच-छः मेडिकल कॉलेज वहां पर आए। मैं अनुरोध करूंगा कि यूपीए सरकार पंडित नेहरू की परंपरा पर चले, राजीव गांधी की परंपरा पर चले।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री वि णु पद राय: अण्डमान का एनआईटी कॉलेज अण्डमान में रखें। पांडिचेरी के स्टूडेंट्स अण्डमान में पढ़ रहे हैं।...(<u>व्यवधान</u>) शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इस पर विचार करें, यही मेरा अनुरोध है। ...(<u>व</u>्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): गत व-र्गें से शहरों की आबादी बढ़ रही है जिसके कारण वहां की पीने के पानी की व्यवस्था चरमरा गयी है। इसी दृ-िट से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला शहर की इस समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्नित करना चाहता हूं। केन्द्र की सरकार नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन लाई है, जो एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके माध्यम से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

^{*} Not recorded.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बहुत सुन्दर, ठंडा, हरा-भरा तथा हिमालय की ऊंची-ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं में समुद्र तल से लगभग 6500 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ अत्यंत आकर्नक शहर है। यह ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिशर्स की ग्री-मकालीन राजधानी रहा था। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। राजधानी होने के साथ-साथ यह एक पर्यटक नगरी भी है, जिसके कारण यहां की आबादी काफी बढ़ चुकी है और यहां पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है।

महोदया, पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने एक ग्रेविटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने एवं इसे बनाने हेतु केंद्र सरकार के योजना आयोग एवं शहरी विकास मंत्रालय ने एक्ट्रीमली एडेड प्रोजेक्ट के रूप में वित्त मंत्रालय से केंद्रीय सहायता हेतु संस्तुति की थी।

महोदया, प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (डीईए) से वर्न 2008 की अंतिम तिमाही में आग्रह किया था कि उक्त परियोजना हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए अगले वर्न यानी वर्न 2009 की परियोजनाओं में शामिल किया जाए और तदनुसार वांछित सहायता दी जाए।

महोदया, मुझे खेद के साथ सदन में बताना पड़ रहा है कि अभी तक भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान नहीं की है। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शिमला शहर हेतु ग्रेविटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तथ्काल सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वांछित धनराशि स्वीकृत और निर्गत की जाए, ताकि इस परियोजना का डीपीआर तैयार हो सके और इसका काम आगे बढ़ सके।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्न सरकार ने पूरे देश में अलग-अलग प्रदेशों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया था, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी चुना गया था। जहां मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यहां से केन्द्रीय टीम वहां निरीक्षण करने गई तो जिला कांगड़ा में पालमपुर में उन्हें जमीन दिखाई गई। केन्द्रीय टीम ने 500 एकड़ जमीन की मांग की थी, जबिक हमारी प्रदेश सरकार ने 697 एकड़ जमीन डेहरा में उसे दिखाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी कोई कदम आज तक नहीं उठाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरह से बड़ी-बड़ी बातें की हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह भी सिर्फ बात बनकर ही रह जाए और काम न हो।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है वह हाकी टीम से सम्बन्धित है, जबिक इस वक्त आप किसी और वि-ाय पर बोल रहे हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश के अनेक राज्यों में भी-ाण सूखे की स्थिति है। खासकर, बिहार में जो जिले हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप संक्षेप में कहें, क्योंकि कल इसी वि-ाय पर विस्तृत चर्चा होनी है, तब आप अपनी बात विस्तार से कहना।

श्री जगदीश शर्मा: चर्चा में हम लोगों को तो समय ही नहीं मिलता, पार्टी के नेताओं को ही मिलता है। अध्यक्ष महोदया: ऐसी बात नहीं है, आपको भी जरूर मौका मिलेगा। इस समय संक्षेप में कहें।

श्री जगदीश शर्मा: बिहार में जहानाबाद, औरंगाबाद, अरिया, गया, नवादा, कैमूर, सासाराम और मुंगेर सबसे सूखा प्रभावित इलाके हैं। कौटिल्य के समय से इन इलाकों में आहर-पइनों का निर्माण किया था, जिसके जिए वहां जल संरक्षित किया जाता था और उनसे सिंचाई की भी व्यवस्था होती थी। इसिलए मेरा सरकार से आग्रह है कि इन इलाकों में इनके जीर्णोद्धार से, छोटे-छोटे चैक डैम बनाने से समस्या का हल किया जा सकता है, क्योंकि इससे वहां जल संग्रह का काम होगा। यह काम पूरे राज्य में किया जाए, तो अत्यंत लाभग्रद होगा। यहां पर जल संसाधन मंत्री बंसल जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार जो सूखा प्रभावित राज्य है, आप वहां कौटिल्य के पीरियड में जो आहर-पइन द्वारा जल संरक्षण का काम होता था, जो जल क्षेत्र बना हुआ था, जो आजकल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसका पुनर्निर्माण कराकर वहा चैक डैम बनाए जाएं। इसके लिए केन्द्र सरकार वहां धनराशि आबंटित करे और बिहार में जो सुखा है, लोगों को उससे राहत दिलाने की दिशा में प्रयास करे।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कृिन मंत्री जी का ध्यान आकिर्नित करना चाहता हूं। आज देश का अधिकांश भाग मॉनसून के अभाव से, वर्ना न होने की वजह से सूखाग्रस्त हो गया है। किसान भुखमरी की कगार पर हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वहां की सरकार के किसानों के प्रति उदासीन है।...(व्यवधान) उसने सूखाग्रस्त जिलों को घोनित करने और यहां राहत के लिए प्रस्ताव भेजने के मामले में कोताही बरती है।...(व्यवधान) प्रदेश सरकार ने पहले 20 जिलों को सूखाग्रस्त घोनित किया, फिर 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोनित किया, जबिक पूरा प्रदेश ही सूखे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह इससे पता चलता है कि छाता, रायबरेली और घाटमपुर में तीन चीनी मिल्स बंद हैं। प्रदेश सरकार ने चीनी माफिया को बचाने के लिए इन तीनों शूगर मिल्स को बंद करने का काम किया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजाराम पाल: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एक कृिन वैज्ञानिक दल उत्तर प्रदेश में भेजा जाए, जो वहां सूखे की स्थिति की समीक्षा करके भारत सरकार को रिपोर्ट दे। इसलिए आप तुरंत वह दल भेजें और वहां सूखा राहत का काम तत्काल शुरू करें।

श्री रामिकशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया जी, आज पूरे देश में सूखा है। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोनित किया जाए। राज्य सरकार कह रही है कि मैंने केन्द्र सरकार को पैकेज भेजा है, लेकिन केन्द्र सरकार के मंत्री ने कहा कि सूखे से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को आप सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में है, उनके सांसद यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने डीजल पर 15 रुपये से 20 रुपये तक सब्सिडी देनी शुरु कर दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूखे को देखते हुए, विशेन आर्थिक पैकेज केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को भेजे और उसका पूरा सर्वे कराकर, पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोनित करे। केन्द्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराए तथा राज्य सरकार किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का काम करे।

अध्यक्ष महोदया : श्री तुफानी सरोज जी, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप अनुपस्थित थे।

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): थैंक्यू मैडम, मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं अनुपस्थित था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दुबारा आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जौनपुर-इलाहाबाद रेलवे पूर्वोत्तर लाइन पर बारीगांव, भन्नौर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रायपुर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ आकिर्नित करना चाहता हूं। यह रेलवे क्रॉसिंग अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है। इसके बगल में दुर्गा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां श्रद्धांलुओं का लगातार आना-जाना लगा रहता है। प्रत्येक मंगलवार को बड़े पैमाने पर वहा मेला लगता है और यह मार्ग सीधे एरयपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है लेकिन अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से वहां पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस अनमैनेबल क्रॉसिंग को मैनेबल क्रॉसिंग बनाया जाए।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 28th July 2009, at 11 a.m.

18.43 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 28, 2009/Sravana 6, 1931 (Saka)